ISSN 2278-1633ANTIM JAN

गांधी दर्शन
अंतिम जन

वर्ष-6, अंक: 11, संख्या-49 अप्रैल 2024 मूल्य: ₹20

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति संग्रहालय

समिति के दो परिसर हैं- गांधी स्मृति और गांधी दर्शन।

गांधी स्मृति, 5, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित है। इस भवन में उनके जीवन के अंतिम 144 दिनों से जुड़े दुर्लभ चित्र, जानकारियाँ और मल्टीमीडिया संग्रहालय (Museum) है। जिसमें प्रवेश निःशुल्क है।

दूसरा परिसर गांधी दर्शन राजघाट पर स्थित है। यहाँ 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश' प्रदर्शनी, डोम थियेटर और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र संग्रहालय (Museum) है।

दोनों परिसर के संग्रहालय प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 6:30 तक खुलते हैं।
(सोमवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़ कर)

ISSN 2278A 1633ANTIM JAN

गांधी दर्शन
अंतिम जन

वर्ष-6, अंक: 11, संख्या-49
अप्रैल 2024

संरक्षक
विजय गोयल
उपाध्यक्ष, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति

प्रधान सम्पादक
डॉ. ज्वाला प्रसाद

सम्पादक
प्रवीण दत्त शर्मा
पंकज चौबे

परामर्श
वेदाभ्यास कुंडू

प्रबन्ध सहयोग
शुभांगी गिरधर

आवरण व रेखांकन
संजीव शाश्वती

रेखांकन
संजीव शाश्वती

मूल्य : ₹ 20
वार्षिक सदस्यता : ₹ 200
दो साल : ₹ 400
तीन साल : ₹ 500

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति
गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23392796
ई-मेल : antimjangsds@gmail.com
2010gsds@gmail.com

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट,
नई दिल्ली-110002, की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेखकों द्वारा उनकी रचनाओं में प्रस्तुत विचार एवं दृष्टिकोण उनके अपने हैं, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट, नई दिल्ली के नहीं।
समस्त मामले दिल्ली न्यायालय में ही विचाराधीन।

मुद्रक
पोहोजा प्रिंट सोल्यूशंस प्रा. लि., दिल्ली - 110092

इस अंक में

धरोहर
बुकर टी. वाशिंगटन-*मोहनदास करमचंद गांधी* 5

भाषण
स्टार्ट-अप महाकुंभ में प्रधानमंत्री का संबोधन-*श्री नरेंद्र मोदी* 8

विमर्श
गांधी-आंबेडकर और पंचायती राज-*प्रो. रमेश कुमार* 15
आंबेडकर और समरस समाज का स्वप्न-प्रो. नामदेव 20
गांधी-आंबेडकर: कल, आज और कल-*डॉ. अजीत कुमार पुरी* 25

चिंतन
गांधीजी और आज की पत्रकारिता-*गिरीश पंकज* 33

स्मरण
सच की ताकत-*कामना झा* 38

पर्यावरण
जल है अनमोल-*पावनी* 42

***माधव कौशिक* की कविताएं** 45

फोटो में गांधी 50

चित्रकारी 51

बचपन 52
सुमन बाजपेयी
वसीम अहमद नगरामी
पूजा गुप्ता

प्रेरक प्रसंग 57

व्यंग्य 58
हरिशंकर परसाई

गांधी क्विज 61

गतिविधियाँ 62

गांधीजी का रामराज्य जनकल्याणकारी है

भगवान राम का राज कार्य इतना महान और विलक्षण था कि आज भी लोग राम के आदर्शों का उदाहरण देते हैं। राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। वाल्मीकि रामायण में भरत जी राम के विलक्षण प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहते हैं, 'राघव! आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए एक मास से अधिक समय हो गया। तब से सभी लोग नीरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट के प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट-पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन! पुरवासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन! नगर तथा जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहें।'

महात्मा गांधी भी राम नाम को लोगों की आस्था और अपनी प्रेरणा का केंद्र मानते हैं। रामराज्य पर उन्होंने बहुत लिखा है और उस पर चिंतन किया है। गांधी जी के लिए रामराज्य का अर्थ ऐसे राज्य से था जहां कोई भेदभाव न हो, सब लोग परस्पर समन्वय की भावना से साथ रहते हों। 1931 में यंग इंडिया में वे लिखते हैं- मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूंगा, जो भारत को हर तरह की गुलामी से मुक्त करें। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें गरीब से गरीब भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है। ना तो हम किसी का शोषण करेंगे और न किसी के द्वारा अपना शोषण होने देंगे। राम का दर्शन सत्य का दर्शन है, वहीं गांधी जी के दर्शन का मूल केंद्र भी सत्य और अहिंसा है। गांधी जी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में कहते हैं-सत्य की पूजा मुझे राजनीति में खींच लायी है। मनुष्य यह कहता है कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नही हैं।

रामराज्य की स्थापना के गांधीजी के सपने से तात्पर्य समाज में समरसता और समानता की स्थिति से है। सरकारें बिना भेदभाव के कार्य करें। उनकी नीतियाँ अमीर, मध्यम वर्ग, गरीब, शोषित, वंचित सब के उत्थान के लिए बनें। यही तो है सच्चा रामराज्य, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। हम सब लोगों को भी राम जी का चिंतन करते हुए समाज के सभी वर्गों के हितों की चिंता करनी चाहिए। तभी रामराज्य की पारिकल्पना साकार हो सकेगी।

अंतिम जन के नए अंक में इस बार हम कुछ नयी प्रतियोगिताएं आरम्भ कर रहे हैं। बच्चों के लिए गांधी क्विज प्रतियोगिता आरम्भ की जा रही है, ताकि बच्चों की गांधीजी के प्रति सोच और समझ बढ़े, साथ ही हम पुरस्कृत पत्र का कॉलम भी आरम्भ कर रहे हैं। जिसमें हर माह पाठक के एक उल्लेखनीय पत्र को पुरस्कृत करेंगे। हर अंक में हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बदलाव आपको पसंद आएगा ऐसी आशा है।

विजय गोयल

'बा'

कस्तूरबा गांधी, जिसे सम्पूर्ण राष्ट्र 'बा' के नाम जानता है। 'बा' का जन्म 11 अप्रैल 1869ई. को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के साथ वर्ष 1882 में कस्तूरबा का विवाह हुआ। महात्मा गांधी इंग्लैण्ड से अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी कर, भारत लौटे और रोजगार की वजह से सन् 1893 को दादा अब्दुला के विधि सलाहकार के रूप में डरबन पहुँच गये। दक्षिण अफ्रीका में कस्तूरबा की उपस्थिति से गांधीजी के संघर्ष को गति मिली। गांधीजी कस्तूरबा के प्रति की गई अपनी भूल को सहर्ष स्वीकारते हैं। कस्तूरबा, महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही और आवश्यकता पर, कस्तूरबा महात्मा गांधी से पहले जेल जाने को तैयार थी। यह गौरतलब है कि परदेश में, अपने देश से दूर, कस्तूरबा गांधी ने जिस सूझ-बूझ और साहस का परिचय दिया, वह एक भारतीय संघर्ष की परम्परा में आज भी मिसाल है। संघर्ष को न सिर्फ अंजाम तक पहुँचाया बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कस्तूरबा ने बापू का सम्पूर्ण सहयोग किया। कस्तूरबा को स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के दौरान ही देहावसान हो गया।

आज के समय में कस्तूरबा के संघर्ष को नए दृष्टिकोण से देखने और परखने की आवश्यकता है। गांधीजी के विराट व्यक्तित्व के आगे कस्तूरबा का त्याग और बलिदान ओझल-सा दिखाई पड़ता है। जिसके पूनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। कस्तूरबा के देहवसान के बाद गांधीजी ने बहुत ही मार्मिक संदेश दिया- ''सन् 1906 में जब मैंने (गांधीजी) राजनीतिक क्षेत्र में इसकी शुरुआत की तो यह और अधिक व्यापक एवं विशेष रूप से गढ़े गए सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। जब भारतीय कैद के दौरान दक्षिण अफ्रीका में कस्तूरबा सिविल सत्याग्राहियों में से एक थी। उस दौरान उसके कठिन से कठिन शारीरिक सभी कैदियों की तरह असुविधा में रहने का विकल्प चुना। कस्तूरबा के समर्पण और त्याग की विवेचना करें तो हम महसूस करते हैं कि राष्ट्र उनका ऋणि है। बहुत कम शब्दों में महात्मा गांधी ने कस्तूरबा के योगदान और समर्पण को रेखांकित किया।

इस अंक में बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर पर विशेष आलेख दिया जा रहा है। बाबा साहब के भारत निर्माण में किये योगदान को नयी पीढ़ी तक ले जाने की आवश्यकता है। तभी युवा लोग उनके जीवन से नयी प्रेरण ले सकेंगें।

इस अंक में नियमित स्तंभों के अलावा कुछ सकारात्मक बदलाव किय गये हैं। जिस पर आपकी प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

डॉ. ज्वाला प्रसाद
निदेशक

आपके ख़त

पठनीय और संग्रहणीय

'अंतिम जन' का फरवरी (2024) अंक प्राप्त हुआ। 'धरोहर' स्तंभ में प्रकाशित ' 'बा' की दृढ़ता ' के प्रसंग प्रेरणास्पद हैं और बार-बार पठनीय हैं! अभी मैंने कुछ रचनाएँ पढ़ी हैं और कुछ शेष हैं, जिन्हें पढ़ूँगा। 'अंतिम जन' के अंक आप सबके प्रयास से पठनीय और संग्रहणीय होते हैं।

सविनय,
विनय

स्तरीय एवं ज्ञानवर्धक

आपकी पत्रिका 'अंतिम जन' प्राप्त हुई। पत्रिका में सम्मिलित आलेख, कविताएं, समाचार आदि स्तरीय एवं ज्ञानवर्धक हैं। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कानमा करते हुए, इससे जुड़े सभी कर्मियों एवं रचनाकारों को हार्दिक बधाई देता हूं।

डॉ छबिल कुमार मेहेर
उप. निदेशक (कार्यान्वन)
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

कविताएं

आंगन
सोच रही है कहां उतरू

नदारद है आंगन
नदारद अलंगनी,
गुम गए जगले
गुम हुई पीपल की शाखे,
सूखे हुए पेड़ों को देखकर
उसकी आंख जल रही है,

जल
गौरैया खोजती है
झरनो का कल कल निनाद,
पीने को दो बूंद जल
नहाने के लिए
ताल तलैया पोखर
रो रही है देखकर
इनके गायब होते निशान,

पथार
गौरैया खोज रही है
कोई तो ऐसी छत मिले,
जहां मिले
खुशी बुनने का द्वार
दाने चुगने को पथार,

रेखा शाह आरबी
बलिया (यूपी)
मौलिक अप्रकाशित अप्रसारित
मो. 8736863697

बुकर टी. वाशिंगटन

मोहनदास करमचंद गांधी

श्रीमती बेसेंट ने कहीं कहा है कि इंग्लैंड की आज तो प्रतिष्ठा है सो उसके योद्धाओं के कारण नहीं, परंतु उस राष्ट्र द्वारा किए गए एक महान कार्य – गुलामों की मुक्ति – के कारण है। बुकर टी. वाशिंगटन की जीवन कथा में यह सत्य बड़े अनूठे ढंग से चरितार्थ हुआ दिखाई देता है। 'ईस्ट एंड वेस्ट' के ताजा अंक में बुकर टी. वाशिंगटन पर श्री रोलां का एक बड़ा दिलचस्प लेख छपा है, जो हमारे पाठकों का ध्यान दिलाने लायक है।

बुकर का जन्म सन् 1858 के आस-पास हुआ था। जब तक वह गुलाम रहा, लोग उसे इसी नाम से जानते थे। अपने जन्म की सही तारीख और सन् का खुद उसे भी पता नहीं था। श्री रोलां ने लिखा है, 'उसकी हालत औसत दर्जे की थी। श्रीमती बीचर स्टाउ ने अपने उपन्यास में जिन पशुतुल्य मालिकों का जोरदार वर्णन किया है, वैसा उसका मालिक नहीं था। इसलिए उसे वे अत्याचार नहीं सहने पड़े, परंतु जो मालिक अपने गुलामों के प्रति दयालु थे, वे भी उन्हें तुच्छ जीवों- उपयोगी पालतू पशुओं- की तरह रखते थे। वे मानते थे कि अगर उनसे कसकर काम लेना है तो उन्हें ठीक तरह से खाने के लिए भी देना जरूरी है। इन पशुओं को दूसरे प्रकार के आराम देना तो वे जरूरी ही नहीं मानते थे। इन आरामों को वे गरीब जानें भी क्या?' गुलामों के मुक्त कर दिए जाने की घोषणा जब हुई तब बुकर-परिवार बागान को छोड़कर शहर में रहने चला गया। बुकर अनपढ़ था। परंतु उसके पढ़ने- लिखने की-शिक्षित बनने की-बड़ी इच्छा थी। इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा की प्रारंभिक बातों का अध्ययन शुरू किया और वह एक रात्रि पाठशाला में जाने लगा।

बौद्धिक प्रगति के इस कठिन काम में बहुत से गोरे सहायकों ने उसकी मदद की। इसमें से मुख्य जनरल आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने गृह-युद्ध में बड़ा काम किया था। श्री रोलां आगे लिखते हैं, 'जनरल आर्मस्ट्रांग एक पैगंबर-से थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन रंगदार जातियों की सेवा में अर्पित कर दिया था। वह उनकी जरूरतों को पूरी तरह जानते थे और उन्होंने हब्शियों और रेड इंडियनों की सेवा के लिए सन् 1898 में हैम्प्टन (वर्जीनिया) में एक खेती का तथा अध्यापन का काम सिखानेवाला विद्यालय खोला था, ताकि इन जातियों के युवक और युवतियाँ इसमें शिक्षा पाकर अपनी जाति में शिक्षकों का काम कर सकें।' हमारे चरित्र-नायक की बड़ी अभिलाषा थी कि वह इस संस्था में शिक्षा प्राप्त करे, इसलिए उसने एक फौजी अफसर के यहाँ नौकरी कर ली और जब उसके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया तब हैम्प्टन को चल पड़ा। उसे पाँच सौ मील का फासला तय करना था। 'एक रंगदार जाति का मनुष्य होने के कारण मार्ग में उसे और भी बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

गोरों के होटलों में उसे ठहरने नहीं दिया जा सकता था। अनेक बार उसे खुले में सोना पड़ा और अपना पेट भरने के लिए दिन-दिन भर काम करना पड़ा परंतु वह कभी झिझका नहीं। अंत में वह हैम्प्टन पहुँचा। उसकी सूरत-शक्ल और कपड़े इतने खराब और गंदे थे कि उसे शायद ही कोई अंदर आने देता। परंतु संस्था की व्यवस्थापिका को लगा कि शायद नौकर की दृष्टि से उसका कोई उपयोग हो सके। इसलिए उसे वहाँ रहने की इजाजत मिल गई। खाने और पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए उसने दरबान का, कमरों की सफाई का और हर तरह का काम किया। इतना सब काम करके भी कक्षाओं में अपनी पढ़ाई पर वह परिश्रमपूर्वक पूरा ध्यान देता रहा। 'जनरल आर्मस्ट्रांग बड़े सहानुभूतिशील पुरुष थे। वहाँ इतने

उद्यमी विद्यार्थी की तरफ उनका ध्यान न जाए, यह असंभव था। वह उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देने लगे। फलत: बुकर संस्था के सबसे अधिक प्रतिभा-संपन्न विद्यार्थियों में से एक साबित हुआ। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर उसका दृष्टिकोण और भी विशाल बन गया, और गरीबी तथा दूसरी तमाम प्रकार की कठिनाइयों से जूझने की नई शक्ति उसे प्राप्त हो गई। अब उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि इस ज्ञान का सबसे अच्छा उपयोग यही हो सकता है कि वह अपना जीवन अपने देश भाइयों की सेवा में लगा दे और उन्हें भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में मदद करे।

सुधार और प्रगति की इस संघर्ष भरी यात्रा में उसे कुमारी ओलीविया डेविडसन से बड़ी मदद मिली। इसके साथ आगे चलकर उसने विवाह भी कर लिया। इस यात्रा का परिणाम बहुत अच्छा निकला। उसकी बात का लोगों ने स्वागत किया और अब इतने अधिक विद्यार्थी संस्था में आने लगे कि वहाँ जगह की तंगी अनुभव होने लगी।.....

इस उच्च उद्देश्य को लेकर बुकर ने पहले एक छोटी- सी पाठशाला मालदेन में और बाद में वाशिंगटन में खोली। परंतु उसे शीघ्र ही हैम्प्टन से निमंत्रण मिला कि वहाँ जाकर वह संस्था में पढ़नेवाले रेड इंडियनों को पढ़ाने का काम स्वीकार कर लें। खुद हब्शी होने के कारण अमरीकी इंडियनों के साथ व्यवहार में उसे कुछ कठिनाई हुई, परंतु इसमें उसकी सौम्यता और चतुराई की विजय हुई और सारा विरोध शांत हो गया।

आज जिसे हम टस्केजी का आदर्श कॉलेज कहते हैं उसकी बुनियाद इस छोटे-से प्रारंभिक कार्य से ही पड़ी थी। बुकर के दिल में एक बात पक्की तरह से बैठ गई- हब्शियों के लिए आज सबसे जरूरी चीज यह है कि व्यापार, व्यवसाय और दस्तकारियों में ऐसे काम सीखें जिससे आर्थिक लाभ हो। वे अच्छे किसान बनें, अपने जीवन में बचत करना सीखें और फसल घर में आने से पहले जो साहूकार उन्हें अपनी फसल को रेहन रख देने के लिए ललचाते हैं, उनसे बचना सीखें। इस निश्चय को लेकर बुकर टस्केजी के लिए रवाना हुआ। और सन् 1881 में एक मामूली झोंपड़े के अंदर उसने अपनी पाठशाला का आरंभ कर दिया। परंतु केवल पाठशाला खोल देने से थोड़े ही काम चलता है ! अन्य अनेक नेताओं की भाँति उसे इस संस्था के लिए विद्यार्थी भी ढूँढ़- ढूँढ़ कर लाने का काम करना पड़ा। जैसा हम सोच सकते हैं, उसकी अक्षर-ज्ञान के साथ औद्योगिक शिक्षा को जोड़ देने की बात का लोगों ने शुरू-शुरू में उत्साह से स्वागत नहीं किया।

इसलिए अपनी पद्धति का लाभ लोगों को समझाने के लिए उसे जगह-जगह घूमना पड़ा। सुधार और प्रगति की इस संघर्ष भरी यात्रा में उसे कुमारी ओलीविया डेविडसन से बड़ी मदद मिली। इसके साथ आगे चलकर उसने विवाह भी कर लिया। इस यात्रा का परिणाम बहुत अच्छा निकला। उसकी बात का लोगों ने स्वागत किया और अब इतने अधिक विद्यार्थी संस्था में आने लगे कि वहाँ जगह की तंगी अनुभव होने लगी। परंतु बुकर, जो अब अपने नाम के साथ 'वाशिंगटन' भी लिखने लगा था, हारनेवाला नहीं था। उसने कर्ज लेकर सौ एकड़ का एक बाग खरीद लिया। अब औद्योगिक शिक्षण की अपनी कल्पना को कार्यान्वित करने का अच्छा अवसर उसे मिल गया। उससे पहले उसने अपने विद्यार्थियों को लेकर एक उपयुक्त इमारत खड़ी कर ली। इस काम में मिट्टी भी विद्यार्थियों ने ही खोदी और ईंटें भी उन्होंने बनाई तथा पकाई।

आज टस्केजी कॉलेज के पास उसकी अपनी चालीस इमारतें हैं। एक सुंदर ग्रंथालय भी है, जो श्री एंड्यू कार्नेगी की देन है। ये सब 2,000 एकड़ की जायदाद पर है। इनमें पंद्रह मकान भी शामिल हैं। इस सारी जायदाद का मूल्य एक लाख पौंड के करीब होगा। सालाना खर्चा 16,000 पौंड का है। 1,100 लोग वहाँ रहते हैं। हर विद्यार्थी पर वहाँ 10 पौंड खर्च होता है। भोजन-खर्च कुछ तो नकद लिया जाता है और कुछ परिश्रम के रूप में। चार वर्ष का अभ्यास-क्रम पूरा करने के लिए 40 पौंड काफी होते हैं। 200 पौंड जमा करने पर एक स्थायी छात्रवृत्ति का प्रबंध हो सकता है। बड़े-बड़े दानी पुरुषों से उसे दान प्राप्त होता है। अन्य लोगों से भी चंदा आता रहता है। यह सब

मिलाकर संस्था के स्थायी कोष में अच्छी रकम हो गई है।

सन् 1898 में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इस संस्था को अलाबामा में 25,000 एकड़ जमीन शिक्षा-प्रचार के हेतु प्रदान की है। कोई बीस राज्यों और प्रदेशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। कॉलेज में छियासी अध्यापक हैं। और भिन्न-भिन्न प्रकार के 26 उद्योग सिखाए जाते हैं। अपने पाठ्य विषयों के अलावा हर विद्यार्थी और विद्यार्थिनी को कोई-न-कोई एक व्यवसाय सीखना होता है। (ईंटें बनाने के काम में तो ये इतने कुशल हो गए हैं कि हर महीने उत्तम प्रकार की एक लाख ईंटें बना सकते हैं।) इसके अलावा वे खेती संबंधी कई क्रियाएँ सीखते हैं। स्त्रियाँ सादी सिलाई, कपड़े बनाना, स्वयंपाक, लोहा करना और दूध-मक्खन का काम, मुर्गी पालन तथा फलों की खेती संबंधी हर काम सीखती है। बागवानी टस्केजी की विशेषता है। वहाँ फार्म पर पाँच हजार नाशपाती के पेड़ हैं। छात्रों का अपना एक बाग भी है, जिसकी उपज बाजार में भेजी जाती है। बाग की योजना विद्यार्थियों की अपनी है और यह लगाया भी उन्होंने है। फिर उन्होंने एक ठंडा फार्मगृह बनाया है। इसमें बढ़ई का जितना भी काम था वह खुद विद्यार्थियों ने किया है। यहाँ साग-सब्जी की लागत और बिक्री का बराबर हिसाब रखा जाता है। हाल ही में परिचारिकाओं के प्रशिक्षण का महकमा भी वहाँ खुल गया है और बाल-शिक्षण की सुविधा भी है ही। कॉलेज के अहाते के अंदर बचत बैंक की स्थापना भी कर दी गई है। और कॉलेज का अपना एक डाकघर भी है, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा सरकार के प्रति जिम्मेदार है। कॉलेज से एक मासिक पत्र भी प्रकाशित होता है। अकेले हाथों और असंख्य कठिनाइयों की परवाह न करके श्री बुकर टी. वाशिंगटन ने इतना काम कर दिखाया। उनका भूतकाल भी ऐसा गौरवशाली नहीं था, जिससे उन्हें कोई प्रेरणा मिलती। बहुत से प्राचीन राष्ट्रों को इसका गर्व होता है। आज उनका प्रभाव इतना अधिक और व्यापक है कि काले-गोरे सब में वह समान रूप से लोकप्रिय हैं। कुछ समय पहले हमने अखबारों में पढ़ा था कि संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ने उन्हें ह्वाइट हाउस में निमंत्रित किया था। यह एक अभूतपूर्व बात थी। अमरीका में तो यह एक क्रांतिकारी घटना कही जाएगी, जहाँ कुछ समय पूर्व अगर किसी गोरे को हब्शी का स्पर्श भी हो जाता तो वह अपने-आपको अपवित्र हुआ मानता था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उनको 'मास्टर ऑफ आर्ट्स' की उपाधि से गौरवान्वित किया है। जब वह यूरोप की यात्रा पर गए थे तब उनके भाषणों में झुंड-के-झुंड लोग आकर्षित होते थे और उनकी सराहना करते थे। इस प्रकार का जीवन सब के लिए एक सबक के समान है।

उनका जीवन जो इतना सम्मानमय है, सो व्यर्थ नहीं। यह सम्मान उन्होंने धीरज के साथ वर्षानुवर्ष परिश्रम करके और अनेक दुख झेलकर अर्जित किया है। श्री वाशिंगटन अपने लिए दूसरा मार्ग भी पसंद कर सकते थे, जहाँ शायद वह दूसरों की दृष्टि में अधिक सफल होते। परंतु उन्होंने यह जरूरी समझा कि सबसे पहले अपने भाइयों को उठाएँ और उन्हें आनेवाले महान कार्यों के लिए तैयार करें। इस तरह अपने साथ-साथ उन्होंने अपने देश-भाइयों को इतना ऊँचा उठा दिया कि जिसका कोई माप नहीं किया जा सकता, और उनके तथा हम सबके सामने, जो-जो भी उनके जीवन से कुछ सीखना चाहे, एक अनुकरणीय उदाहरण पेश कर दिया। अपने देश-भाइयों से, अंत में, हम केवल एक बात और कहेंगे। हमारे देश में भी ऐसे कई पुरुष हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन देश को समर्पित कर दिया है। परंतु हमें कहना पड़ता है कि इस पुरुष का जीवन ऐसे प्रत्येक ब्रिटिश भारतीय से बढ़ जाता है। और उसका कारण केवल एक ही है- यह कि, हमारा अतीत अत्यंत महान और हमारी सभ्यता प्राचीन है। इसलिए हमारे लिए जो बात स्वाभाविक मानी जाती है, वह बुकर टी. वाशिंगटन के लिए बहुत बड़ी योग्यता की बन जाती है। जो हो, इस प्रकार के चरित्र का चिंतन सदा हितकर ही होता है। (इं. ओ., 10.9.1903)

स्टार्ट-अप महाकुंभ में प्रधानमंत्री का संबोधन

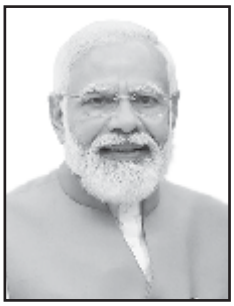

श्री नरेंद्र मोदी

स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा, और बार-बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं, एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। अब पीछे देर हो गई।

साथियो,

आज जब देश, 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्ट अप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे IT और Software सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में Innovation और Startup Culture का Trend लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। और इसलिए, स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। और मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि ये स्टार्ट अप वाले सफल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो कौन सी उनके अंदर एक genius element है जिसके कारण ये सफल हो जाते हैं। तो मुझे एक विचार आया आप लोग तय करना मैं सही हूं कि गलत हूं। जो आपकी टीम है जिसने इसको आर्गेनाइज किया है। क्योंकि आम तौर पर सार्वजनिक जीवन में उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है। और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है। धीरे-धीरे पहुंच रही है इधर से शुरू हुई है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है, वो सोचता है यार चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना? लेकिन आप लोग election declare हो चुका है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले पांच साल क्या होने वाला है। और मैं समझता हूं आपके अंदर ये जो genius चीज पड़ी है ना वो ही स्टार्ट अप को सफल बनाती होगी।

यहां Investors, Incubators, Academicians, Researchers, Industry Members, यानि एक प्रकार से सच्चे अर्थ में ये महाकुंभ है। यहां Young Entrepreneurs भी हैं और Future Entrepreneurs भी हैं। और जैसे आपमें genius talent है ना मेरे में भी है। और इसे मैं पहचान सकता हूं

अब हम भारत में Innovation और Startup Culture का Trend लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। और इसलिए, स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। और मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि ये स्टार्ट अप वाले सफल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो कौन सी उनके अंदर एक genius element है .....

इसमे Future Entrepreneurs मुझे दिखते हैं, मैं देख सकता हूं। ऐसे में ये Energy, ये Vibe] वाकई अद्भुत है। जब मैं Pods और Eñhibition Stalls से गुजर रहा था, तो ये Vibe मैं फील कर रहा था। और दूर कुछ लोग नारे भी लगा रहे थे। और हर कोई अपने इनोवेशन को बड़े गर्व के साथ दिखा रहा था। और यहां आकर किसी भी भारतीय को लगेगा कि वो आज के स्टार्टअप को नहीं बल्कि कल के यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न को देख रहे हैं।

साथियो,

भारत आज अगर Global Startup Space के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा-समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्ट अप्स को लेकर काम शुरू किया। अब ये समिट तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में आर्गेनाइज की है। लेकिन जब ये शब्द का भी स्टार्ट अप नहीं हुआ था। उस समय मैंने एक समिट की थी। विज्ञान भवन में बड़ी मुश्किल से आधा सभागृह भरा था। पीछे भी जैसे सरकार करती है जगह हमने भर दी थी। ये अंदर की बात है, बाहर मत बताना। और उसमें देश में जो नए-नए कुछ नौजवान और मैंने स्टार्ट अप इंडिया, स्टैन्ड अप इंडिया इसको लॉन्च करने की इस दिशा में मेरा प्रयास था। और मैं चाहता था कि उसमें मैं एक आकर्षण पैदा करूं, यूथ में एक मेसेजिंग का, तो कुछ लोगों ने जो initiative लिए थे, उनको खोजा देश भर में। भई कोई कोने में कुछ कोई करता है तो जरा देखो। और मैंने 5-6 लोगों को बुलाया था कि जरा भई आप भी वहां भाषण कीजिए मेरी कोई सुनेगा नहीं। अब सुनते हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। तो मुझे बराबर याद है उस फंक्शन में एक बेटी ने अपना अनुभव सुनाया। शायद यहां बैठी भी हो मुझे मालूम नहीं है और उसने वो मूल बंगाली है और मां बाप ने काफी पढ़ा लिखा कर के उसको तैयार किया। उसने अपना अनुभव बताया।

उसने कहा मैं, उसके माता-पिता भी पढ़े लिखे हैं। तो बोली मैं घर गई तो मेरी मां ने पूछा क्या कर रहे हो बेटा? काफी पढ़ लिख कर आई थी। तो उसने कहा कि मैं स्टार्ट अप शुरू करने जा रही हूं। तो उसकी मां ने कहा वो बंगाली थे- सर्वनाश, बोले सर्वनाश। यानि स्टार्ट अप यानि सर्वनाश। वहां से शुरू हुई ये यात्रा इसका एक सैंपल यहां नजर आ रहा है। देश ने Startup India अभियान के तहत Innovative Ideas को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में Incubators स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बाल वाटिका शुरू की अटल टैंकरिंग लैब। जैसे education में सबसे शुरू होता है ना केजी का। वैसे ही हमने शुरू किया और इससे फिर स्टेज आगे गया, Incubators centers बनते गए।

टीयर-2, टीयर-3, शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने Ideas को Incubate करने की सुविधा मिलने लगी। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा startup ecosystem सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया। ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है। और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रूकने का कोई कारण ही नहीं होता है। वो नई-नई ऊंचाईयों को प्राप्त करता ही जाता है।

भारत आज अगर Global Startup Space के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा-समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्ट अप्स को लेकर काम शुरू किया। अब ये समिट तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में आर्गेनाइज की है। लेकिन जब ये शब्द का भी स्टार्ट अप नहीं हुआ था। उस समय मैंने एक समिट की थी।

भारत की स्टार्ट अप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्ट अप्स सिर्फ Tech Space तक ही सीमित हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस even मैंने देखा है योगा में स्टार्ट अप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्ट अप शुरू हुआ है। और एक दो नहीं मैं थोड़ा मैं रूचि लेता हूं तो देखता रहता हूं

300-300, 400-400 की संख्या में है। और हरेक में एक से बढ़कर एक कुछ कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्ट अप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है।

साथियो,

स्पेस जैसे सेक्टर्स में जोकि हमनें अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया। पहले तो सरकार में जैसे स्वभाव रहता है जंजीरे बांध देना और मेरी पूरी ताकत जंजीरे तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्ट-अप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और already हमारे start up space satellite launch करने लगे हैं जी इतने कम समय में।

साथियो,

भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इसी सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने Startup Ecosystem निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा। हमारे यहां पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले और वहां महाराष्ट्रियन परिवारों से मेरा नाता जरा ज्यादा था तो एक गायकवाड स्टेट है। तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाकिया स्वभाव से कहते थे। अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है तो घर में चर्चा क्या होती है? मुलगा फार छान आहे, यानि बेटा बहुत अच्छा है। फिर क्या सरकारी नौकरी आहे बस। तो बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करता था- तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यहीं यार करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं। शुरूआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी। जिसके पास पैसा है, वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारे यहाँ धारणा बन चुकी थी। ये startup ecosystem ने उस सायकी को तोड़ दिया है जी।

और देश में जो revolution आता है ना ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने Job Seeker से ज्यादा Job Creator बनने का रास्ता चुना है। फिर जब देश ने Startup India अभियान शुरु किया है, तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत, दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम है। 2014 में जहां देश में कुछ सौ स्टार्ट अप्स भी नहीं थे, आज भारत में करीब सवा लाख रजिस्टर्ड स्टार्ट अप्स हैं। और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्ट अप्स ने लगभग 12 हजार पेटेंट्स फाइल किए हैं। और बहुत सारे स्टार्ट अप्स ऐसे हैं जो अभी तक वो पेटेंट के महत्व नहीं समझे हैं। मैं अभी भी मिलकर आया, मैंने पहला ही पूछा मैंने कहा पैटेंट हुआ क्या? नहीं बोले प्रोसेस में है। मेरा आप सबसे आग्रह है उस काम को साथ साथ चालू ही कर दीजिए। क्योंकि आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है पता नहीं कौन कहां हाथ मार ले। और देश ने कैसे इनकी हैंड होल्डिंग की है, उसका एक और उदाहरण है Gem पोर्टल।

यहां पर उसकी भी व्यवस्था है आप देख सकते हैं। आज ये स्टार्ट अप्स सिर्फ Gem Portal पर ही करीब 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। यानि सरकार ने एक प्लेटफार्म बनाया आप वहां पहुंचे और इतने कम समय में 20-22 साल की आयु के नौजवान 20 हजार करोड़ का कारोबार कर लें एक प्लेटफॉर्म पर ये बहुत बड़ी बात है जी। आप सभी इस बात के गवाह हैं कि आज का युवा अब, डॉक्टर, इंजीनियर के साथ-साथ, एक Innovator बनने का सपना, अपने स्टार्ट-अप का सपना भी देखने लगा है। ये मैं समझता हूं उसके पास जो टैलेंट है या जो उसकी ट्रेनिंग है स्टार्ट अप के माध्यम से वो एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। आज मैं देखता हूं कैसे युवा अपने स्टार्ट अप के दम पर अलग-अलग सेक्टर्स में छाए हुए हैं और मुझे तो पक्का विश्वास है कि 2029 का जब चुनाव आएगा ना। उस समय कम से कम 1000 स्टार्ट अप्स ऐसे होंगे जिसकी सेवाएं political पार्टियां लेती होंगी। वो ऐसे ऐसे चीजें लेकर के आएंगे और उसको भी लगेगा की हां यार इस तरीके से पहुंचना अच्छा है, ये सरल रास्ता है। यानि कहने का मेरा तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, communication का क्षेत्र हो, नौजवान नए ideas लेकर के आते हैं।

कम से कम requirement के साथ वो परफार्म करने लग जाते हैं। और मैं मानता हूं इसी ने इसकी ताकत बहुत बढ़ाई है। मैंने देखा आज जो traditional खानपान की चीजें हैं। उसमें बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, कोई मेडिकल के equipment इस प्रकार से बना रहे हैं कि बड़े आसानी से आप अपना देख सकते हैं। यानि कोई सोशल मीडिया के Global Giants से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। यही सपने हैं, यही स्पिरिट है, यही शक्ति है, इसलिए लोग कहते हैं मैं इसे करूंगा। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कुछ वर्ष पहले देश ने पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्ट अप लॉन्च किया था, वो सफलता की नई ऊंचाईयों को छू रहा है।

साथियो,

स्टार्ट अप्स को, देश के डिजिटल इंडिया अभियान से जो मदद मिली है, और मैं मानता हूं कि यूनिवसिर्टिज को इसे केस स्टडी के रूप में स्टडी करना चाहिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी inspiration है। हमारे फिन-टेक स्टार्ट-अप्स को UPI से बड़ी मदद मिली है। भारत में ऐसे Innovative Products और Services तैयार हुई हैं, जिससे देश के हर कोने में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। और साथियों आपको अंदाजा नहीं है कि हम जहां हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी है तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन मैं जी-20 समिट के समय देखता था हमने यहां एक बूथ लगाया था, जहां पर अभी आपका exhibition लगा है वहां जी-20 समिट में। और वहां यूपीआई कैसे काम करता है। हम एक एक हजार रुपया देते थे ताकि उनको ट्रायल रंग करने के लिए काम आए। हरेक एंबेसी अपने टॉप मोस्ट लीडर को वहां ले जाने का आग्रह रखती थी कि जरा वहां देखिए एक बार। यानि वहां लाइन लगी रहती थी बड़े-बड़े नेताओं की कि यूपीआई है क्या? काम कैसे करता है? और उनके लिए बड़ा अजूबा था। हमारे यहां गांव में सब्जी वाला भी बड़े आराम से कर लेता है।

साथियो,

इससे Financial Inclusion को बल मिला है, Rural और Urban Divide को देश कम कर पाया है। और दुनिया में शुरू में इसकी चिंता थी! जब digital progress होने लगा तो haves and have not वाली theory इसके साथ जुड़ गई थी। सोशल डिवाइड की बात हो रही थी। भारत ने technology को democritised कर दिया है। और इसलिए haves and have not वाली theory मेरे यहां चल नहीं सकती है। मेरे यहां सबके लिए सब कुछ है। आज एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनमें स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45 परसेंट से ज्यादा स्टार्टअप्स, इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, नारीशक्ति कर रही है। इस स्टार्ट अप का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता जी। ये पूरा additional benefit है देश को। हमारी बेटियां, Cutting & Edge Innovation से देश को समृद्धि की ओर ले जा रही हैं।

स्टार्ट अप्स को, देश के डिजिटल इंडिया अभियान से जो मदद मिली है, और मैं मानता हूं कि यूनिवसिर्टिज को इसे केस स्टडी के रूप में स्टडी करना चाहिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी inspiration है। हमारे फिन-टेक स्टार्ट-अप्स को UPI से बड़ी मदद मिली है। भारत में ऐसे Innovative Products और Services तैयार हुई हैं, जिससे देश के हर कोने में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

साथियो,

Innovation का ये Culture, विकसित भारत के निर्माण के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं। और मेरी ताकत पर नहीं आपके सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। भारत ने अपना ये विजन अपनी G-20Presidency के दौरान भी स्पष्ट किया है। इसी premises में जी-20 समिट हुई। विश्व के सभी बड़े नेता कोविड के बाहर दुनिया को कहां ले जाना इसके लिए बैठे थे। और इसी मंडप में मेरे देश का यंग माइंड बैठा है, जो 2047 तक जाने का रास्ता तय करने वाला है। भारत ने Startup-20 के तहत, दुनिया भर के स्टार्ट अप इकोसिस्टम को एक साथ लाने का

प्रयास किया है। इसी भारत मंडपम् में G20 के Delhi Declaration में पहली बार Startups को न सिर्फ Include किया गया, बल्कि उन्हें "Natural Engines Of Growth" भी माना गया। मैं जरूर कहूंगा की आप जी-20 का ये document जरूर देखें। यानि किस लेवल पर हम चीज को ले गए हैं।

अब हम AI Technology से जुड़े एक नए युग में हैं। और आज दुनिया इस बात को मानकर चलती है कि एआई मतलब इंडिया का अपरहैंड रहने वाला है। ये दुनिया मान कर चल रही है। अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है। और मैं काफी मदद ले रहा हूं, एआई की आजकल। क्योंकि मुझे मालूम है मुझे election campaign में language की सीमाएं आती हैं तो मैं एआई की मदद तमिल में भी मेरी बात पहुंचा रहा हूं, तेलुगू में पहुंचा रहा हूं, उड़िया में पहुंचा रहा हूं। तो आप जैसे नौजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है। पहले मैं देख रहा था कोई मुझे मिला था तो एक जमाना था, पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, धीरे-धीरे फोटोग्राफ मांगने लगे, अब सेल्फी मांगने लगे हैं। अब तीनों मांग रहे हैं- सेल्फी चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए। अब करें क्या। तो मैंने एआई वाली मदद ले ली, मैंने अपने नमो ऐप पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी, अगर मैं यहां से गुजर रहा हूं और कहीं पर एक कोने पर आपका आधा चेहरा भी आ गया तो ये एआई की मदद से आप निकाल सकते हैं, मोदी के साथ मैं खड़ा हूं। आप लोग नमो ऐप पर जाएंगे तो फोटो बूथ है वहां से फोटो मिल जाएगी आपकी। जरूर आया होगा मैं यहां से गुजरा हूं तो।

इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशसं की भावना मुझे पक्का विश्वास है, बहुत बड़ी मदद करेगी। भारत के युवा इनोवेटर जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, वो दुनिया के अनेक देशों की मदद करेगा। मैं पिछले दिनों कुछ एक प्रयोग करता रहता हूं। मैं दुनिया के कई देशों के साथ हमारे देश के बच्चों के हेकेथॉन करवाता हूं। तीस-चालीस घंटे ये बच्चे ऑनलाइन जुड़ करके हेकेथॉन करते हैं, मिक्स टीम बनती है, जैसे मानो सिंगापुर-इंडिया है तो सिंगापुर के बच्चे, इंडिया के बच्चे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।

साथियों

इसलिए भारत के यंग इन्वेस्टर्स के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एआई एक ऐसा क्षेत्र अनगिनत नए अवसर लेकर आया है। नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन, और सेमिकंडक्टर मिशन; ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। अभी कुछ महीने पहले मुझे अमेरिका की संसद को संबोधित करने के लिए उन्होंने बुलाया था, तो मैंने वहां एआई की चर्चा की। तो मैंने कहा, एआई दुनिया का भविष्य तय करने के लिए सामर्थ्यवान बनता जा रहा है। तो जितनी वहां समझ थी उतने हिसाब से तालियां बजीं। फिर मैंने कहा कि मेरा एआई का मतलब है अमेरिका-इंडिया तो पूरा सभागृह खड़ा हो गया।

साथियो,

लेकिन ये तो मैंने वहां पॉलिटिकल संदर्भ में कहा, लेकिन आज मैं जरूर मानता हूं कि एआई का सामर्थ्य, इसका नेतृत्व भारत के हाथ में ही रहेगा और रहना भी चाहिए। इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशसं की भावना मुझे पक्का विश्वास है, बहुत बड़ी मदद करेगी। भारत के युवा इनोवेटर जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, वो दुनिया के अनेक देशों की मदद करेगा। मैं पिछले दिनों कुछ एक प्रयोग करता रहता हूं। मैं दुनिया के कई देशों के साथ हमारे देश के बच्चों के हेकेथॉन करवाता हूं। तीस-चालीस घंटे ये बच्चे ऑनलाइन जुड़ करके हेकेथॉन करते हैं, मिक्स टीम बनती है, जैसे मानो सिंगापुर-इंडिया है तो सिंगापुर के बच्चे, इंडिया के बच्चे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने देखा है कि भारत के बच्चों के साथ हेकेथॉन करने के लिए दुनिया में बहुत बड़ा आकर्षण पैदा हुआ है। फिर मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम जमोगे नहीं उनके साथ, बोले साहब जमेंगे नहीं तो सीखेंगे तो। दरअसल, भारत में जो इनोवेश Tried और Tested होगा वो दुनिया की हर ज्योग्राफी और डेमाग्राफी में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे यहां सब नमूने हैं। यहां रेगिस्तान भी मिलेगा, यहाँ बाढ़ वाला इलाका भी मिलेगा, यहां पर

मीडियम पानी वाला भी है, यानी हर प्रकार की चीज आपको एक ही जगह पर सब मौजूद है। और इसलिए यहां जो सक्सेस हुआ, वो दुनिया में कहीं पर भी सक्सेस हो सकता है।

साथियो,

भारत लगातार इस विषय में फॉर्वर्ड प्लानिंग करते हुए चल रहा है। देश ने हजारों करोड़ रुपयों के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का निर्णय लिया है। थोड़े समय पहले इसका निर्णय लिया गया आपने देखा होगा। और अंतरिम जो बजट हमने रखा था, हमारे देश में कुछ चीजों की चर्चा करने के लिए लोगों को फुरसत नहीं है क्योंकि फालतू चीजों में उनका टाइम बंट जाता है। इस अंतरिम बजट में, क्योंकि पूरा बजट तो अभी जब मैं दोबारा आऊंगा तब आएगा। इस अंतरिम बजट में बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश के हर नौजवान को पता होना चाहिए। Research और innovation के लिए एक लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। इससे 'sun-rise technology areas' में लंबे समय तक चलने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मदद मिलेगी। भारत ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए बेहतरीन कानून भी बनाया है। स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी कदम जरूरी है, वो सारे उठाए जा रहे हैं। अब देश फंडिंग का एक बेहतर मैकेनिज्म बनाने का भी प्रयास कर रहा है।

साथियो,

आज जो स्टार्ट-अप्स सफल हो रहे हैं, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपको ये तो ध्यान रखना है कि आपके आइडिया पर किसी ने भरोसा किया है तभी आप यहां पहुंचे हैं। इसलिए आपको भी एक नए आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए। कोई तो था, जिसने आपका हाथ पकड़ा था, आप भी किसी का हाथ पकड़िए। क्या आप किसी Educational Institutions में युवाओं को प्रेरित करने के लिए Mentor के रूप में जा नहीं सकते? मान लीजिए आपने दस tinkering lab ले लिए। जाएंगे, उन बच्चों से बातें करेंगे, आपके आइडियाज, उनके आइडियाज, ये चर्चा करेंगे। Incubation centre पर

जाएंगे। एक घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, मैं रुपये-पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूं। देश की नई पीढ़ी से मिलिए दोस्तो, मजा आ जाएगा। आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में Students से मिल करके उन्हें गाइड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कहने के लिए एक सक्सेस स्टोरी है। उसको सुनने के लिए युवा मन तैयार है।

आपने खुद को साबित किया है, अब आपको दूसरे नौजवानों को दिशा दिखानी है। देश हर कदम पर आपके साथ है। मैं यहां दो और भी बात कहना चाहता हूं। ये जो मैं सरकार में काम करता हूं, थोड़ा अंदर की बात बताता हूं, मीडिया में नहीं जानी चाहिए। मैंने सरकार में एक बार कहा आ करके, नया-नया यहां आया था दिल्ली। यहां के

कल्चर का ज्यादा पता नहीं था मुझे। मैं बाहर का व्यक्ति था। मैंने सरकार से कहा, ऐसा करो भाई तुम्हारे यहां ऐसे problem department में हैं जो लंबे समय से अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं। तुम लोग कोशिश कर रहे हो लेकिन solution नहीं आ रहा है। ऐसे identify करो। और मैं देश के नौजवानों को एक problem दूंगा, उनको कहूंगा हेकेथॉन करो और इसका मुझे solution दो। तो खैर, हमारे बाबू लोग तो बहुत पढ़े-लिखे रहते हैं, बोले साहब कोई जरूरत नहीं है, हमारा बीस-बीस साल का अनुभव है। अरे- मैंने कहा यार भई क्या जाता है। शुरू में मुझे बहुत resistance था क्योंकि कोई मानने के ही तैयार नहीं था कि हमारे यहां कोई अटका हुआ है, हमारे यहां कोई लटका हआ है, हमारे यहां रुका हुआ है; कोई मान ही नहीं रहा था; सब कह रहे थे साहब बहुत बढ़िया चल रहा है।

अरे मैंने कहा, भई बढ़िया चल रहा है तभी तो value addition होगा। अगर नहीं होगा तो वो देखेगा कि क्या बढ़िया है, जाने दो ना बाहर। खैर, बड़ी मुश्किल से सब डिपार्टमेंट ने मुझे..मैं बहुत पीछे पड़ गया तो निकाल-निकाल करके दिया कि साहब ये एक समस्या है। तो टोटल लगाया तो कुल 400 निकलीं। अब वो तो शायद मुझे लगता है .1 पर्सेंट भी नहीं बताया होगा। मैंने देश के नौजवानों का हेकेथॉन किया और उनको ये समस्याएं दे दीं। मैंने कहा- इसका solution लेकर आओ। आप हैरान हो जाएंगे जी कि इतने बढ़िया solutions दिए उन्होंने, way out दिए उन्होंने और कई 70-80 पर्सेंट आइडियाज उन बच्चों के सरकार ने adopt कर लिए। फिर स्थिति ये बनी कि हमारे डिपार्टमेंट मुझे पूछने लगे, साहब इस साल हेकेथॉन कब होगा। उनको लगा कि भाई अब solution तो यहीं पर मिलेगा।

यानी कहने का तात्पर्य है कि इनके पास जो मिलते हैं बच्चे बैठते हैं, बहुत चीजें निकाल कर लाते हैं। और ये 18, 20, 22 साल के नौजवान हैं जी। मैं कहूंगा, ये जो हमारे बिजनेस के जो सीआईआई है, फिक्की है, एसोचौम है, मैं उनको कहता हूं कि वो अपनी-अपनी इंडस्ट्री की problem identify करें। Problem identify करके वे ये स्टार्टअप का हेकेथॉन करें। और उनको problem दें। मैं पक्का मानता हूं ये बहुत बढ़िया solution लाकर देंगे आपको। उसी प्रकार से मैं MSMEs के लोगों को कहूंगा कि आप अपने problems निकालिए, technical hurdles होंगे, समय बहुत ज्यादा होगा, smoothness नहीं होगी manufacturing में, defective production होता होगा, बहुत सी चीजें होंगी। आप देश के students के पास जाइए, उनका हेकेथॉन आप करिए। MSMEs के लोग खुद और सरकार को कहीं पर मत रखिए। हम ये दो एरिया में अगर मेहनत शुरू करें तो देश का young talent हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान देंगे और हमारी young talent को इसमें से आइडिया मिलेगा कि हां, ये भी क्षेत्र हैं जहां मैं काम कर सकता हूं। हमें इस स्थिति में जाना चाहिए और मैं मानता हूं कि र्स्टाटअप महाकुंभ में से कुछ actionable point निकलने चाहिए। उन actionable point को हम ले करके आगे चलें। और मैं आपको वादा करता हूं, अभी एक, डेढ़-दो महीने मैं जरा और काम में व्यस्त हूं, लेकिन इसके बाद मैं आपके लिए available हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें, नए स्टार्ट अप बनाएं, खुद की भी मदद करें, दूसरों की मदद करें। आप इनोवेशन जारी रखें, इनोवेटर्स को अपना सहयोग जारी रखें। आपकी Aspirations ही भारत की Aspirations हैं।

भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकॉनॉमिक बना दिया और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे देश के नौजवान की है, आपकी है। अब भारत को, और मैंने दुनिया, हिन्दुस्तान को गारंटी दी है कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनॉमी बना करके रहूंगा। और ये जंप जो है उसमें स्टार्ट-अप्स की बड़ी भूमिका होगी, मैं देख सकता हूं ये।

साथियो,

मुझे अच्छा लगा, आप सबसे गप्पे-गोष्ठी करने का। आप सब नौजवानों से, आपका उत्साह, उमंग, मेरे में भी एक नई ऊर्जा भर देता है।

(20 मार्च 2024 को भारत मंडपम् में दिया गया भाषण)

गांधी-आंबेडकर और पंचायती राज

प्रो. रमेश कुमार

पंचायती राज समकालीन स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण शासन का अभिन्न अंग है। भारत में कार्यरत करीब दो लाख साठ हजार ग्राम पंचायत एक सच्चाई है। विकास के लिए सभी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को जमीनीं स्तर पर गांव में बसने वाले लोगों तक लाभ इन्हीं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से 600 जिलों के 7000 ग्रामों तक पहुँचाया जाता है। सरकार के उज्ज्वला योजना, स्वच्छता, पक्का घर, पक्का शौचालय, पक्की सड़क, आंगनवाड़ी, मनरेगा, मुफ्त राशन और मुक्त शिक्षा जैसे लाभजनक कार्यक्रमों का लाभ इन्हीं संस्थाओं में माध्यम से मिलता है। यहां तक कि ग्रामीण विद्युतीकरण और नल से जल भी पंचायती राज की बुनियादी इकाई यानि ग्राम पंचायत के माध्यम से ही जमीनी स्तर पर उतारा जाता है। यही कारण है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभार्थीगण से संवाद करने के लिए इन्ही ईकाइयों का उपयोग करने की बात प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने भी की थी। पंचायती राज संस्थाओं की सामाजिक प्रासंगीकता में भी अहम भूमिका है। पंचायती राज संस्था एक जमीनी है, जनतांत्रिक है और प्राचीन भारत से वर्तमान समय तक किसी न किसी रुप में जीवित और कार्यरत है। इसीलिए इसे सनातनी संस्था भी कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। भले ही इस संस्था पर अलग-अलग विचार भी लोगों के क्यों न हों? इन पंचायती राज पर परस्पर विरोधी विचार रखने वालों में बापू यानि महात्मा गांधी और बाबा यानि डॉ. भीमराव आंबेडकर का नाम उल्लेनीय है। इसीका विश्लेषण इस लेख का उद्देश्य है।

पंचायती राज संस्थाओं की सामाजिक प्रासंगीकता में भी अहम भूमिका है। पंचायती राज संस्था एक जमीनी है, जनतांत्रिक है और प्राचीन भारत से वर्तमान समय तक किसी न किसी रुप में जीवित और कार्यरत है। इसीलिए इसे सनातनी संस्था भी कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। भले ही इस संस्था पर अलग-अलग विचार भी लोगां के क्यों न हों?

गांधी और आंबेडकर पंचायत व्यवस्था पर आमने-सामने-

आधुनिक काल में महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर दोनों ही विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था के समर्थक थे। लेकिन ग्रामीण भारत के सुशासन में पंचायत व्यवस्था पर दोनों के विचार परस्पर विरोधी थे। महात्मा गांधी पंचायत व्यवस्था के लिए समर्पित थे। इनका मानना था कि भारत की आत्मा गांव में रहती हैं क्योंकि अधिकतर

आबादी गांव में निवास करती है। यही जात-पात, छूआ-छूत, लिंग भेद, अशिक्षा और गरीब का बड़ा जमावड़ा है। यहीं गरीबी और अस्वच्छता वाली गंदगी है। मिट्टी का घर और गोबर का ढेर बहुतायत गांवों में ही है। गांव ही असली भारत है। सनातनी सभ्यता का प्रतीक भी यहीं गांव है। शहरी सभ्यता तो पाश्चात्य और औपनिवेशिक प्रभाव का प्रतीक है। गांव एकेती जनित उद्योग और स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यदि यहां के व्यक्ति, परिवार, टोला, गांव और गांवों के समूह का समुद्रिकचक्र (Oceanic Circle) के तर्ज पर विकास हो तो समस्त देश का विकास हो जायेगा। उदाहरण के तौर पर समुद्र के वृत का कोई भी चक्र एक-दूसरे को रोकने के बजाय उसे और फैलने का जगह और सहारा देता है। अगर व्यक्ति गांव और गांवों का समूह अपने चारों तरफ के गांवों का विकास में सहायक हो तो यह विकास चक्र फैलते-फैलते पूरे गांव, प्रखंड, जिला, प्रदेश और पूरे देश का विकास हो जायेगा। बस यही समुद्रीचक्र के विकास की संस्कृति होनी चाहिए। गांव में कृषि जनित उद्योग ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। इससे ग्राम की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी। गांव से शहर की ओर एकतरफा पलायन पर भी लगाम लगेगा। गांव विकास का केन्द्र बनेगा और इसके लिए पंचायती संस्थाएं ही सर्वथा उपयुक्त है। गांधी के लिए गांव ही आदि और गांव ही अंत है और इनके विकास से ही देश के विकास का मार्ग प्रशस्थ होने की संभावना है।

माननीय बाबा साहब भीमराव आंबेडकर गांधी के इस पंचायत व्यवस्था के महिमामण्डन से सर्वथा असहमत थे। इनका मानना था कि गांव संकुचित स्थानीयतावाद से ग्रसित है। वहां रहने वालों का दृष्टिकोण व्यापक नहीं है गांव में अज्ञानता और अंधेरा का डेरा है। लोग अशिक्षित हैं। जाति और धर्म का वहां बोलबाला है। गांव सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं का केन्द्र है। यही कारण है कि वहां ब्राहम्णवादी व्यवस्था का राज है। अस्पृश्यता की पुरानी कुरीति की शुरुआत भी यहीं हुई और यहीं ग्रामीण वातावरण में इसे कार्यान्वित, पुष्पित और पल्लवित किया गया। यह सदियों से जाति जनित और शोषित जनित समाज की जननी रही है। ग्रामवासियों को इनके पंच परमेश्वर के हवाले सौंपने का अर्थ है कि एक असमानता और अस्पृश्यता मूलक गैर बराबरी वाली व्यवस्था को संवैधानिक और कानूनी मान्यता प्रदान करना। सामाजिक भेद-भाव को संस्थागत मजबूती प्रदान करना। यहां स्वर्णों को पंचायत होगा और सामंती स्वर्णों का पंचायती राज होगा। जहां पंचायत वहां शोषण। सामाजिक परिवर्तन के बिना पंचायती राज एक पुरातन एवं अनुदारवादी व्यवस्था होगा। छोटी, वंचित, दलित, बहुजन, हरिजन की शिक्षा, संगठन, जागरुकता, आंदोलन और सशक्तिकरण के बिना कोई पंचायत और पंचायती राज न्यायपूर्ण नहीं होगा। इसके पहले पंचायती राज की कोई भी वकालत सामाजिक अन्याय की हिफाजत के पक्ष में होगा। आंबेडकर के अनुसार अस्पृश्ता की समाप्ति, अशिक्षा की समाप्ति, जात-पात की समाप्ति पंचायती राज की स्थापना के पूर्व की प्राथमिक और प्राकृतिक आवश्यकता है इसी परिवर्तन को बल देने के लिए बाबा साहब ने समाज की आधी वंचित आबादी महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पुश्तैनी सम्पत्ति में हिस्सेदारी की वकालत की थी। बाबा साहब ने गांधी के ग्रामीण स्थिति में सुधार के बिना पंचायती राज को लागू करने का पुरजोर विरोध इन्ही आधारों पर किया था और कहा कि गांव के लिए पंचायती राज अभी पूर्णतः अनुपयुक्त है।

भारतीय संविधान और पंचायती राज-

पंचायती राज भारतीय राजनीति की परंपरागत व प्राचीन संस्था है। इसके बावजूद भी संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया प्रथम मौलिक प्रारुप में पंचायती राज का जिक्र तक नहीं किया गया था। इससे स्वतन्त्रता

आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को काफी निराशा और हताशा मिली। इसके बाद द्वितीय दस्तावेज में संविधान के चौथे अध्याय के नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत धारा 40 में पंचायती राज को स्थान मिला। इसे राज्य सूची में शामिल भी किया गया। संविधान के आर्टिकल 40 में वर्णन किया गया कि ''राज्य सरकारें पंचायतीराज संस्थाओं की स्थापना करने का प्रयास करेंगी और ऐसी नीति बनाएंगी जिससे पंचायती राज संस्थाओं को सफलतापूर्वक अपने कार्यों का सम्पादन करने में सहायता मिलेगी''। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने गांव में सुशासन लाने के लिए सर्वप्रथम सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जैसे कार्यक्रमों को लागू किया। इन कार्यक्रमों की असफलता के बाद बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और पंचायती राज की रुप-रेखा पर विस्तृत अनुमोदन के लिए सुझाव मांगे। मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की स्थापना की संस्तुति दी। संस्तुति के अनुसार समस्त भारत में राज्यों में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रण्ड/जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की स्थापना होनी थी। ये त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू भी हुआ। इनके चुनाव भी हुए। लेकिन ये भी कई कारणों से सफल नहीं हो पाये। फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आयी और इस सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज के लिए दूसरी समीति का गठन किया। अशोक मेहता ने अपनी रिपार्ट में बीच के स्तर यानि प्रण्ड/जनपद पंचायत को अनावश्यक बताते हुए इसे समाप्त करने की सलाह दी। अब द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की जाने लगी। लेकिन यह भी लम्बे समय तक नहीं चल सका और फिर पंचायत को कैसे सफल बनाया जाये, कैसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाये इत्यादि पर चर्चा के लिए अनेक आयोग बैठाये गये। इन आयोगों में जी०बी०के० राव, एल०एन० सिंघवी इत्यादि कमेटी उल्लेखनीय है। इन समितियों ने पंचायती संस्थाओं को संवैधानकि मान्यता, कानूनी पहचान, नियमित चुनाव और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की सलाह दी ताकि पंचायती राज संस्था नियमित और सुचारु रुप से कार्य कर सके।

गांधी-आंबेडकर के सपनों का पंचायती राज और तिहत्तरवां सवैंधानिक संशोधन-

1970 के उत्तरार्ध में विकेन्द्रीकरण पर पूरी दूनिया में जोर दिया जा रहा था। भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारत का केन्द्रिय नेतृत्व राज्य सरकारों के नीचे जिला, प्रण्ड और पंचायत तक विकास के फायदे को सीधा पहुंचाना चाहता था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिला ने मजिस्ट्रेटों से और विकास पदाधिकारियों से सीधा बात करना शुरू कर दिया था। संक्षेप में राजीव गांधी पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत कर उन्हें ग्रामीण विकास के लिए सभी शक्तियों का हस्तान्तरण करना चाहते थे। 1980 के दौरान बैठाये गये आयोगों ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने, नियमित चुनाव की व्यवस्था करने व पर्याप्त वित्तीय संसाधन करवाने की अनुशंसा की थी। यहां तक तो सही था। लेकिन संविधान सभा में आंबेडकर द्वारा उठाया गया शंका का समाधान करना था कि गांव में बसने वाले दलित, गरीब, पिछड़ा, कमजोर और महिलाओं को इसमें कैसे शामिल किया जाये ताकि वो ठगा महसूस न करें। इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए संविधान में संशोधन करने की बात हुई जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान भी किया गया। इन सभी प्रावधानों को शामिल कर राजीव गांधी जी ने संविधान 64 वां संशोधन लोकसभा से पास कराया। लेकिन राज्यसभा में बहुमत के अभाव में यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। फिर उनका आकस्मिक निधन हो गया। आगे 1991 में जब पुनः कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय

पी०वी० नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तब उन्होनें इस पंचायती राज से सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव को पुनः लोकसभा में पास कराया, राज्यसभा से भी पास कराया और माननीय राष्ट्रपति से भी सहमति प्राप्त की। इस पंचायती राज से सम्बन्धित इस ऐतिहासिक 73वां संशोधन, 1993 के नाम से जाना जाता है।

संविधान के इस एतिहासिक संशोधन के बाद पंचायती राज के तीनों स्तर को संवैधानिक एवं कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। प्रत्येक 5 वर्षों पर इन सभी निकायों को चुनाव निश्चित तौर पर सुनिश्चित किया गया। इसके कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्यों के चुनाव आयोग की स्थापना की गयी। इन पंचायती राज संस्थाओं को नियमित तौर पर पर्याप्त धनराशि मुहैया कराने के लिए राज्य वित आयोग का भी गठन किया गया। प्रत्येक राज्यों में चुनाव भी होने लगे। करीब 66 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को पंचायती राज प्रतिनधि के रुप में चुना गया। इनके प्रशिक्षण के लिए कई कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस तरह देते हैं कि आजादी के करीब 4 दशक बाद गांधी के पंचायतीराज संस्थाओं को सफलता पूर्वक लागू किया गया और इसमें बाबा साहब आंबेडकर के आशंकाओं को दूर करने के लिए कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व भी दिया गया।

गांव में स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, औषधालय, बिजली, पक्की सडकें, पक्का मकान और अधिकतर घरों में पक्का शौचालय एवं नल से आना वाले जल की सुविधा भी उपलब्ध है। सिर्फ इतना ही नहीं आरक्षण से आये पंचायती राज के प्रतिनिधियों में भी काफी जागरुकता आयी है और एक जागरुक नेतृत्व तैयार हुआ है जो प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

ग्रामसभा, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों को भी बारी-बारी से आरक्षित किया गया। लेकिन सर्वे के दौरान पाया गया कि आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि और महिला सरपंच व पंच एवं प्रखण्ड व जिला अध्यक्ष भी स्वतन्त्र रुप से बहुत दिन तक काम नहीं कर पाये। इनके स्थान पर इनके मालिक, पति, देवर अथवा ससुर ही अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। लेकिन अब धीरे-धीरे तस्वीर बदल रही है और आरक्षित वर्ग के पुरुष प्रतिनिधि एवं महिलायें भी अपनी जिम्मेवारी बहुत हद तक स्वतन्त्रता पूर्वक संभाल रहीं है। लोगों में भी अपने अधिकारों के प्रति समझदारी और सजगता आ गयी है। अब गांव में आमतौर पर अज्ञानता, अंधेरा और गोबर का ढेर नहीं है। विगत तीन दशक से ज्यादा समय से पंचायती राज संस्थायें सफलतापुर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। गांव में स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, औषधालय, बिजली, पक्की सडकें, पक्का मकान और अधिकतर घरों में पक्का शौचालय एवं नल से आना वाले जल की सुविधा भी उपलब्ध है। सिर्फ इतना ही नहीं आरक्षण से आये पंचायती राज के प्रतिनिधियों में भी काफी जागरुकता आयी है और एक जागरुक नेतृत्व तैयार हुआ है जो प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गांधी के अंतिमजन और आंबेडकर के अनुसूचित-वंचित समाज का भी बहुत हद तक उद्धार और उन्नति हुई है। अस्पृश्ता समाप्त तो नहीं हुआ है लेकिन बहुत हद तक कम हो गया है। जात-पात सामाजिक और सांकृतिक संदर्भ में कम है। अब तो यह केवल राजनीतिक गणित का विषय रह गया है। सामाजिक समरसता और साम्प्रदायिक भाई चारा भी कम से कम गांव में तो है। इसलिए दंगा गांव का मुद्दा नहीं है। गांव आज भी सामाजिक समरसता और भाई चारा के केन्द्र है। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के सफल कार्यों को श्रेय दिया जाना चाहिए।

सरकारी मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार 2 लाख 60 हजार पंचायत के लिए करीब 31 लाख 98 हजार 6 सौ निर्वाचित पचायती राज प्रतिनिधि हैं। फिर 5 हजार 7 सौ 36 मध्य स्तरीय जनपद/प्रण्ड पंचायत के करीब 1 लाख 51 हजार 4 सौ 12 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जिला स्तर प्रत्येक जिला में जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद अध्यक्ष भी चुने जाते हैं जिनकी संख्या करीब 12000 सदस्य और करीब 600 जिला अध्यक्ष है। आंबेडकर की आशंकाओं को दूर करने के लिए और वंचित वर्ग की भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए इनमें से दो तिहाई यानि 33 प्रतिशत अनुसूचित जाति-जनजाति और 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित किये गये हैं। आरक्षण का आलम यह है कि बाद में इसमें पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। कई राज्यो में तो आरक्षण की सीमा 50-60 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। संक्षेप में सामाजिक अभियन्त्रीकरण और पंचायती राज करीब-गरीब एक दूसरे के पर्याय हो गये हैं। इससे जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय की संकल्पना को काफी बल मिला है। विगत पिछले 30 साल में पंचायती राज संस्थाएँ गांधी और आंबेडकर के सम्मिलित सपने को साकार करने में लगा है और भारत के गांव आज विकास की गतिविधि का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों के आंकलन और विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाएँ भारतीय राजनीति और शासन के अभिन्न अंग के रुप में न केवल स्वीकारा गया है बल्कि पिछले तीन दशक से सफलता पूर्वक कार्य कर स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के क्षेत्र में एक नया अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। आशा है कि भविष्य में भी केन्द्र और राज्य सरकारें इन जमीनी स्तर पर काम करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त सहायता उपलब्ध करायेगी। इससे ग्रामीण क्रांति को बल मिला है और आगे भी बल मिलता रहेगा। यही हमारी कामना, इच्छा और 140 करोड़ भारतीयों का साझा अरमान है।

संदर्भः-

1. कुमार, रमेश (1996): संविधान तिहत्तरवां संशोधन अधिनियम 1993 और पंचायती राज, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार सितम्बर, 1996
2. कुमार, रमेश (1997): सत्ता का विकेन्दीकरण, विकास और पंचायती राज (हिन्दी), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार अक्टूबर, 1997
3. गांधी, एम.के. (1963): ग्राम स्वराज (संकलित), नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1963
4. गांधी, एम०के० (1949): इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1949
5. झा, प्रदीप कुमार (2010): रिविजिटिंग गांधी ऑन विलेज एडमिनीशट्रेशन, जर्नल ऑफ गांधीयन स्टडीज, गांधी भवन, पंजाब यूनिवर्सीटी, चण्डीगढ, 2010
6. सौरव विजय कुमार (2019): बी०आर० आंबेडकर व्यूज ऑन पंचायती राजः सोशल जस्टिस कास्ट एनालेसिस एण्ड डिसेन्टेलाईजेशन WWW.slidesaurab.hhttps, 2019,
7. सिंह, एम०पी० एण्ड सक्सेना रे (2022) इण्डियन पॉलिटिक्सः कान्सटीच्यूशनल फाउन्डेशन एण्ड इन्स्टीच्यूशनल फंक्शन, पी०एच०आई० लर्निंग, दिल्ली, 2022

(रमेश कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल (सांध्य) कॉलेज के राजनीति विभाग में प्रोफेसर, पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य एवं हरिजन सेवक संघ के पूर्व सचिव हैं।)

आंबेडकर और समरस समाज का स्वप्न

प्रो. नामदेव

बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपने जीवनकाल में स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, कार्यालयी व्यक्तियों के लिए बहुत सारे ऐसे कानूनी और सांगठनिक प्रावधान किए जिससे आम आदमी का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके और वह राष्ट्र निर्माण में अपना रचनात्मक योगदान दे सके। वास्तव में बाबासाहब डॉ. भीमराव आंबेडकर सबके नेता थे। उनके चिंतन में किसान, मजदूर, औरत, अल्पसंख्यक जैसे वंचित तबकों के सभी लोग शामिल थे। आंबेडकर की सोच समावेशी थी, बहुलतावादी थी। वैश्विक थी वर्ण, वर्ग और लिंग के आधार पर दुनिया में आज भी शोषण और भेदभाव का बोलबाला है। चाहे अमीर गरीब देशों का सवाल हो, चाहे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में नस्ली भेदभाव का सवाल हो। आंबेडकरवादी दर्शन सिर्फ इंसानियत के लिए इंसानियत के साथ खड़ा है। एक बेहतर इंसानी लोकतांत्रिक समाज का नवनिर्माण और वंचितों की हिस्सेदारी-भागीदारी सुनिश्चित कराना भीमराव आंबेडकर की मुख्यचिंता थी। इसलिए आंबेडकर की विचारधारा भारत समेत पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आंबेडकरवादी दर्शन हर तरह के भेद और शोषण का खंडन करता है। बराबरी की वकालत करता है। शांति, मोहब्बत, भाईचारा, समता, करूणा के भाव से लबरेज बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर एक सशक्त वैज्ञानिक जीवन दर्शन के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ज्ञान के महासागर हैं जिसमें जितना गोते लगाया जाता है, हर बार कुछ न कुछ ज्ञानरूपी मोती हासिल हो ही जाते हैं। इन मोतियों को संभालने के लिए भी चट्टान जैसे धैर्य और अनंत आकाश जैसे मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। जब कार्लमार्क्स दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा देते हैं तब वह दुनिया के सारे शोषित, वंचित, सर्वहारा वर्ग के लोगों को आंदोलित करते हैं कि वे एक होकर राजनीतिक शक्ति हासिल करें और सामाजिक परिवर्तन करके अपनी जिंदगी सुधारें। यही परिवर्तन उनके सामाजिक अस्तित्व को सुरक्षित करेगा। ठीक इसी तरह भारतीय उपमहाद्वीप में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर वंचितजन के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए 'शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, का नारा बुलंद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप के सम्पूर्ण दलित, शोषित, पीड़ितों को एकजुट होकर अपने मानवीय, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान

आंबेडकरवादी दर्शन हर तरह के भेद और शोषण का खंडन करता है। बराबरी की वकालत करता है। शांति, मोहब्बत, भाईचारा, समता, करूणा के भाव से लबरेज बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर एक सशक्त वैज्ञानिक जीवन दर्शन के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ज्ञान के महासागर हैं जिसमें जितना गोते लगाया जाता है.....

करते हैं। वास्तव में डॉ. भीमराव आंबेडकर खुद जाति और वर्ण व्यवस्था के शिकार बने थे। उन्होंने जाति के नाम पर तथाकथित सवर्ण समाज द्वारा सामाजिक बहिष्कार और अपमान के दंश को झेला था। इन जातिगत अनुभवों से स्वत: संज्ञान लेते हुए बाबासाहब आंबेडकर ने वर्ण और जाति भेद के खिलाफ आवाज बुलंद की। आजीवन समता और सामाजिक न्याय के सवालों को उठाते रहे। भारत में दलितों की आबादी 16 फीसदी है। इतिहासकार दलितों को भारत का मूल निवासी बताते हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक तौर पर वह हिंदू ही थे, लेकिन हिंदुओं की जाति व्यवस्था में उन्हें सभी जातियों में नीचा करार दिया गया। गंदगी के सारे काम उन्हें सौंप दिए गए। उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। सामाज शास्त्रियों का कहना है कि पिछले ढाई हजार साल से भारत में दलितों के खिलाफ लगातार जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया, भेदभाव बरता गया, वैसा शायद दुनिया की किसी और सभ्यता में हुआ हो। वास्तव में प्राचीन और मध्यकालीन दौर में दलितों और गुलामों की स्थिति पूरी दुनिया में एक जैसी थी। भारत में दलित गुलाम थे और दुनिया के गुलाम दलितों जैसे थे। लेकिन दलित गुलाम के साथ-साथ 'अछूत' थे जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। बाबा साहब डॉ. आम्बेडकर, सम्पूर्ण वाङ्मय खंड-9, भाग-lll, समस्या की जड़ें, पृष्ठ 122 पर, बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर लिखते हैं-"जहां तक गुलामों का प्रश्न है, उनकी संख्या लाखों में थी। हर अमीर जमींदार के पास सैकड़ों या हजारों की संख्या में गुलाम होते थे। जिस किसी के पास थोड़े-बहुत गुलाम न हों, वह गरीब कहलाता था। गुलाम निजी संपत्ति होते थे। वे क़ानून की दृष्टि से मनुष्य नहीं थे और इसलिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।" यह कथन सामाजिक इतिहास के सामंती मनोविज्ञान को सच्चाई से व्यक्त करता है। इसी प्रकार अछूतों को भी मनुष्य नहीं माना जाता था और नहीं उन्हें किसी तरह के मानवीय अधिकार प्राप्त थे। अछूत या दलित स्पष्टरूप से बहिष्कृत समाज था जिस पर अनेक प्रकार के जुल्म करने की धार्मिक- सांस्कृतिक संस्कार मौजूद थे। अछूतपन के आधार पर हजारों सालों से दलितों पर मानसिक-दैहिक हिंसा होती रही है। बाबासाहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि अस्पृश्यों (दलितों) पर मानसिक और शारीरिक हिंसा को रोके बिना संवैधानिक अधिकार देने की बात बेईमानी ही होगी। इस संदर्भ में बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर लिखते हैं-इस परिस्थिति में नागरिकता के अधिकार का आशय अस्पृश्यों के अधिकार से नहीं होता। जनता की सरकार और जनता के लिए सरकार का आशय अस्पृश्यों के लिए सरकार से नहीं होता। सभी के लिए समान अवसर का आशय अस्पृश्यों के लिए समान अवसर नहीं होता, समान अधिकार का आशय अस्पृश्यों के लिए समान अधिकार नहीं होता। सारे देश के कोने -कोने में अस्पृश्यों को अड़चनों का सामना करना पड़ता है, भेदभाव सहन करना पड़ता है, उनके साथ अन्याय होता है, वे भारत के दीन-हीन लोग हैं। यह कितना सच है, यह केवल अस्पृश्य जानते हैं, जिन्हें मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। यह भेदभाव अस्पृश्यों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। यह उनको इससे उबरने नहीं देती। इसके कारण उन्हें हर वक्त किसी न किसी का, बेरोजगारी का, दुर्व्यवहार का, उत्पीड़न आदि का डर बना रहता है। यह असुरक्षा की जिंदगी होती है।" (पृष्ठ 170, खंड 9) सच्चाई यह है कि दलितों की जिंदगी के ऐसे वास्तविक ब्यौरों से आंबेडकर का लेखन और चिंतन भरा पड़ा है। आप उनमें जितना ज्यादा धंसते जाते हैं उतना ही अपनी दुनिया के वास्तविक दुख दर्द से रूबरू हुए जाते हैं। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के सहयोग से जब एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया तब जाकर दलितों को मानवीय अधिकार प्राप्त हुए। डॉ. आंबेडकर की विशाल विजन, संघर्ष और लोकतांत्रिक संस्थाओं ने सदियों के अत्याचार और उत्पीड़न को समाप्त

सामाज शास्त्रियों का कहना है कि पिछले ढाई हजार साल से भारत में दलितों के खिलाफ लगातार जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया, भेदभाव बरता गया, वैसा शायद दुनिया की किसी और सभ्यता में हुआ हो। वास्तव में प्राचीन और मध्य कालीन दौर में दलितों और गुलामों की स्थिति पूरी दुनिया में एक जैसी थी। भारत में दलित गुलाम थे और दुनिया के गुलाम दलितों जैसे थे।

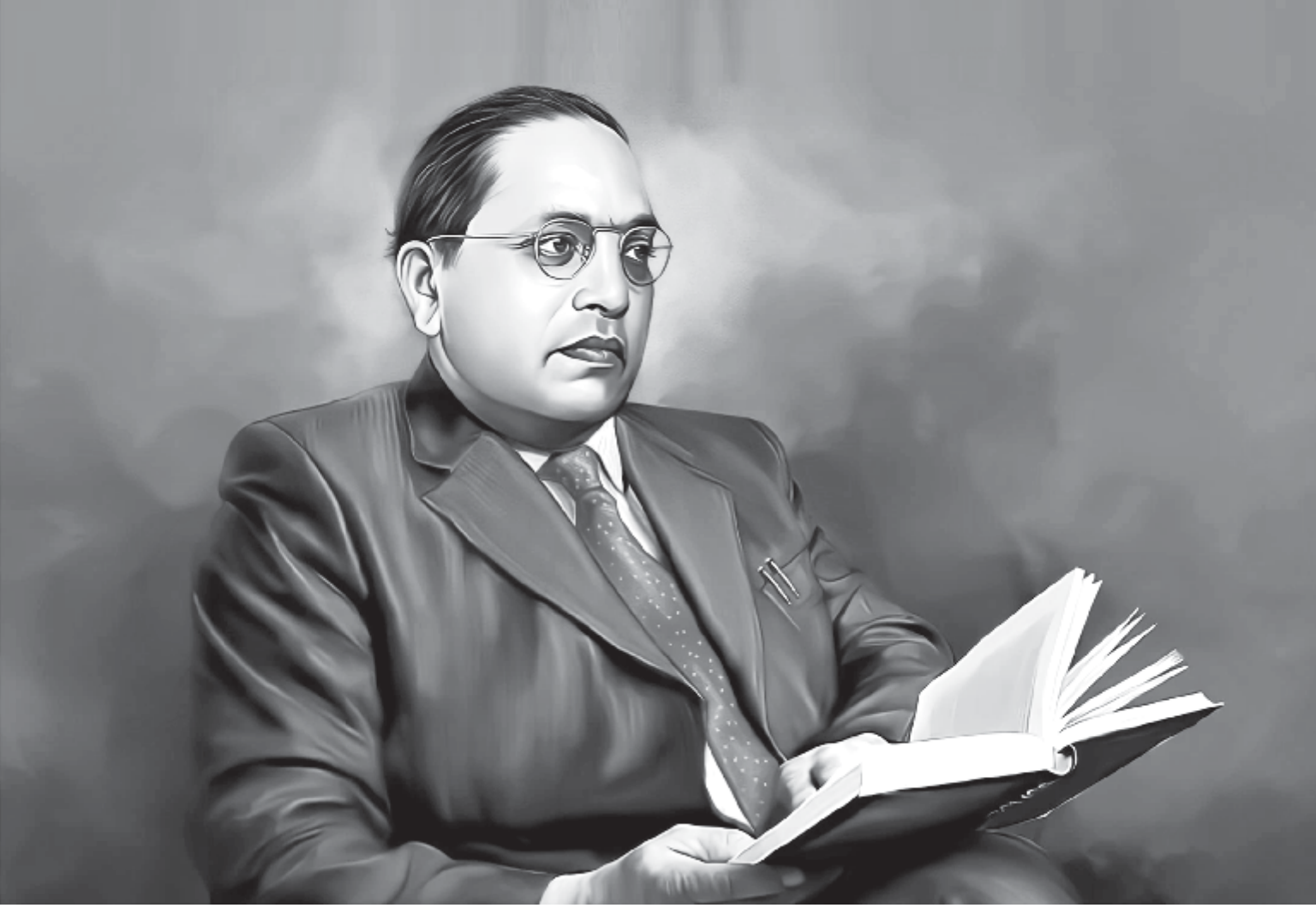

करने के लिए दलितों को संसद, विधानसभाओं, शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिया ताकी वे सामाजिक- आर्थिक रूप से मजबूत होकर ऊपर आ सकें। आजादी के 75 साल बाद अब जाकर दलितों में एक प्रभावशाली, जागरूक, शिक्षित मध्यवर्ग अस्तित्व में आया है। हजारों साल के बाद बराबरी का दर्जा हासिल करने वाला दलित समाज मौजूदा समय में सबसे सक्रिय, राजनीतिक रूप से सचेत जीवंत समाज है जो अब साहित्य, कला, राजनीति, व्यापार, नौकरी, शिक्षा चहूं ओर अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहा है और यह सकारात्मक परिवर्तन वजूद आज भी यह सवाल किया जाता है कि दलित हैं कौन? इस संबंध में सैकड़ों परिभाषाएँ सामने आ चुकी हैं, जिनको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के हवाले से एक तथ्य रखना जरूरी लगता है। बक़ौल डॉ. आंबेडकर-"आमतौर पर अस्पृश्य लोग दया के पात्र समझे जाते हैं। लेकिन किसी राजनीतिक संगठन में उनकी इस आधार पर उपेक्षा कर दी जाती है कि उनका कोई ऐसा हित नहीं है जिसकी रक्षा की जाए। लेकिन फिर भी उनके हित सबसे महान है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बहुत बड़ी संपत्तिहै जिसे जब्त होने से बचाया जाए। उनका तो व्यक्तित्व ही जब्त कर लिया गया है। सामाजिक -धार्मिक अशक्तताओं ने अस्पृश्यों को मानव केस्तर से नीचे गिरा दिया है।" हम यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ दलितों के स्वाभिमान और अस्तित्व के सवालों पर प्रकाश डाल रहे हैं। जब सारा जमाना और समस्ततंत्र दलितों के विरूद्ध खड़ा था उस समय बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर एक योद्धा की तरह रणभूमि में डटे हुए थे।

दलित मानवाधिकारों की बात करते समय अक्सर कुछ जीवनदायी प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों को भुला दिया जाता है। उन्हीं में से एक है जल यानि पानी जोकि कुओं, तालाबों, पोखरों, सरोवरों, नदियों इत्यादि स्रोतों से हासिल होता है। जल, वायु, धूप, अन्न, मकान, वस्त्र, शिक्षा, दवा इत्यादि मनुष्य की प्राकृतिक और भौतिक जरूरत हैं। जल तो पूरी दुनिया में मनुष्यों के लिए प्राकृतिक

और सामाजिक रुप में उपलब्ध है। लेकिन दुनिया में भारत ही एक ऐसा अनोखा राष्ट्र रहा हैं जहां सदियों से 'जल' पीने के मानवीय अधिकार से दलितों को दूर रखा गया था। नतीजतन दलितों को गंदा पानी पी कर नरकीय जीवन जीना पड़ता था। घोर अमानवीय और बर्बरता में रहना दलितों की नियति बन चुकी थी। लेकिन जैसा कि प्रकृति का नियम है कि अंधेरे के बाद उजाला होना लाजिमी है। अत: दलितों की इसी अंधियारी दुनिया में उजाले की उम्मीद बनकर डॉ. भीमराव आंबेडकर सामने आए।

डॉ. बी. आर. आंबेडकर का ऐतिहासिक आंदोलन इस परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रासंगिक था। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक श्री एस.के . बोले ने बम्बई विधान मंडल में एक विधेयक पारित करवाया जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं –

जैसे, अदालत, विद्यालय, चिकित्सालय, पनघट, तालाब आदि सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को प्रवेश व उनका उपयोग करने का आदेश दिया गया। कोलाबा जिले के महाड में स्थित चवदार तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, कुते सभी तालाब के पानी का उपयोग करते थे लेकिन अछूतों को यहाँ पानी छूने की भी इजाजत नहीं थी। सवर्ण हिंदुओं ने नगरपालिका के आदेश भी मानने से इनकार कर दिया। अछूतों के अधिकारों को छीन लेने का समय अब आ गया है, ये सोचकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ दिनांक 19 तथा 20 मार्च 1927 को महाड के चवदार तालाब को मुक्त कराने हेतु सत्याग्रह करने का निश्चय किया। लगभग पांच हजार महिला पुरुष इस सत्याग्रह में शामिल हुए। 20 मार्च की सुबह डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में लगभग पांच हजार लोग शांतिपूर्ण तरीके से तालाब पर पहुँचे। सर्वप्रथम डॉ. भीमराव अम्बेडकर तालाब की सिढ़ियों पर उतरे। पहले बाबा साहेब ने पानी पिया। ये अस्पृश्य समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण था। बाबा साहेब ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी। ये एक प्रकार से सवर्णों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह था जिसने अस्पृश्य समाज समाज में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया थी जिसके द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि हम भी मनुष्य हैं, हमें भी अन्य मनुष्यों के समान मानवीय अधिकार हैं।

उस समय अछूतपन के श्राप से पीड़ित समाज को बदहाली से उबरने के लिए बाबा साहेब ने इस पानी को छूकर दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। बेहतरीन जिंदगी के लिए उन्होंने तीन सूत्र दिए। पहला– गंदे व्यवसाय या पेशे को छोड़कर बाहर आना। दूसरा – मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ना, और तीसरा जोकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण था – अछूत होने की अपनी स्वंय की हीन भावना से बाहर निकलना और खुद को सम्मान देना। एक क्रम में रखकर देखें तो ये क्रांतिकारी सूत्र बहुत गहरी समाज मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं। इन सूत्रों का सौंदर्य और क्षमता निरपवाद हैं और जिन भी समुदायों या व्यक्तियों ने इस पर अमल किया है, इतिहास में उनकी उन्नति हुई है। दासता और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत थी ये। लेकिन बौखलाए सवर्ण हिंदुओं ने भीड़ पर लाठियों से हमला कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए। बाबा साहेब ने अछूतों से संयम व शांति रखने की सलाह दी और कहा हमें प्रतिघात नहीं करना है। जनसमुदाय ने अपने नेता की बात मान ली। उधर सवर्णो ने अछूतों के छूने से अपवित्र हुए चवदार तालाब का शुद्धिकरण करने के लिए गोबर व गौमूत्र तालाब में डलवाया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने पुन: सत्याग्रह की योजना बनायी और पुन: 25 दिसंबर को हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लेकिन सत्याग्रह स्थगित करना पड़ा। डॉ. अंबेडकर ने बम्बई हाई कोर्ट में लगभग दस वर्ष तक ये लड़ाई लड़ी और अंत में 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चवदार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिला। यह अस्पृश्य समाज के लिए ऐतिहासिक जीत थी। जिसने आंबेडकर की आगे की

निराशा की इस स्थिति को हमारी सरकार ने बदला है। आज देश में जो सरकार है, वो जनता को जनार्दन मानने वाली, ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार है, और हम सत्ता भाव से नहीं, सेवा भावना से काम करने वाले हैं लोग। और आज भी आपके साथ इसी सेवा भाव से गाँव-गाँव जाने की मैंने ठान

रणनीतियों की पुख्ता जमीन तैयार की।

दलितों के साथ- साथ सभी मनुष्यों की चिंता करना उनके स्वभाव में था। आजाद भारत की व्यवस्था में सभी उपेक्षित समूहों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना उनका पावन कर्तव्य था। दास को परिभाषित करते हुए डॉ भीमराव आंबेडकर ने एक तार्किक उदाहरण दिया है। वह लिखते हैं- "दास को परिभाषित करते हुए प्लेटो ने कहा है कि दास वह है जो दूसरों के कार्य करता है, जो उसके आचरण को नियंत्रित करते हैं। यदि हम इस परिभाषा को मान लें तो अस्पृश्य सचमुच ही दास हैं। अस्पृश्यों को ऐसे सामाजिक ढाँचे में ढाला गया है कि वे अपनी दयनीय दशा पर उफ तक न करें। मध्यकालीन युग से ही जातिप्रथा को खत्म करने के लिए आध्यात्मिक आंदोलन का सहारा लिया जाता रहा है। सन 1928 में पंद्रहवीं सदी के महान संत चोखा मेला के नाम पर मंदिर निर्माण के प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया था। क्योंकि आंबेडकर का मानना था कि- "साधु-संत और उनकी आधुनिक विरासत एक ब्राह्मण और एक शूद्र के बीच केवल आध्यात्मिक आचरण के स्तर पर ही समानता को बढ़ावा दे सकती है, यह विरासत एक ब्राह्मण और शूद्र को एक दूसरे के बराबर नहीं ला सकती।" (भीमराव आंबेडकर- क्रिस्तोफजाफ्रलो, पृष्ठ 65) डॉ. आंबेडकर ने जाति को "बंदवर्ग " कहा है जिसमें स्थानांतरण नहीं होता। जो जिस जाति में पैदा होता है उसी में मरता है। इसके पीछे भी ब्राह्मणों का अंत: केन्द्रित होना है और अंत: केंद्रित होने कीयही प्रवृत्ति अन्य जातियों में फैल गई जिसके कारण सभी अपनी अपनी जातियों के घेरे में क़ैद हो गए। दलितों के लिए जाति का यह घेरा ही उनकी समस्त समस्याओं की जड़ है जिसका पोषक ब्राह्मणवाद है। वास्तव में आंबेडकर जातिप्रथा को प्रत्येक स्तर पर खत्म करना चाहते थे जिसने मनुष्यों में भेदभाव को बना रखा है। 1936 में इसीलिए उन्होंने "एनिहिलेशन ऑफ कास्ट'' जैसा शोधपत्र लिखा था। इसके अनंतर बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर नागरिक अधिकारों को लेकर भी बहुत सजग थे। उनके द्वारा नागरिक अधिकारों की जो सूची बनाई गई थी वह बहुत प्रसांगिक है , देखें-(1) व्यक्तिगत स्वतंत्रता (2) व्यक्तिगत सुरक्षा (3) निजी संपत्ति रखनेका अधिकार (4) विधि के समक्ष समता (5) अंत: करण की स्वतंत्रता (6) वाक्स्वातंत्र्य और अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य (7) सम्मेलन का अधिकार (8) देश की सरकार में प्रतिनिधित्व का अधिकार (9) राज्य के अधीन पद धारण करने का अधिकार।" (पृष्ठ 28-29, बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर, सम्पूर्णवाड्मय,खंड-2, 2016 ,नई दिल्ली) बाबा साहब डॉभीमराव आंबेडकर की ये सभी मांगे किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कोई भी देश या समाज इन नागरिक अधिकारों (जहां भी दलित हैं) को अनसुना या अनदेखा कर प्रगति नहीं कर सकता। बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर का दर्शन, विचार और कार्यशैली लोकतांत्रिक प्रणाली और मनुष्यता के लिए बुनियादी आधार हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बाबासाहब डॉ.भीमराव आंबेडकर दलित चेतना के पर्याय हैं जिन्होंने दलित समाज को स्वाभिमान से जीना सिखाकर उसे स्वावलंबी बना दिया। आज बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की शिक्षाओं पर पुन: अमल करने की जरूरतै। इस मिलावटी दौर में ऐसे वैश्विक जननायक की मूल को संरक्षित करने और सहजने की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित और समृद्ध होती रहे। जातिविहीन समाज निर्माणकी संकल्पना बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का एक यथार्थ स्वप्न था। उस स्वप्न को साकार करना हर संवेदनशील नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य होना चाहिए। इसी आदर्श स्थिति को तो चाहते थे बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जहां बिना किसी रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। ये सब आंबेडकरवाद से संभव हो सकता है।

संपर्क:
मो. 9810526252

गांधी-आंबेडकर: कल, आज और कल

डॉ. अजीत कुमार पुरी

गांधी और आंबेडकर के संबंध में बहुत ही अतिरेक है,अकादमी जगत में भी और राजनीतिक जगत में भी। या तो इनकी भूरी-भूरी प्रशंसा होती है अथवा लोग इनकी निंदा करते हैं और दोनों ही चीजें सभ्य समाज में मान्य नहीं हो सकती हैं। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की उपज होता है गांधी और आंबेडकर भी अपनी परिस्थितियों की उपज हैं और इन दोनों व्यक्तियों ने उन्हें उस समय जो श्रेष्ठ लगा उसको उन्होंने किया। इस संगोष्ठी का जो विषय है कल, आज और कल इसमें बहुत बड़ा निहितार्थ छुपा हुआ है। कल यानी हमारा जो बीता हुआ इतिहास है जिसमें उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई, आज यानी आज के परिवेश में इनको लेकर के किस तरह से राजनीतिक-सामाजिक समीकरण बन रहे हैं, घट रहे हैं क्या इनका दुरुपयोग और उपयोग हो रहा है। फिर कल यानी कि आने वाले कल में भविष्य में इनके जो विचार हैं और उनके जो कर्म हैं, हमारे समाज के लिए कितने उपयोगी होंगे इन तीनों चीजों पर यह जो संगोष्ठी है यह विचार करने का आह्वान कर रही है मेरे लिए भी और आपके लिए भी।

बहुत बड़ा दिन है आज, गांधी जी की दृष्टि से सोचें तो आज 12 मार्च 2024 है और 1930 में आज के ही दिन नमक कानून के विरुद्ध गांधी ने दांडी नामक स्थान से मार्च किया था और अंग्रेजों के कानून की अवज्ञा की थी और उसके लिए उन्होंने जो अवज्ञा मिलने के बाद दंड मिलता है, उसको स्वीकार किया था। हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं जहाँ संवाद ही हमारे सामाजिक जीवन का आधार है यदि संवाद नहीं है तो फिर तो समाज जीवन क्या है? गांधी और आंबेडकर को समझने से पहले मैं एक बात और आपके सामने साझा करना चाहूंगा, वह यह कि जो भारत की दृष्टि है और जो भारत से इतर की दृष्टि है उसमें थोड़ा सा अंतर है इसको आप लोग अभी समझ लो। यूरोप और अरब जगत जो है वह एक मसीहा की कल्पना करता है, एक पैगम्बर की कल्पना करता है और उसकी रोशनी में उसके आलोक में उसका अनुकरण करता है । उनके यहाँ समाज अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होता है। उनके विचार से मसीहा समाज को अपने पीछे लेकर चलने वाला है। मसीहा अथवा पैगम्बर या जो उनके भी शब्दों में मानें वो बड़ा है उसके नीचे समाज है। जबकि भारत की दृष्टि से इससे इतर है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति दावा नहीं करता किसी

हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की उपज होता है गांधी और आंबेडकर भी अपनी परिस्थितियों की उपज हैं और इन दोनों व्यक्तियों ने उन्हें उस समय जो श्रेष्ठ लगा उसको उन्होंने किया। इस संगोष्ठी का जो विषय है कल, आज और कल इसमें बहुत बड़ा निहितार्थ छुपा हुआ है। कल यानी हमारा जो बीता हुआ इतिहास है जिसमें उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई... ।

भी युग में ना कर सकता है न आज न कल न पहले कि मैं कोई मसीहा हूँ और मैं कोई पैगंबर हूं और ज्ञान की जो पेटी है मेरे पास रखी हुई है और जो जितना मैंने जाना कह दिया और उसको ही ले करके आपको चलना है ये दावा कोई नहीं करता।किंतु जिस समय गांधी और अम्बेडकर हुए उस समय जो प्रचारतंत्र से भारतीयों का जनमानस बन रहा था प्रचारतंत्र कहने का आशय यह है कि जो प्रचारतंत्र अंग्रेजों के नियंत्रण से चल रहे थे विशेषकर के प्रेस ही का बोलबाला था, जो लेख लिखे जाते थे और जो खबरें बनाई जाती थीं जैसे आज भी बनाई जाती हैं। उस आधार पर सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक रूप बनता था, अंग्रेजों के आने के पहले ये चीजें नहीं थी। अंग्रेज पुनर्जागरण से गुजर कर आये, रिनेसां का अपना एक दौर पूरा करके आये थे और अपने आप में काफी सशक्त और बलवान होकर के नॉलेज को ले करके, अपने को परिपक्व करके आये थे।

कोलंबस की तरह ही वास्कोडिगमा भी इसी तरह से आया था और इसमे अंग्रेज भी थे और वे यहाँ आए और व्यापार करने के नाम पर यहाँ प्रवेश किया। उन्होने सूरत में फैक्टरी खोली और फिर कैसे वे मद्रास और बंगाल से होकर आधे भारत में फैल गए, यह सब इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है। अपने उन्होंने शिक्षा के सारे साधन यहाँ पर बनाये। विश्वविद्यालय खोले, दिल्ली विश्वविद्यालय भी उनका ही खोला हुआ है 1922 में, हमने नहीं खोला ।

हाँ! एक चीज नहीं थी उनके पास, धन नहीं था और उस धन को प्राप्त करने ही यहां आए थे। शुरू में तो उनका उद्देश्य था कुछ व्यापार करेंगे कुछ यहाँ का सामान वहाँ करेंगे तो लाभ होगा लेकिन जब उन्होंने (अंग्रेजों ने) देखा, अनुभव किया कि किस तरह से जब कोलंबस अमेरिका गया, और किस तरह से अमेरिका मेंस्पेनिश जनरल पिजारो ने जाकर के किस प्रकार बड़ी क्रूरता से वहाँ की सभ्यताओं का नाश किया (जिसकी गांधी जी ने कठोर निंदा की है) तो पहले अंग्रेजों का भी यही सोचना था की वे भारतीयों को समाप्त कर देंगे, किन्तु जैसे जैसे वे भारत के भीतरी भागों में गए उन्हें समझ में आता गया कि भारतवर्ष अमेरिका नहीं है। कोलंबस और स्पेनिश जनरल पिजारो अमेरिका में ये कोई प्रेम करने नहीं गए थे। वे धन की तलाश में गए थे और उन्होंने देखते ही देखते, छल से बल से वहाँ की जो माया, इंका आदि सभ्यता थी उसको नष्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोपीय राष्ट्रों के जो अपराधी तत्व हैं फ्रांस के, इंग्लैंड के और जर्मनी के उन्हे वहाँ की सरकारों ने बसाना शुरू किया। वहां रहते-रहते उन्होंने ही लड़कर के 1789 में अपना एक अलग यूनाइटेड नेशन बना लिया।

जिसको अमेरिका की क्रांति कहते हैं, अपने इतिहास की पुस्तकों में भी, वह कोई क्रांति नहीं है। वह यूरोपियन का यूरोपियन से ही लड़ाई है और वहाँ अंग्रेज से अंग्रेज ही लड़े । कोलंबस की तरह ही वास्कोडिगमा भी इसी तरह से आया था और इसमे अंग्रेज भी थे और वे यहाँ आए और व्यापार करने के नाम पर यहाँ प्रवेश किया। उन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली और फिर कैसे वे मद्रास और बंगाल से होकर आधे भारत में फैल गए, यह सब इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है। अपने उन्होंने शिक्षा के सारे साधन यहाँ पर बनाये। विश्वविद्यालय खोले, दिल्ली विश्वविद्यालय भी उनका ही खोला हुआ है 1922 में, हमने नहीं खोला । कलकत्ता, मुम्बई और इलाहाबाद भी उन्होंने अपने आवश्यकताओं के लिए खोला। इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेज 1857 तक भारत के लगभग आधे भाग पर, पूरे भाग पर नहीं आधे भाग अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल होते हैं । भारतीय 1857 का युद्ध लड़ते हैं इसकी सुनियोजित रणनीति बनी थी 31 मई को करने की। लेकिन वह 10 मई को विस्फोट हो गया मंगल पांडेय के विद्रोह के कारण । उस समय जो युद्ध हुआ वह कई टुकड़ों में हुआ, उत्तम अस्त्र-शस्त्र की कमी और संगठन की कुछ कमियों के कारण भारतीय वह युद्ध हार गए। उसके बाद 1नवंबर 1858 को विक्टोरिया का घोषणापत्र जारी होता है, जिसमें वह कहती हैं कि मेरा भतीजालार्ड केनिंग (जो अंतिम गवर्नर और पहला वाइसरॉय था) आज से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विजित भूमि का शासन करेगा । आज के

बाद भारतीय नरेशों की एक इंच भूमि भी हम अधिकृत नहीं करेंगे अर्थात् एक हद बन जाती है भारतीय देशी जो नरेश हैं अपने राज्य में और ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो करके ब्रिटिश सरकार जो है भारत मंत्री रखकर के 90 साल तक भारत पर शासन करती है 1947 में जाने के पहले तक।

1869 में गांधी जी का जन्म होता है, उसके बाद अंबेडकर का जन्म होता है । इस तरह से बीसवीं सदी के दूसरे में गांधी और अंबेडकर सार्वजनिक जीवन में हमको दिखते हैं। गांधी इसके पहले अफ्रीका में वहाँ के भारतीयों और जो काले लोग थे के हित में अपना अभियान शुरू कर चुके थे। वेटालस्टॉय के विचारों से प्रभावित हो चुके थे, वहाँ उनको टालस्टॉय फार्म हाऊस उनको मिला हुआ था। वहाँ के अभियान को अधूरा छोड़ कर यहाँ आये। हालांकि जिन्ना ने यहां काफी आलोचना की, उनका जब स्वागत भाषण हुआ तो जिन्ना ने कहा कि उनको भारत आने की क्या जरूरत थी ? इनको तो वही रहना चाहिए था क्योंकि वहाँ इनकी जरूरत थी, काम छोड़ के आ गए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उनके सामने ही कोई व्यक्ति उनकी आलोचना कर रहा है, उनके स्वागत भाषण में ही, तो इस तरह का हमारा ये बखूबी समाज रहा है अपना ।

बातें करेंगे तो बहुत बातें हैं गांधी-आंबेडकर पर, लेकिन कुछ बिंदुओं को आपके सामने साझा करूँगा। गांधी के संबंध में कहा जाता है कि गांधी भारतीय परंपरा से हिंदू परम्परा से पूरी तरह से जो आबद्ध हैं, मतलब एक वर्णाश्रमी हिंदू हैं। 'रघुपतिराघव राजाराम' का आवरण लेकर के ऐसा मान लेते हैं लोग कि वे पूरे तरह से हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं। ऐसा बाद में आगे चलकर जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की तो उसकी प्रतिक्रिया में गाँधी पर इस तरह के आक्षेप लगे लेकिन गांधी के संबंध में यह जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए कि गांधीजी प्रारंभिक अवस्था में नास्तिक थे कुछ मानते नहीं थे। बाद में अपनी माता पुतलीबाई के प्रभाव में जब वे आये तो उनके ऊपर महामति प्राणनाथ के विचारों का प्रभाव पड़ा क्योंकि उनकी माता कृष्ण प्रणामी मत में दीक्षित थीं । महामति प्राणनाथ जिनके बारे में कहा जाता है कि वे छत्रसाल के गुरु थे । उस समय हमारे समाज में बुंदेलखंड का पूरा इलाका इनके विचारों से प्रभावित था । कृष्ण प्रणामी मत अभी भी हैं और उसकी शाखाएँ पूरे भारत में हैं। वहीं से उनके अंदर हिंदू-मुस्लिम एकता का विचार पनपा, जिसको ले करके वे जीवनभर जूझते रहे । महामति प्राणनाथ के संप्रदाय में वेद-कुरान-गीता इन सभी ग्रन्थों के समन्वय की बात कही गयी है और हिंदू -मुस्लिम एकता की बात कही गयी है। वहाँ से प्रभावित हो करके गांधी सारी चीजें ले आयें। बाद में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की बात की उसमें उन्होंने कहा कि सत्य के लिए हमें आग्रह रखना है किंतु निष्क्रिय। ग्राम-स्वराज की बात की, अछूतों के संबंध में जो समस्याएं उस समय खड़ी हो गई थी उसके संबंध में बात की । आगे चलकर अंबेडकर ने भी उस पर बात की।

गांधी के बारे में एक भ्रम फैलाया जाता हैकि उन्होंने कहा कि अगर आपके एक गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। पूरे गांधी वाङ्मय में यह चीज नहीं है। लेकिन गांधी जी ने बात कही है, एक खास प्रसंग में कही है, उन्होंने अंग्रेजों को कहा है। अरे भाई! तुम्हारा वो जो पहाड़ी उपदेश है बाइबिल का, उसमें ईसा ने तुम लोगों को कहा है कि हिंसा मत करो और अहिंसक रहो, तुमको जो एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा उसको दे दो! यानी अंग्रेजों को बता रहे हैं कि तुम जिसको मसीहा-पैगम्बर-नबी या अपना गुरु मान करके पूजा कर रहे हो वे तो अहिंसा की बात कर रहें है, किसी को मारने पीटने से मना कर रहा है और एक तुम लोग हो जो भारत में निरंतर अत्याचार कर रहे हो। इस तरह से कुछ लोगों ने बात वहाँ से उठा ली और गांधी के ऊपर चिपका दिया कि गांधी जी कह रहें है कि जो एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दो, इससे उसका हृदय परिवर्तन हो जायेगा। बड़े परिश्रम से पुस्तक लिखी है, डॉ. रामविलास शर्मा ने, आप लोगों को पढ़नी चाहिए 'गांधी-अंबेडकर और लोहिया: भारतीय इतिहास की समस्याएं' बहुत वृहद पुस्तक है। हालांकि उन्होंने एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उस पुस्तक को लिखा है फिर भी उस पुस्तक को देखना चाहिए। अंबेडकर को जानने के

लिए 'धनंजय कीर' की पुस्तक पढ़नी चाहिए जो उन्होंने बड़े श्रम से उनकी जीवनी लिखी है। वह हिंदी में अनुवादित हो गयी है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। शेष इनके अपने कलेक्टेट वर्क्स जो है वो तो हैं ही। गांधी का पूरा वाङ्मय है, आंबेडकर के लेखनका पूरा संकलन प्रकाशन विभाग से छपा हुआ है, जो 21 खंडों में है । गांधी का अपना लिखा बहुत है । इसके साथ ही दूसरों ने भी खूब लिखा है, समर्थन में और विरोध में भी । इन सब को देखना चाहिए। उनके जो शिष्य हैं वे तो भगवान मान के खूब लिखे हैं और जो विरोधी हैं विरोध करके लिखा है। कुछ बीच वाले भी लिखे हैं जिसमें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।

रामविलास शर्मा ने कहा है कि गांधी के जो सिद्धांत है, जिसको गांधीवाद कहा जाता है, उसको लेकर बहुत भारी भ्रम है । उपर्युक्त पुस्तक की भूमिका में वे कहते हैं कि 'गांधी के बारे में यह भ्रम फैलाया गया है कि उनके चिंतन के स्रोत विशुद्ध भारतीय हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत उन्होंने टॉलस्टाय से ग्रहण किया था जिसका नाम बाद में सत्याग्रह पड़ा। सर्वोदय का सिद्धांत रस्किन से लिया। भारत ग्राम-सभाओं का देश है यह विचार हेनरी से मिली। जिसको गांधीवाद के नाम से गांधीवादी लोग प्रचारित करते हैं ।' देखा जाये तो ये मुख्य स्रोत विदेश का है, विदेशी चिंतकों का है। किंतु टॉल्सटाय की तरह गांधी भी सक्रिय प्रतिरोध की प्रशंसा करते थे।

जो बहुत बड़ी बात आती है गांधी के संबंध में अहिंसा की। जिसको लेकर के अकादमिक जगत में बहुत भारी एक कोलाहल मचता है। इस पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। गांधी जी ने जब 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तब 'असहयोग आंदोलन' इसका सीधा सा मतलब था कि इसके पहले वे अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे थे, कांग्रेस कुछ ऐसा मत था, सीधा सा अर्थ निकल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध मेंउन्होंने घूम-घूम करके भारतीयों को कहा कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेज लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके आह्वान पर काफी संख्या में लोग शामिल हुए भी। अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध जीते, द्वितीय विश्व युद्ध भी जीते हैं। तो एक तरफ अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए भारतीयों का आह्वान करना कि आप उनकी सेना में शामिल होकर के लड़ो उनके खुद के अहिंसा के सिद्धांत को खंडित कर रहा है। दूसरी तरफ जिस समय गांधी का सार्वजनिक समय है वह क्या है ? भारतीयों का स्वराज प्राप्ति करने के लिए स्वाधीनता संग्राम। यही है ना? गांधी आंबेडकर का जो पूरा समय है वह वही समय है जो मैंने अभी पीछे बताया । 1857 से लेकर 1947 का जो 90 वर्ष का जो कालखंड है इसमें अंग्रेज शासित कर रहे हैं भारत को, आधे भारत को उसके बीचों-बीच में गांधी का आंबेडकर का पूरा समय रहा है ।

गांधी 1919 का असहयोग आंदोलन जिसके बीच में खिलाफत का भी एक पक्ष है, मिला हुआ है। उसके बाद 1930 का जिसकी बात मैं कर रहा हूँ आज के दिन का जो उनका दांडी मार्च है, नमक सत्याग्रह है और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है ये तीन बड़े आंदोलन जो है गांधी की अगुवाई में भारत में चला। जिसके बारे में गांधी की जो धारणा है, जो उनके मन में जो उनकी नीति-रीति है कि हमारे लोग हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसक रहेंगे, अत्याचार को सहेंगे क्योंकि अत्याचार करने वाला अत्याचार सहने वाले के सामने एक न एक दिन, एक न एक समय, उसका हृदय बदल जाएगा और वह अत्याचार करना बंद कर देगा । अब यह नीति व्यवहारिक रही की नहीं रही, इस पर सोचना तो सारे समाज का काम है। हम देखते हैं कि जो उनके विरोधी हैं जो कहते हैं कि इससे गांधी समाज को कमजोर बना रहे हैं और समाज में कायरता फैला रहे हैं, बात यहाँ इतनी सरल नहीं है जिस तरह वे लोग सोचते हैं ।

अहिंसा शब्द हिंदू धर्म-शास्त्रों में प्रयोग हुआ है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह; यह जैन मत में भी 'हिंदू' धर्मग्रंथों से ही गया है। वे लोग कहीं से लाए नहीं थे । गौतम व महावीर भी क्षत्रिय राजकुमार थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन में अपने विचारों से नवाचार किया । उन्होंने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बलि का विरोध करने के लिए अहिंसा पर बल दिया। इसका अपना कोई राजनीतिक प्रयोग नहीं था। लेकिन जिस अहिंसा को लेकर गांधी का प्रयोग है। वह थोड़ा गड़बड़ है। अहिंसा का

मूल भाव यह है की मन-वचन-कर्म से अकारण किसी को क्षति नहीं पहुँचाना किंतु यदि कोई आपको दु:ख दे रहा है, आपको मारने के लिए आपके सामने खड़ा हो गया तो उसका प्रतिकार करना हिंसा नहीं है, अपनी रक्षा करना है। और यह हमारे समाज की बहुत पुरानी रीति है। आज की न्याय व्यवस्था भी कहती है कि यदि आपके घर में घुसकर कोई आपको मारना चाहता है तो आप उसको अपने बचाव में मार सकते हैं ।

गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात की। भारत की शिक्षा भारत की भाषाओं में हो क्योंकि वे मानते थे कि अगर एक भाषा को सीखने में ही छात्र ने कई वर्ष खपा दिया तो उसके अंदर कौशल का विकास कैसे होगा? आज अंग्रेजी हमारे ऊपर लदी हुई है तो आज के प्रसंग में सोचना ही पड़ेगा कि गांधी जी तो कहकर गए थे कि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से मतलब, हमारा अपनी भाषा में अपना काम होगा लेकिन अंग्रेजी लदी हुई है तो कल, आज और कल वाली जो बात हो रही है ना तो उसमें ये सोचने का विषय है कि जो गांधी कह कर गए तो हम इस मामले में अभी वहाँ कहा हैं? आज के दिन क्या कुछ हमने हासिल किया?

दूसरा उन्होंने 'ग्राम-स्वराज',पर बात की। उनका कहना था कि अपने आप में ग्राम एक ईकाइ है, इसकी उन्नति में ही राष्ट्र की प्रगति छिपी है । इसके लिए उन्होंने कुटीर उद्योगों पर बल दिया । उनका मानना था कि वहाँ पर कुटीर उद्योग होंगे। गांव के लोग अपना काम वहीं रहकर करेंगे। कोई किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। इस तरह वे स्वावलंबी ग्राम-स्वराज की बात करते थे। आज के गांव को देख लीजिए, सरकार मुफ्तखोर बना रही है गांव के लोगों को। मैं बड़े कठोर शब्दों में इसको बता रहा हूँ आपको। मुफ्तखोर का मतलब है कि आप काम-धाम नहीं करो, मुफ्त में सरकार आपको राशन देगी। अनाज, गेहूं-चावल इत्यादि और इससे स्वावलंबन नही अपितु मन में दास वृत्ति अपना स्थान बनाती है। गांधी का मानना था कि स्वतंत्र भारत के लोगों में ऐसा भाव आ जाना चाहिए कि हम अपने पैर पर खड़े रहेंगे, अपना काम स्वयं करेंगे । किसी पर आश्रित नहीं रहना है। इस तरह की व्यस्था गांधी जी चाहते थे। किसी भी विचारक और चिंतक की सारी बातें न तो खराब होती है न तो ऐसा हो सकता है कि उनसे कोई त्रुटि ही नही हो सकती । यह हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति धरती पर जन्म ले और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन जीए और वह सारी खराब बात करके ही चला जाए अथवा सारी अच्छी बात कह के जाए। सवाल ही नहीं है, बड़ा व्यक्ति बड़ा दोष भी रखता है और बड़ा गुण भी रखता है। अगर वो दोष करेगा तो बड़ा ही दोष करेगा ये भी तय मान के चलिए।

एक बहुत बड़ा विषय जसे लेकर गांधी जी आगे बढ़े, वह था हिंदू-मुस्लिम एकता का । यह खिलाफत के समय, जब उन्होंने कहा कि खिलाफत का प्रश्न हमारा है, कांग्रेस का प्रश्न है और हम कांग्रेस को इसमें शामिल करेंगे, तब इसको राजनीतिक आधार मिला। हालांकि कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया, कहा अरे! भाई कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हो। किंतु गांधी अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रश्न को लेकर एक प्रयोग किया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को प्रश्न बनाया कि यह कांग्रेस का प्रश्न हो, असहयोग आन्दोलन जो उस समय चल रहा था, इसको उसी में मिला लिया। नारा क्या दिया 'हम' यानी 'ह' से हिंदू और 'म' से मुस्लिम। 'हम' का नारा दिया और देखते ही देखते पूरा हिंदू और मुस्लिम समाज कंधे से कंधा मिलाकर के चल पड़ा। शौकत अली और मोहम्मद अली जो दो भाई थे जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय पहले जौहर यूनिवर्सिटी बन रही थी। डॉ. अंसारी जो दिल्ली के ही थे, जिसके यहां गांधी जी रूकते थे और बहुत सारे लोग मिल गए कि चलो! भाई

गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात की। भारत की शिक्षा भारत की भाषाओं में हो क्योंकि वे मानते थे कि अगर एक भाषा को सीखने में ही छात्र ने कई वर्ष खपा दिया तो उसके अंदर कौशल का विकास कैसे होगा? आज अंग्रेजी हमारे ऊपर लदी हुई है तो आज के प्रसंग में सोचना ही पड़ेगा कि गाँधी जी तो कहकर गए थे कि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से मतलब, हमारा अपनी भाषा में अपना काम होगा .....

इसको हम सब मिलकर साझा करेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देंगे।

गांधी जी की त्रुटि क्या है! उनकी हद क्या है! सीमा क्या है! यह विचार करने की बात है । यहाँ पर वे चुक गए। एकता का कोई न कोई आधार होता है। एकता हवा में नहीं होती है। आज भी एकता हवा में नहीं होगी। इंद्रेश कुमार आदि भी इस विचार को लेकर देशभर में घूम रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना करके...। तो यह विचार करना होगा कि एकता बनाने के लिए आपको कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। कुछ बात तय करनी पड़ेगी। अब एकता इस आधार पर नहीं होगी कांग्रेस का अधिवेशन है और वहां पर वंदे मातरम् गीत गानें के लिए कोई खड़ा हुआ और जब उसने चार लाइनें गाया, वे जो शुरू की पंक्तियाँ जो आप लोगों को याद है बाकी तो पूरा याद नहीं है। तो अली बंधुओं ने विरोध किया, आधा ही गाओ। बुत-परस्ती है यह। इसमें दुर्गा की उपासना है। उस समय वंदेमातरम का गाया जाना रुक गया, तब से आधा ही गाया जाता है, पूरा नहीं गाया जाता है । अर्थात जब आप हिंदू-मुस्लिम एकता कायम कर रहे हो तो आपको यह तय करना ही पड़ेगा कि हिंदू-मुसलमान का सम्मान करें और मुसलमान भी हिंदू का सम्मान करें। उसकी पूजा-पद्धतियों का सम्मान करें उसके रीति-रिवाजों का सम्मान करें। उसके देवी देवताओं का सम्मान करें। केवल कह देने से एकता नहीं होगी । एक साथ केवल राजनीतिक किसी धरना-प्रदर्शन कर लेने से सामाजिक एकता नहीं होती । समाज की एकता, समाज के विचारों से संचालित होती है।

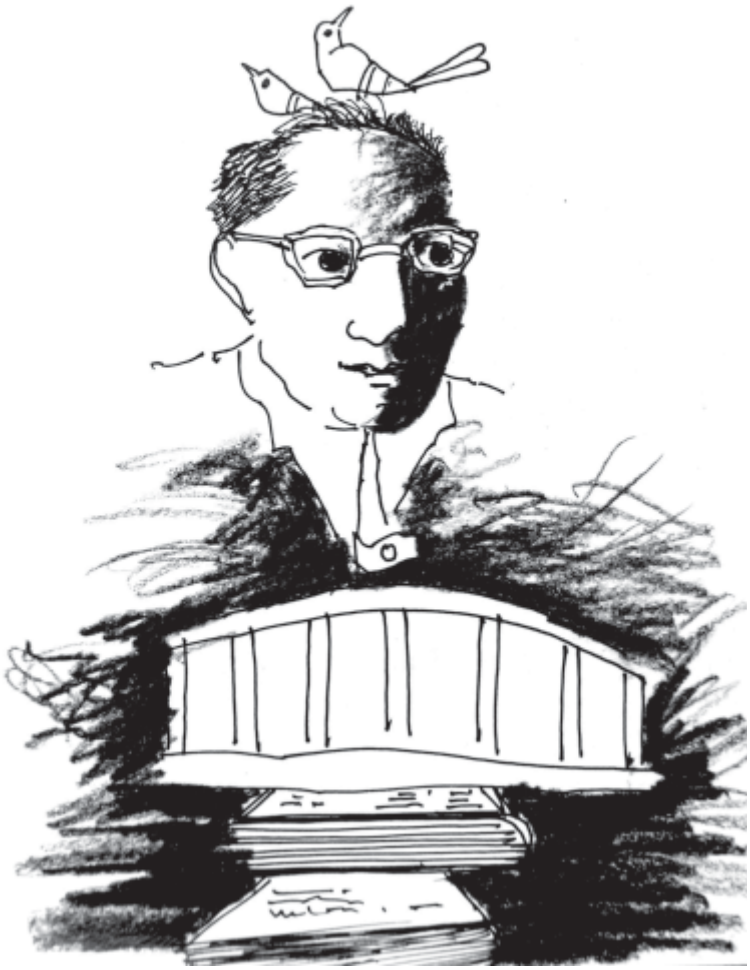

गांधी यहाँ चूक गए । उन्होंने कोई तैयारी ही नहीं की। कोइ उस तरह की वार्ता नहीं की । समाज में बैठ करके, घूम कर के कोई संवाद नहीं किया, उनका कार्य राजनीतिक अधिक था। इसलिए एक हल्ले में एकता कायम करने का प्रयास किया गया, जिसे असफल होना पड़ा। गांधी का मानना था कि खिलाफत के नाम पर हम उनका साथ दें और वे भी हमारे साथ रहें। किंतु ज्यों खिलाफत नष्ट हुई, मालाबार में दंगे हुए। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए । उसके बाद, हम देखते हैं एकता का यह प्रयोग छिन्न-भिन्न हो गया। 1947 में तो यह देश ही मुस्लिम लीग की अगुवाई में विभाजित हो गया। और आज हम ऐसे कगार पर हैं कि आज भी हम एक देश में रहते हुए एकता के सिद्धांत को, एकता के विचार को मिल बैठकर हल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक समस्या उस समय थी, गांधी के सामने उन्होंने कोशिश की लेकिन उसे पूरी तैयारी से नहीं कर पाए इसलिए एकता का यह प्रयास सफल नहीं हुआ ।

अगर गांधी के बारे में बात कर रहे हैं और ये समस्या है उस समय की तो आज भी ये समस्या है। हमें इस को दूर करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई विचार केवल कल्पना में ही जीवित नहीं रहता, उसे व्यवहार के धरातल पर उतारना पड़ता है। हमें यह विचार देश में प्रचारित करना पड़ेगा, समाज के स्तर पर मुसलमान हिंदू को स्वीकार कर लें । हिंदू मुसलमान को स्वीकार कर ले । ऐसा नहीं हो सकता मुसलमान सार्वजनिक रूप से निंदा करेंगे कि हिंदू काफिर है, वे हमारे बराबर नहीं है, हीन है। तो कहां से एकता होगी? या हिंदू कहे कि वे म्लेच्छ है और वे हमसे हीन है, इसलिए हम उसके पास नहीं जायेंगे तो कहां से एकता होगी?

एक बहुत बड़ी समस्या गांधी और आंबेडकर दोनों के साझे में आयी, वह थी अछूत वर्ग की समस्या। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक हिंदू समाज का एक वर्ग जो अछूत की स्थिति में था। जिसको लेकर के ईसाइयों ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया। क्योंकि प्रचार के साधन उनके पास थे; प्रेस था । अंग्रेजी के अखबार थे । हालांकि हिंदी भाषा के अखबार भी थे, जो उनके दास नहीं थे। ईसाई मिशनिरियां कहा करती थीं कि भारत में जो हिंदू धर्म है,वह इस तरह का पिछड़ा हुआ और इस तरह की उसकी सामाजिक स्थिति है कि यहाँ एक वर्ग जो है अछूत स्थिति में पड़ा हुआ है, उसका कोई अधिकार नहीं है। हालांकि वे स्वयं, यूरोपियन्स लोग जो थे, अमेरिका में इंका और माया सभ्यता के लोगों का नाश करके भारत आये थे। लेकिन यह सारा इतिहास भारत में छिपाया गया। अब भी छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात तो कर रहे थे कि बड़ी खराब स्थिति है और ये लोग ईसाई बन जाये तो अच्छा है, हमलोग उनको सम्मान देंगे। आंबेडकर ने इस पर काम किया उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए प्रयास किया और गांधी जी ने भी अपने प्रयास किए और 'पूना पैक्ट' जो हुआ गांधी और आंबेडकर में। हालांकि गांधी अनशन कर रहे थे, समझौता तो मालवीय जी और गांधी में हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि आंबेडकर और गांधी ये दोनों कभी साथ-साथ हैं कभी आमने-सामने हैं। और एक-दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं। बाद में गांधी ही उनको संविधान सभा में ले आये, नेहरू से बातचीत करके। नेहरू से कहा इनका बुद्धि-विवेक अच्छा है, इनको संविधान निर्माण में शामिल कीजिए इनका उपयोग किया जाए। इस तरह से आंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान ठीक होकर के आया।

गांधी और आंबेडकर दोनों अंग्रेजी शिक्षा की उपज हैं, कारण यह है कि अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ने की जो योग्यता है जो कि संस्कृत में है और आज भी हमारे पास किसी को नहीं है। उस समय भी नहीं थी, तो पढ़ते क्या थे! गोरे लोगों के अनुवाद के माध्यम से। आंबेडकर ने सारे संस्कृत के ग्रंथों को जो पढ़ा वो सब अंग्रेजी अनुवाद है। इसलिए वे कहते थे कि संस्कृत मुझे आती नहीं, अनुवाद हमने पढ़ा है। अब जैसा मिल गया हमने पढ़ लिया। तो लिखते हैं, भारत की जो राष्ट्रभाषा है वह संस्कृत होनी चाहिए। इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है। क्योंकि उसका अभाव था उनको कि मुझे संस्कृत नहीं आती, आनी चाहिए थी। आंबेडकर ने, अंग्रेज जो दुष्प्रचार फैला रहे थे कि आर्य लोग बाहर से आए और शासन किया और बाकी लोग जो मूल निवासी हैं और आर्य बाहरी हैं, इसका भी कड़ा खंडन किया। आंबेडकर ने अपनी पुस्तकों में तर्क और प्रमाण के साथ कहा कि अंग्रेजों की बातें गलत है । आंबेडकर अंग्रेजों के साथ रह करके उनके गुण-दोषों को पहचान गए थे। अंग्रेजों के साथ रहते वेवाइसरॉय की काउंसिल के मेंबर थे इसलिए अंग्रेजी शासन का कभी

एक बहुत बड़ी समस्या गांधी और आंबेडकर दोनों के साझे में आयी, वह थी अछूत वर्ग की समस्या। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक हिंदू समाज का एक वर्ग जो अछूत की स्थिति में था। जिसको लेकर के ईसाइयों ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया। क्योंकि प्रचार के साधन उनके पास थे; प्रेस था । अंग्रेजी के अखबार थे । हालांकि हिंदी भाषा के अखबार भी थे, जो उनके दास नही थे। ईसाई मिशनिरियां कहा करती थीं कि भारत में जो हिंदू धर्म है, वह इस तरह का पिछड़ा हुआ और इस तरह की उसकी सामाजिक स्थिति है..

*****

सक्रिय विरोध नहीं किया बल्कि उन्होंने, गांधी के आंदोलन का विरोध किया उन्होंने कि मैं इसमें नहीं आऊंगा। लेकिन वे अंग्रेजों की कूटनीति को भी समझ गए उन्होंने कहा कि मुझे भय है कि 'अंग्रेजों ने अछूतों की दुर्दशा का जो विज्ञापन दिया है उसका उद्देश्य इस दशा को दूर करना नहीं है, वरन भारत की राजनीतिक प्रगति को रोके रखना है।' वे जानते थे कि केवल भावनात्मक रूप से इस समस्या अंग्रेज उठा रहें हैं । लेकिन हमारा सुधार नहीं करना चाहते हैं। इनकी नीयत में खोट है और इसलिए उन्होंने अछूत सभा के प्रतिनिधियों से कहा कि 'कोई भी तुम्हारी शिकायतें उस तरह से दूर नहीं कर सकता जिस तरह तुम कर सकते हो। और इसके लिए तुम्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी ही पड़ेगी ।' बाद में आरक्षण की व्यवस्था आई, सारी चीजें आयीं और आज समाज किस तरह से परस्पर आगे बढ़ रहा है, आप देख ही रहें हैं।

इस तरह से एक समन्वय का दृष्टिकोण रहा आंबेडकर में। 16 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने आंबेडकर ने जो बात कही वह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि 'मुझे इस महान देश के भविष्य के बारे में जरा भी दुविधा नहीं है। संविधान बन रहा था उसके सामने कहा। कहा कि आज हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से विभाजित हैं। हम परस्पर लड़ने वाले शिविरों में बंटे हुए हैं और कहते हैं कि संभवत ऐसे एक शिविर का नेता मैं भी हूँ । मान रहे हैं मैं भी हूँ, कि जो आपस में टकराहट हो रही है उसका एक ग्रुप मैं भी चला रहा हूँ। लेकिन वे कहते हैं कि इसके बावजूद मुझे विश्वास है कि समय बीतने पर और परिस्थितियों के बदलने पर कोई भी ताकत इस देश को फिर से एक होने से नहीं रोक पाएगी।'

जब भारत विभाजन तय हो गया कि पाकिस्तान बनेगा और भारत बनेगा यह बात जब तय हो गयी मतलब अब ऐसा होना ही होना है तो इस स्थिति पर उन्होंने कहा 'इस देश को जो है तमाम तरीके के लोग अपने-अपने में लड़ रहे हैं अपने हितों को लेकर, मैं भी लड़ रहा हूँ उसी में फिर भी मैं मानता हूँ कि इस देश को एक होने से कोई रोक नहीं पाएगा।' इतना बड़ा उनका विचार था व्यक्तिगत जीवन में जो उन्होंने विष पिया, जो उनको लांछित किया गया जो उनके ऊपर आक्रमण हुए,इतना पढ़ा-लिखा होने के बावजूद। उसके बाद भी कोई द्वेष उस व्यक्ति में नहीं था। उनके नाम पर जो राजनीति भारत में पनपी उसने लोगों को गालियां दी हालांकि आज तो सिमट कर के वो पता नहीं किस कोने में लोग चले गए हैं क्योंकि समाज में नकारात्मक विचार सदा नहीं रहता है, सकारात्मक चीजें रहती हैं। नकारात्मक चीजें तो आती हैं, चली जाती हैं । सबको साथ-साथ रहना है । आंबेडकर इस बात को गहराई से जानते थे । इसलिए वे सबके साथ मिल करके समाज का कितना हित हो सकता है, कितना लाभ हो सकता है उसके बारे में सोचते थे। गांधी जी भी यही सोचते थे। ये दोनों बड़े चिंतक लोग हैं। कहीं पर कोई प्रयोग गड़बड़ होता है कहीं सही भी होता है, स्वाभाविक सी बात है।हमें आज के समय में गांधी और आंबेडकर को पढ़ना है उनको जानना है तो ये तय करना ही पड़ेगा की हम न तो उनकी एकतरफा पूजा करके उनसे कुछ ले सकते हैं और नही निंदा करके ही । उनके विचारों को देश की परिस्थितियों के अनुरूप लेना होगा । प्रगतिशील समाज का यही लक्षण भी होता है कि वह सदा देश काल के अनुरुप अतीत से प्रेरणा लेता है, क्योंकि ज्ञान और विचार के क्षेत्र में नवाचार होता रहता है, इससे कोई भी देश लंबे समय तक अछूता नही रह सकता । हाँ, मानवीय मूल्य सनातन हैं और इस दृष्टि से गांधी और आंबेडकर के वे विचार सदैव महत्त्वपूर्ण रहेंगे, जो मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, प्रेम और सहानुभूति से जुडे हुए हैं ।

संपर्क:

मो. 9968637345

गांधीजी और आज की पत्रकारिता

गिरीश पंकज

गांधी बीसवीं शताब्दी के ऐसे महानायक थे, जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। उनका चिंतन के भारत के लिए ही नहीं था, वह विश्व मानवता के उन्नयन के बात करते थे। परतंत्र भारत में वे केवल देश की आजादी के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, वरन देश हर मोरचे पर कैसे समृद्ध हो, इसकी चिंता भी कर रहे थे। फिर चाहे वह राष्ट्रभाषा हिंदी का सवाल हो, गाँव की समृद्धि के उपायों की चर्चा हो, वंचित-दलित-शोषित समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का सवाल हो, सर्वधर्म सद्भाव की बात हो, कुटीर उद्योगों के उन्नयन की बात हो, इन सब मुद्दों को गाँधी जी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उठाते रहे। बीसवीं शताब्दी का भारत दरअसल गांधी के द्वारा गढ़ा जाने वाला भारत भी था । आजादी की सुव्यवस्थित लड़ाई दरअसल गांधी जी के आने के बाद और तेज हुई । भारत एक तरफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ गांधी के बताये रास्ते पर चल कर सामाजिक नवाचार की दिशा में भी निरंतर बढ़ रहा था। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आने के बाद से नवजागरण का वातावरण बनने लगा था। वैसे गांधी के पहले उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और उनके आदर्श लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता भी यही काम कर रहे थे, लेकिन गांधी ने उन्हें और लोकव्यापी बनाया। महात्मा गांधी स्वभाव से पत्रकार थे । उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से उस वक्त बौद्धिक नवोन्मेष को गति दी। लेकिन जब हम समकालीन पत्रकारिता के चरित्र को देखते है तो हैरत होती है कि इस पत्रकारिता का स्वरूप कितना अराजक हो गया है। प्रायोजित पत्रकारिता हो रही है। मिशन से हट कर पत्रकारिता कमीशनखोरी में तब्दील हो चुकी है। अब तो पत्रकारिता को कारपोरेट-संस्कृति का हिस्सा बना दिया गया है। जैसे किसी वस्तु का उत्पाद होता है, ठीक उसी तरह अखबार को उत्पाद बना कर रख दिया गया है। इलेक्ट्रानिक मीडिया ने तो पत्रकारिता का और भी अधिक विद्रूप प्रस्तुत किया है, यह सब गांधी की मिशन-पत्रकारिता से कोसों दूर है

गांधी ने अभिव्यक्ति के लिए जो माध्यम चुना, वो पत्रकारिता ही थी। जब वह भारत से लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्होंने वहां के साप्ताहिक अखबार 'द वेजिटेरियन' में लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने शाकाहार के संबंध में कुछ लेख लिखे थे। तब उनकी उम्र

सफर लंबा था। वे मई 1893 के अंत में नेटाल के बंदरगाह पर उतरे। वहाँ पहुँच कर उन्होंने पाया कि नस्ल-रंगभेद के चलते वहां मूल अफ्रीकियों तथा भारतीयों का सम्मान नहीं किया जाता है। डरबन पहुंचने के एक सप्ताह के भीतर, वे अब्दुल्ला एंड कंपनी के अब्दुल्ला सेठ के साथ अदालत गए।

मात्र उन्नीस साल थी। उसी वक्त गांधी जी इस बात को समझ गये थे कि अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम अखबार ही है इसीलिए ब्रिटेन में रहते हुए भी समय-समय पर अखबारों में अपने विचार लिखा करते थे। इनमें 'टेलीग्राफ' और 'डेली न्यूज' जैसे अखबार शामिल है। अपनी पढ़ाई पूरी करके वकालत करने गांधी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब वहां की स्थितियों से गुजरते हुए अनेक लेख भारतीय अखबारों को भी भेजते रहे। इनमें 'हिंदू', 'अमृत बाजार पत्रिका', 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'स्टेट्समैन' प्रमुख हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भी भारत से जुड़े रहे, तो पत्रकारिता के माध्यम से ही। दक्षिण अफ्रीका में गांधी वकालत करने गए थे। जैसा मैंने पढ़ा है , अभी उन्होंने वकालत शुरू ही की थी कि तीसरे दिन ही उनके साथ वहां अपमानजनक व्यवहार हो गया, तब उन्होंने अपने साथ हुई घटना को डरबन के एक अखबार के माध्यम से जगजाहिर कर दिया। उसके बाद तो मोहनदास करमचंद गांधी नामक अधिवक्ता की चारों ओर चर्चा होने लगी । यह गांधी के गांधी में रूपांतरित होने का काल था। तब तक वे न तो राष्ट्रपिता बने थे और न महात्मा की उपाधि से विभूषित हुए थे। विशुद्ध रूप से एक युवा 'इंडियन बैरिस्टर' (अधिवक्ता) थे। उनके भीतर जो प्रतिरोध की आग थी, वह धधकनी शुरू हो गयी थी। बाद में गांधीजी ने अपना खुद का समाचार पत्र 'इंडियन ओपिनियन' शुरू किया क्योंकि अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम पत्रकारिता से बेहतर और दूसरा हो नहीं सकता था। गांधी पत्रकारिता की ताकत को समझ चुके थे। और इंडियन ओपिनियन निकालने के बाद उन्हें यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए वैचारिक सत्याग्रह का अगर कोई रास्ता हो सकता है तो वह पत्रकारिता ही हो सकती है।

रंगभेद की नीति के विरुद्ध तथा अन्य मसलों पर भी उन्होंने 'इंडियन ओपीनियन' में लिखकर भारतीय समुदाय की पीड़ा को स्वर दिया। धीरे-धीरे उनसे अखबार के माध्यम से काफी लोग जुड़ते चले गये। इस अखबार के गुजराती पाठक ही लगभग आठ सौ थे। जो लोग गुजराती नहीं जानते थे, वे दूसरों से पढ़वा कर अखबार के समाचार और विचार से परिचित हुआ करते थे। 1903 से उन्होंने इंडियन ओपीनियन को चार भाषाओं में प्रकाशित करना शुरू किया। गुजराती के साथ साथ हिंदी, अंगरेजी और तमिल में भी अखबार निकलने लगा।

अन्याय का प्रतिकार

रंगभेद की नीति के विरुद्ध तथा अन्य मसलों पर भी उन्होंने 'इंडियन ओपीनियन' में लिखकर भारतीय समुदाय की पीड़ा को स्वर दिया। धीरे-धीरे उनसे अखबार के माध्यम से काफी लोग जुड़ते चले गये। इस अखबार के गुजराती पाठक ही लगभग आठ सौ थे। जो लोग गुजराती नहीं जानते थे, वे दूसरों से पढ़वा कर अखबार के समाचार और विचार से परिचित हुआ करते थे। 1903 से उन्होंने इंडियन ओपीनियन को चार भाषाओं में प्रकाशित करना शुरू किया। गुजराती के साथ साथ हिंदी, अंगरेजी और तमिल में भी अखबार निकलने लगा। हर भाषा का उनका अपना संस्करण लोकप्रिय होता चला गया। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका सरकार को लगा कि गांधी अपने अखबार के माध्यम से अशांति पैदा कर रहे हैं। अंततः 1906 में उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया लेकिन गांधी जेल में भी इंडियन ओपिनियन का संपादन करते रहे। गांधी अखबार को एक बड़ी ताकत मानते थे। उन्होंने कहा भी है कि ''कोई भी बड़ी लड़ाई अखबार की सहायता के बिना नहीं लड़ी जा सकती। इसीलिए मैंने अखबार प्रकाशित करना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों के लिए यही अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन था । सत्य की जीत के लिए अखबार एक जरूरी उपक्रम है।''

'इंडियन ओपीनियन' का संपादन गांधी जी बड़े मनोयोग से किया करते थे। उस अखबार में गांधी के विचारों को पढ़कर प्रक्रियाएं देने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। गांधीजी सारे पत्रों को ध्यान से पढ़ते थे । इस बारे में वे लिखते हैं कि पत्रों को पढ़कर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके साथ बातचीत कर रहा हूं। गांधी जी की यही आदत थी कि कुशल संपादक के नाते अपने पाठकों

से जीवंत संपर्क संवाद बनाए रखते थे। गांधीजी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक 'हिंद स्वराज्य' भी उनकी बेहतरीन पत्रकारिता का एक नमूना है। हिंद स्वराज्य की शैली अभिनव-शैली है। मुझे लगता है कि लेखन और पत्रकारिता के इतिहास में संभवत पहली बार इस शैली का इस्तेमाल किया गया, जिसमें प्रश्नकर्ता भी वही है और उत्तर देने वाला भी वही। 'हिंद स्वराज्य' के माध्यम से गांधी जी ने अपने मन में उठने वाले तमाम सवालों को अपने चिंतन के माध्यम से उत्तरित करने की जबरदस्त कोशिश की । ऐसी कोशिश एक दृष्टांत बन गयी। प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई पुस्तक मूल रूप से गुजराती में ही लिखी गई थी । बाद में उसके अनेक अनुवाद हुए, अलग-अलग भाषाओं में । हिंद स्वराज्य को गांधी जी ने अपने ही अखबार इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया। हिंद स्वराज्य के संबंध में खुद गांधी जी का कहना था कि ''यह ऐसी पुस्तक है कि वह बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। वह द्वेष की जगह प्रेम-धर्म सिखाती है। हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है। पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है।''

अनेक अखबारों का संपादन

इंडियन ओपिनियन के अलावा गांधी जी ने 'हरिजन', 'यंग इंडिया', 'हरिजन सेवक' और 'नवजीवन' जैसे अखबारों का भी संपादन किया। भारत आने के बाद जब उन्होंने समूचे देश को संबोधित करने का मन बनाया, तो एक बार फिर उन्होंने अखबार प्रकाशन की दिशा में ही कदम बढ़ाया। सन 1919 में उन्होंने 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' का प्रकाशन शुरू किया। बहुत कम लोगों को पता है कि 1919 में ही उन्होंने 'सत्याग्रह' नामक साप्ताहिक भी शुरू किया था लेकिन मजे की बात, इसका उन्होंने पंजीयन नहीं करवाया था इसलिए कि अखबार में स्वतंत्रता संग्राम से सम्बंधित खबरें और लेख आदि प्रकाशित होते थे। उन्होंने इस अखबार की कीमत एक पैसा रखी थी। लेकिन बाद में गांधी ने इसका प्रकाशन बंद कर दिया और 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि सन 1932 में जब गांधी गिरफ्तार हुए तो ये दोनों अखबार बंद हो गए। जेल से रिहा होने के बाद गांधी ने 'हरिजन' नाम से एक नया अखबार शुरू किया, जो उनके जीवन

काल तक निरंतर प्रकाशित होता रहा। बाद में 'हरिजन' देश की ग्यारह- बारह भाषाओं में भी प्रकाशित होने लगा था। हरिजन के प्रकाशन की पृष्ठभूमि उन्होंने जेल से ही बनानी शुरू कर दी थी। जेल से बाहर आकर उन्होंने 'हरिजन' को व्यवस्थित रूप से निकालना शुरू किया। 'हरिजन' के माध्यम से वे सामाजिक विसंगतियों से जुड़े हुए विषयों पर ही ज्यादा लिखा करते थे। वैसे 'हरिजन' का केंद्रीय स्वर अस्पृश्यता ही था। गांधी एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे थे। उनकी पत्रकारिता की चिंता सिर्फ आजादी नहीं थी। इसके साथ ही वे राष्ट्रभाषा के मसले पर, गाँव और गाय के मसले पर, अस्पृश्यता यानी अछूतों के मसले पर, सामाजिक समरसता पर, संसदीय प्रणाली पर, शिक्षा पर और स्त्री के अधिकारों के मसले पर भी काम कर रहे थे । वे अपने भाषणों में भी ये तमाम मुद्दे रखते थे और अपने अखबार के माध्यम से भी इस पर जनमत बनाने का काम करते थे। गांधीजी के बारे में हम सबको पता है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई से अधिक लोक जागरण की लड़ाई को महत्व दिया। आज देश आजाद है, तब पत्रकारिता को देश

को निरंतर जागरण की ओर प्रेरित करने की जरूरत है लेकिन चेतना शून्य बनाने की कोशिश हो रही है।

पत्रकारिता पर गहन चिंतन

गांधीजी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। बहुभाषा विद थे। वे हिंदी, अंग्रेजी गुजराती और उर्दू में भी लिखा करते थे। उस समय देश में आजादी के आंदोलनों को लेकर जो संघर्ष और विमर्श हो रहा था, उस पर उनकी पैनी दृष्टि रहती थी । लेकिन इसके अलावा भी समाज के जो दूसरे मुद्दे थे उस पर भी गांधीजी सकारात्मक दृष्टि के साथ कलम चलाया करते थे। उस वक्त कुछ अखबारों की सांप्रदायिक मानसिकता को देखकर उन्होंने लिखा था, ''अखबार तेजी से लोगों के गीता, कुरान और बाइबिल बनते जा रहे हैं। एक अखबार यह अनुमान तो लगा सकता है कि दंगे होने वाले हैं और दिल्ली में सभी लाठियां और चाकू बिक गए हैं। एक पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को बहादुरी का पाठ सिखाए न कि उनके भीतर भय पैदा करे।'' हम आज की स्थिति देखें। आज का मीडिया क्या कर रहा है? सुरक्षा की भावना पैदा करने की बजाय वह रोज भय का वातावरण पैदा कर रहा है। कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है। गली मोहल्ले में होने वाले घटना को भी वह सनसनीखेज तरीके से पेश कर देश में अनावश्यक बहस का मुद्दा बनाने की कोशिश करता रहता है। देश में जो वातावरण नहीं है, वह दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में हमें गांधी की पत्रकारिता बरबस याद आती है, जो दिलों को जोड़ने का काम करती थी। चेतना को व्यापक धरातल तक ले जाने की कामना करती थी। आज के अनेक अखबार विज्ञापन पाने के लिए सत्ता के चाटुकार बन जाते हैं जबकि गांधीजी उस दौर में तमाम आर्थिक परेशानियों के बावजूद अपने किसी भी अखबार में कोई विज्ञापन नहीं छापते थे। ऐसा नहीं है कि लोग आकर उनसे संपर्क नहीं करते थे। लोग आते थे, विज्ञापन देने के लिए लेकिन गांधी विनम्रतापूर्वक मना कर देते थे । भारत में तीस साल की सक्रिय पत्रकारिता में एक बार भी उन्होंने विज्ञापन का सहारा नहीं लिया। तमाम आर्थिक परेशानियों के बावजूद वे अपने अखबारों का प्रकाशन करते रहे क्योंकि उनके लिए पत्रकारिता एक मिशन थी। एक जुनून था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में वो जुनून अनुपस्थित है। अब जुनून में केवल बाजार है और बाजारू होने की हल्की मानसिकता है, जिसके चलते पत्रकारिता से साहित्य, संस्कृति, कला, गाँव और गाय जैसे विषय लुप्त होते जा रहे है।

आज के अनेक अखबार विज्ञापन पाने के लिए सत्ता के चाटुकार बन जाते हैं जबकि गांधीजी उस दौर में तमाम आर्थिक परेशानियों के बावजूद अपने किसी भी अखबार में कोई विज्ञापन नहीं छापते थे। ऐसा नहीं है कि लोग आकर उनसे संपर्क नहीं करते थे। लोग आते थे, विज्ञापन देने के लिए लेकिन गांधी विनम्रतापूर्वक मना कर देते थे । भारत में तीस साल की सक्रिय पत्रकारिता में एक बार भी उन्होंने विज्ञापन का सहारा नहीं लिया। तमाम आर्थिक परेशानियों के बावजूद वे अपने अखबारों का प्रकाशन करते रहे ....

लोक जागरण की कोशिश

यह बेहद सुंदर बात है कि गांधी की पत्रकारिता-दृष्टि किसी भी कट्टरता का शिकार नहीं थी। वे निष्पक्ष होकर अपने अखबारों के माध्यम से जन जागरण की कोशिश कर रहे थे। यही पत्रकारिता का सच्चा धर्म है । गांधी उस दौर में भी देखा करते थे कि अखबारों के माध्यम से कुछ लोग देश की सुख शांति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे पत्रकारिता के माध्यम से ऐसे लोगों की खुलकर निंदा भी किया करते थे। साथ ही गांधी जी भी चाहते थे कि पत्रकार संगठन ऐसे अखबारों की निंदा करें जो समाज को दिशाहीन करने की कोशिश करते है, सीधे सादे लोगों को अपनी लेखनी के माध्यम से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं । गांधीजी का बेहद चर्चित लेख है शविषैली पत्रकारिताश । यह लेख 28 मई, 1931 को 'यंग इंडिया' में छपा था। लेख बहुत लंबा है । यहां उसका सार- संक्षेप ही प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने नफरत फैलाने वाले अखबारों पर चिंता व्यक्त की थी । उन्होंने लिखा था कि 'किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए स्वस्थ लोकमत अति आवश्यक है। यही वो स्वस्थ

लोकमत है जो कि जहरीले समाचार पत्रों का रास्ता रोक सकता है। ''गांधीजी चाहते थे कि अखबार पूरी तरह से स्वतंत्र हों। सरकार पर उसका अंकुश ना रहे लेकिन उनकी ख्वाहिश यही थी कि ऐसी आंतरिक व्यवस्था जरूर की जाय जिससे अखबारों को नियंत्रित भी किया जा सके। अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो उसे सब को स्वीकार करना चाहिए। अखबारों में प्रकाशित गलत बातों पर पत्रकार संगठनों को नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए।''

लगभग नब्बे साल पहले पत्रकारिता के संबंध में कहे गए गांधीजी के विचार आज भी हमें कितने प्रासंगिक लगते हैं। आज हमारा मीडिया सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लेकिन हमने यह भी देखा है कि कैसे अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करके अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संस्थाओं पर कीचड़ उछाला जाता रहा। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो संगठन बने हुए हैं, वे कभी भी अखबारों में प्रकाशित गलत बातों पर प्रतिवाद नहीं करते। यही कारण है कि कभी-कभी मौके विशेष पर कुछ अखबार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर सांप्रदायिकता को भी हवा देने लगते हैं। सांप्रदायिकता के साथ साथ वैचारिक कुंठा भी काम करती है। अगर किसी अखबार की विचारधारा वामपंथी है तो वह दक्षिणपंथियों को कोसती रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधीजी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे लेकिन वे समरसता की बात भी करते थे। उन का कहना था कि ''समाचार-पत्र सेवाभाव से ही चलाने चाहिए। समाचार-पत्र एक जबर्दस्त शक्ति है लेकिन जिस प्रकार निरंकुश पानी का प्रवाह गाँव- के -गाँव डुबो देता है और फसल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश कलम का प्रवाह भी नाश की सृष्टि करता है लेकिन यदि ऐसा अंकुश बाहर से आता है, तो वह निरंकुशता से भी अधिक विषैला सिद्ध होता है। अंकुश अंदर का ही लाभदायक हो सकता है।''

पत्रकारिता एक मिशन

गांधी जी पत्रकारिता को एक मिशन मानते थे। उन्होंने कहा था, ''पत्रकारिता को कभी भी अपनी व्यक्तिगत कमाई का साधन नहीं बनाना चाहिए।'' समकालीन पत्रकारिता के बरक्स अगर हम गांधीजी की पत्रकारिता को देखें तो मुझे लगता है कि श्रेष्ठ पत्रकारिता का मानक गांधी जी की ही पत्रकारिता ही साबित होगी। उनके अखबारों में जो विषय वैविध्य दिखाई देता है, वह आज हिंदी अखबारों में लगभग गायब नजर आता है । गांधीजी की पत्रकारिता समाज को बनाने की पत्रकारिता थी मगर वर्तमान पत्रकारिता पैसा बनाने की पत्रकारिता है। यही बुनियादी अंतर गांधी की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में देखता हूं। आज के अखबारों में नग्नता को दिखाने वाले विज्ञापनों की भी कमी नहीं रहती। और ऐसे ही कुछ अखबारों में नैतिक मूल्यों के पतन के अग्रलेख भी छपते रहते हैं। यह अजीब किस्म की त्रासदी है जो इस दौर की पत्रकारिता में नजर आती है। आज अगर गांधी जिंदा होते तो पत्रकारिता के ऐसे पतन को देखकर न जाने किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करते। शायद अपने स्वभाव के अनुरूप भ्रष्ट और बिके हुए मीडिया के विरुद्ध अनशन पर ही बैठ जाते। गांधी मनुष्य और बेहतर समाज बनाने की पत्रकारिता कर रहे थे, जबकि आजकल धन बनाने की पत्रकारिता हो रही है। अपनी छवि चमकाने और देश की छवि धूमिल करने के लिए भी पत्रकारिता हो रही है। समकालीन पत्रकारिता को गांधी की तरफ लौटना होगा और गांधी ने जिन-जिन मुद्दों को अपने दौर में उठाया था, उन -उन मुद्दों को फिर से विमर्श के लिए केंद्र में रखना होगा। तभी देश का भला होगा।

संपर्कः

सेक्टर- 3, एचआईजी -2/2, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर 492010,

मोबाइल : 9425212720

सच की ताकत

(संस्मरणः- आचार्य विनोबा भावे की मृत्यु से संबंधित)

कामना झा

वर्तमान की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो साधारण होती है, लेकिन वर्तमान की यही साधारण घटनाएं अतीत में स्मृति में आकर बहुत ही असाधारण बन जाती है । बचपन की घटनाएं तो न सिर्फ हमारे जीवन पर अमिट छाप छोड़ती हैं बल्कि कभी-कभी जीवन की दिशा तय कर देती है।

ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है जब मैं छठी कक्षा में पढ़ती थी ।हमारे चाचा जी स्वर्गीय श्री शिव चन्द्र झा, (मथुबनी बिहार) उस समय एम पी थे। हम लोग साऊथ एवेन्यू मे रहते थे और राष्ट्रपतिभवन, सीनियर्स सेकेंडरी स्कूल मे पढते थे (अब केंद्रीय विद्यालय)।

सन 1982 नवम्बर का समय था। दीपावली आने वाली थी, तैयारियां जोर-शोर से चल रही थी। हम सब सात भाई-बहन थे सभी स्कूल की ही पढाई कर रहे थे। हफ्ता भर पहले ही पटाखे सब आ गए थे, जिसे हम सब रोज स्कूल से आने के बाद धूप में सूखने देते और उसे हसरत भरी निगाहों से निहारते। बड़ी बेसब्री से दिवाली आने का इंतजार कर रहे थे। कौन - कौन से पटाखे पहले और कौन से बाद में छोड़ेंगे, इस पर चर्चाएं चलती रोज और रोज ही उसमें कुछ न कुछ बदलाव होते ही रहते थे ।

दिवाली का दिन आया तो लगा जैसे घड़ी की सुई थम सी गई है। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा है । कब सूर्य अस्त होंगे, शाम ढलेगी और हम लाइट की रोशनी में छत पर जाएंगे पटाखे चलाएंगे । पटाखों में रॉकेट सब पटाखों का बादशाह बन बैठा था। हमारे चाचा जी को रोकेट छोड़ना बहुत पसंद था इसलिए पटाखे में रॉकेट उनके लिए भी अलग से रखते थे । वह खुद से उठाकर नहीं छोड़ते थे हम लोगों में से जब कोई उन्हें प्यार से उनके हाथों में रॉकेट चलाने को देते और चलाने के लिए जिद करते तो मुस्कुराते हुए हमारी जिद्द स्वीकार कर लेते थे।

वक्त तो अपनी रफ्तार से बढ़ ही रहा था। वह तो कभी न रुका है न रुकेगा । शाम ढलने लगी पूजा की तैयारी होने लगी थी । पकवान बनकर रसोई घर में तैयार हो गये थे। पूजा समाप्त होने पर हम सभी जल्दी जल्दी प्रसाद खाने लगे कि पटाखे चलाने जाना है। प्रसाद खाते ही ड्राइंग रूम की ओर तेजी से बढ़े क्योकि छत पर जाने का समय हो गया था । जाते ही देखा ड्राइंग रूम में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है । चाचा जी कुछ चिंतन करते

दिवाली का दिन आया तो लगा जैसे घड़ी की सुई थम सी गई है। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा है । कब सूर्य अस्त होंगे, शाम ढलेगी और हम लाइट की रोशनी में छत पर जाएंगे पटाखे चलाएंगे । पटाखों में रॉकेट सब पटाखों का बादशाह बन बैठा था। हमारे चाचा जी को रोकेट छोड़ना बहुत पसंद था इसलिए पटाखे में रॉकेट उनके लिए भी अलग से रखते थे । वह खुद से उठाकर नहीं छोड़ते थे ....

हुए बहुत ही खामोशी के साथ टहल रहे हैं । हम सब कुछ समझ नहीं पाए, फोन की घंटियां बार-बार बज रही थी, उधर दूसरी तरफ से फोन पर कौन और क्या कहा जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था । चाचा सुनते और हूं हां मैं जवाब दे रहे थे।

हमें छत पर पहुंचने की जल्दी हो रही थी मोमबत्तियों की पैकेट लिए हम सब खड़े थे ।

क्या हुआ ? यह पूछने की हिम्मत उनकी गम्भीरता को देखकर किसी में नहीं हो रही थी, फिर भी हम में से एक ने पूछ ही लिया - कब चलेंगे छत पर ?

शाम हो गई अब रात होती जा रही है ! हम इतने उतावले हो रहे थे कि किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या हुआ है ? आप इतने चिंतित क्यों है ? चाचा जी ने बहुत ही धीमी आवाज में सबके चेहरे को पढ़ते हुए अपनी बात रखी --

आचार्य विनोबा भावे नही रहे ! दिवाली नहीं मनेगी! विनोबा बाबा नही रहे यह सुनकर हम लोग भी सकते में आ गए । बहुत ही धक्का लगा । उसका कारण यही था कि चाचा जी कुछ समय पहले ही विनोवा भावे जी से मिलकर वर्धा से आये थे । वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे।

हम बच्चों पर उनकी बहुत ही अमिट छाप पड़ी थी और बहुत ही ध्यान से हम ने उनकी गाथाएं सुनी थी ।चाचा ने विनोवा भावे जी के साथ अपनी हर मुलाकात की बातें हम सब से साझा की थी । उन्हें एक-एक तारीख तक याद थी। भूदान आंदोलन में गांव में घूमे थे बिनोवा भावे जी बिहार गए थे तो किस तरह से उनके साथ गांव गांव जाकर भूदान आंदोलन के लिये लोगों को प्रेरित किया था।

इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें उनका दूसरा निर्णय कि दिवाली नहीं मनाएंगे हमें पसंद नहीं आया । कुछ देर हम सभी एक दूसरे का मुंह देखेते खड़े रहे आंखों ही आंखों में सवाल पूछते रहे हम दिवाली क्यों न मनाएं? विनोबा बाबा की मौत से दिवाली न मानने का क्या लेना देना लेकिन प्रश्न शब्दों के द्वारा मुंह से नहीं निकल सका । चाचा ने खामोशी की चादर ओढ़ ली कुर्सी पर बैठे पांव हिलाते रहे और सोचते रहे । जब वह किसी चिंतन या सोच में होते थे तो पैर हिलाते हुए सोचते थे ।

काफी देर तक हम लोग चुपचाप खडे रहे बाहर से पटाखे की आवाज आने लगी थी । सभी एम पी फ्लैट्स मोमबत्तियों से चमक रहे थे । आसमान में रॉकेट भी चमक रहे थे- फूट रहे थे सब कुछ खिड़कियों से दिखाई दे रहा था। बड़ी हिम्मत करके हमने पूछ ही लिया 'सभी तो दिवाली मना रहे हैं, फिर हम क्यों न मनाएं? चाचा जी ने अपना बुझा सा चेहरा उठाया और कहा -- क्योंकि देश में तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है, देश के तिरंगा को शोक में झुका दिया गया है ।

सभी सरकारी इमारतों की बत्तियां बुझा दी गई है। आज सिर्फ देश ने ही नहीं विश्व ने अपना एक सपूत को खो दिया है । इस बात का दुख सबको है। ऐसी घड़ी में भी तुम लोग दिए-मोमबत्तियां जलाकर दिवाली मनाना चाहते हो तो वह तुम लोगों की मर्जी !

अब हम सब के पास कहने के लिए कुछ बचा ही कहां ? मै चुपके से छत पर गई, देखने कि क्या हाल है ऊपर का ? मै ने देखा हमारे घर के बाएं हाथ में राष्ट्रपति भवन का गुंबद था तो दाएं हाथ की तरफ तीन मूर्ति भवन । हफ्ता भर से जो रोशनियों से चमचमा रहा था, अपनी चमक से हमें दिवाली पास आने की संदेश दे हमें उतावला बना रहा था, वहां अंधेरा पसरा था । राष्ट्रपति भवन के ऊपर लहराने वाला झंडा आधा झुका दिया गया था? तीन मूर्ति भवन में से भी ऐसी ही खामोशियां थी । लड़ियां बंद कर दी गई थी। लेकिन जो सबसे आश्चर्यचकित करने वाला था वह यह कि किसी भी एम पी फ्लैट से लड़ियां नहीं बंद की गई थी सभी अपने-अपने छत पर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से पटाखे छोड़ रहे थे । रॉकेट को आसमान में छोड़ उसकी आवाज पर तालियां बजा रहे थे। मै नीचे उतर आई। चाचा जी की बातें सभी के मन में अपना प्रभाव जमा चुकी थी।

उनकी बातें कि देश में तीन-तीन दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है देश के तिरंगे को आधा झुका दिया गया है सारी इमारतें की बत्तियां बुझा दी गई है आज देश ने नहीं विश्व ने अपना एक सपूत को खो दिया है। इस बात का दुख सबको है ऐसी दुख की घड़ी में भी तुम लोग लडियां मोमबत्तियां जलाकर, पटाखे जलाकर दिवाली की

खुशियां मनाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी।

मै अपने कमरे में चली गई। सभी खामोश थे।किसी के पास किसी से कुछ बातें करने के लिए था ही नहीं । जो प्रसाद खाए थे वही खाए रहे। खाना किसी से खाया ही नहीं गया। कब नींद आ गई पता नहीं सुबह आंख खुली तो दिवाली जा चुकी थी पटाखों के रखे पैकेट हमे कूड़ेदान की तरह लग रहे थे।

बात यही खतम नहीं हुई सभी को पता है कि स्कूलों में दीपावली की चार दिन की छुट्टियां होती हैं। छोटी दीवाली से भैया दूज तक हमारी भी छुट्टियां थी इस बीच टीचर्स होमवर्क भी खूब देते हैं। हमारी हिंदी की मैडम श्रीमती इंदू वाला थी,उन्होंने हमें काम दिया था निबंध लिखने के लिए, विषय था --'हमने दीवाली कैसे मनाई?'

मैं लिखूं तो क्या लिखूं ? हमारे पास निबंध की कई किताबें थी। घर में किताबों की कमी नहीं थी, लेकिन निबंध की किताब में तो लिखा था -- 'दिवाली क्यों और कैसे मनाई जाती है ।' मुझे लिखना था -'कैसे मनाई हमने' हम ने तो दिवाली मनाई ही नहीं, तो लिखे क्या ?

सच लिख नहीं सकते सभी हसेंगे। कल्पना ही करके कई बार लिखने की कोशिश की लेकिन अच्छा ही नहीं लग रहा था, बहुत ही उलझन में थी। बात चाचा जी तक पहुंची उन्होंने बुलाया पूछा कि दिवाली कैसे मनाई तुमने ?

मैंने तपाक से कहा -- मनाई ही नहीं ! नही मनाई? फिर सवाल किया उन्होंने नहीं बनाई ? क्यों नहीं मनाई ? क्योंकि कुछ ही देर पहले बाबा आचार्य विनोबा भावे जी की मृत्यु हो गई थी ।

विनोबा भावे कोन थे ? जानती हो न ? हां जानती हूं। भूदान आंदोलन क्या था पता है न ? हाँ पता है । फिर क्या सोच रही हो ? लिखो ! हमने दीवाली नहीं मनाई क्योंकि दिवाली के दिन आचार्य विनोबा भावे जी की मौत हो गई थी । जब देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई हो । हमने अपना इतना महान व्यक्ति को खो दिया हो, तो देश का नागरिक खुशियां कैसे मना सकता है ? मिठाइयां बॉटकर पटाखे चलाकर और लड़ियो की चमचमाहट रोशनी में दीपावली कैसे मना सकते हैं? दीपावली के दिन अगर तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हो जाती या मेरी हो जाती तो क्या दिवाली मनाते तुम सब ? मैने कहा नहीं । तो फिर सच से क्यों भाग रही हो ? वही लिखो जो सच है, झूठी कहानी लिखकर कॉफी पर गुड वेरी गुड लिखवाने से अच्छा है सच लिखकर मैडम की बातें सुनी जाय ।

चाचा की इन बातों का उस समय क्या मतलब लिया मैने मुझे आज भी याद नहीं, लेकिन दिवाली के दिन की दिनभर की तैयारी और रात की स्थिति का सारा विवरण खोलकर निबंध में लिख डाला । पहले दिवाली क्यों मनाई जाती है, एक पैराग्राफ में निबंध की किताब से उतार दिया फिर सारी घटनाएं लिख डाली इस में विनोबा भावे के कार्यों को भी लिखा जो चाचा ने उन से मिलने के बाद बताएं थे । निबंध लिखकर तैयार तो कर लिया लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही थी ।

अंदर डर था कि पता नहीं इसको पढ़ने के बाद मैडम की क्या प्रतिक्रिया होगी क्लास में मेरी बेज्जती न हो जाए ! सभी हसेंगे ! एक डरपोक - शंकु इंसान कभी भी खुश या संतुष्ट नहीं रह सकता है । वही हुआ । डरते डरते स्कूल गए थे कुछ अलग हटकर लिखने पर मैडम की प्रक्रिया जाने की जिज्ञासा तो थी ही ।

पहला पीरियड ही होता था इंदु वेद मैडम का । वह हमारी क्लास टीचर भी थी और हिंदी संस्कृत दोनों विषय पढ़ाती थी । जाते ही सबको कॉपी जमा करवा मैडम ने टेबल पर रखा और बैठ गई सबका होमवर्क चेक करने। कापियों की ढेर मे से जैसे-जैसे कापी एक-एक करके चेक करती जा रही थी और सबको बुला बुला कर देती जा रही थी वही मै सांस रोक कर टक टकी लगाए अपनी कॉपी को देखते जा रही थी । जैसे-जैसे कॉपियां ऊपर से कम होती गई मेरी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थो और मेरा नंबर भी आ ही गया । मैडम ने कॉफी उठाई चेक करने से पहले पढ़ने लगी। मेरी आंखें कॉफी पर से हटकर मैडम के चेहरे पर टिक गई, उनकी आंखें ऊपर नीचे हो रही थी चेहरे पर कोई भाव नहीं । पढ़ती गई मेरी धडकनें तेज होती गई । निबंध चेक कर दिया लेकिन चेहरे से कुछ प्रतिक्रिया समझ नहीं आई मुझे। कॉपी चेक कर कवर पेज पर नाम पढे -'कामना झा'

डर से मेरी हालत खराब अब मेरी डांट पड़ी और पूरी क्लास में मेरी बेज्जती न हो जाय ।

मैडम भी अपनी कुर्सी को पीछे खिसकाती हुई उठ खड़ी हुई और मेरी कॉपी सबको दिखाती हुई बोली -- 'देखो बच्चों कामना ने निबंध में क्या लिखा है?' वही लिखा है जो वास्तविक में सच है । इसने बड़ी ईमानदारी के साथ सब कुछ लिखा है, जो सब दिवाली के दिन घटी थी । और यही मैने लिखने को कहा भी था । सब से अलग है कामना का निबंध ।

उसके बाद तो जो हुआ उसकी कल्पना तो क्या, कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी । मैडम ने सभी बच्चों से जोरदार तालियां बजाने के लिए कहा। पूरी क्लास तालियो की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। मैं ! जो अब तक सर झुकाए खड़ी थी । अपने सर को ऊपर उठाया। मैडम को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी । और मै चारों तरफ गर्दन घूमा घूमाकर तालियों की आवाज को दिल से महसूस करने लगी । मैडम ने मुझे आगे बुलाया और मेरा निबंध पढ कर सब को सुनाने को कहा। मैने पूरा निबंध पढ़ सुनाया । बच्चे खड़े होकर तालियां बजाने लगे ।

आज भी मेरे कानों में उस दिन की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है । पहली बार पूरी क्लास के सामने मेरे लिए तालियां बजाई गई थी। वह भी सच लिखने के लिए। सच की ताकत मेरे अदर समा चुकी थी । तालियों की गूंज ने मेरा डरपोक और शंकालु मन को मजबूत और आत्मविश्वास से भर दिया था । एक मेरी कॉपी पूरी क्लास की कॉपी पर भारी पड़ी । भीड़ से हट कर थी मेरी कापी । भीड से अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है।

सच की ताकत को मैं महसूस कर रही थी। अभिभावक और शिक्षक दोनों व्यक्तित्व के विकास के आधार स्तंभ होते हैं उनके हाथों में विनाश और निर्माण दोनों होता है नेशन बिल्डर्स यू ही नहीं कहा जाता है । बचपन में अगर मुझे सच लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता और लिखने के बाद शिक्षक द्वारा उसे पढ़ा नहीं जाता, पढने के बाद, सराहा नहीं जाता तो क्या होता??

अगर समय मिले तो जरूर सोचना आप सब ।

संपर्क:

कामना झा

मॉ पीस फाऊँडेशन

जल है अनमोल

पावनी पांडे

विश्व के सामने जल संकट एक भीषण समस्या बना हुआ है। हमारे देश की नदियों में बहता जल हमारा जीव-प्राण है। कई ऐसे मत आ चुके हैं कि अगर भविष्य में विश्वयुद्ध हुआ तो वह पानी के लिए होगा। इस बात से भी इसकी आवश्यकता और महत्ता समझी जा सकती है। जल 'अमृत' है, उसकी एक एक बूंद की कीमत समझ कर उसे सहेजने की आवश्यकता है। साथ ही उसके उपयोग के समय भी पानी का अपव्यय न हो, इस बात का विशेष खयाल रखने की बहुत गरज है। एक दुखद सत्य यह है कि अभी भी हमारे देश में जल का भारी दुरुपयोग होता है। इसके अलावा, हमारे देश में वर्षा के मौसम में पानी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही व्यर्थ बह जाता है। जबकि उसे सहेज कर उसका संरक्षण करने की नितांत आवश्यकता है।पानी हमें प्रकृति द्वारा अनमोल निशुल्क उपहार के रूप में मिला है। प्राणी और प्रकृति की कल्पना जल के बिना संभव नहीं है। पृथ्वी में जितने भी जीव हैं उनका जीवन जल पर निर्भर है। पेड़ में, फलों में, अनाजों में, पत्तों में, जड़ों में, जो स्वाद है रस है, वह सब जल के कारण है।हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की तकरीबन आधी जनसँख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है, और कृषि पूर्णतया जल पर, जिस प्रकार भारत जल के संकट से जूझ रहा है वो दिन दूर नहीं जब हम आने वाले भविष्य की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हम आज अपने मौलिक अधिकारों की बात तो करते है, पर क्या हमे अपने कर्तव्य का बोध है? महात्मा गाँधी ने कहा है कि अधिकार एवं कर्त्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलु हैं यदि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तो हमे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में पीछे नहीं हटना चाहिए इसी सम्बन्ध में एक पुरानी किवदंती हमको याद करनी चाहिए यह एक कहानी है एक कौआ प्यासा था घड़े में थोड़ा पानी था इस किदवंती में कौवा ने जिस प्रकार दो घूंट पानी के लिए संघर्ष किया था आज हमे भी उसी परिश्रम की आवश्यक्ता है अपनी अमूल्य धरोहर जल को बचाने के लिए।एक सर्वे के अनुसार भारत के तीन शहर दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर में पानी का स्तर इतना कम हो गया था कि आज तक ये तीनो राज्य जलविहीन हो जाते यदि इस बार की बारिश अच्छी नहीं हुई होती चूँकि इस बार मानसून अच्छा आया तो फिलहाल यह संकट

जल 'अमृत' है, उसके एक एक बूंद की कीमत समझ कर उसे सहेजने की आवश्यकता है। साथ ही उसके उपयोग के समय भी पानी का अपव्यय न हो, इस बात का विशेष खयाल रखने की बहुत गरज है। एक दुखद सत्य यह है कि अभी भी हमारे देश में जल का भारी दुरुपयोग होता है। इसके अलावा, हमारे देश में वर्षा के मौसम में पानी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही व्यर्थ बह जाता है।

दो वर्षो के लिए कुछ हद तक टल गया है, भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ गर्मी के मौसम में जल संकट हो जाता है और वहां के लोगो को जल खरीदना पड़ता है कैसी विडम्वना है जल जो प्रकृति द्वारा हमे निशुल्क प्रदत है आज हमें उसे खरीदना पड़ रहा है इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।हम सभी ये तो जानते हैं कि जल ही जीवन है पर क्या हम ये मानते है ? क्या हमने कभी स्वयं से ये प्रश्न किया है कि हमारे जीवन में जल का क्या महत्त्व है? एक पुरानी कहावत है की बून्द बून्द से सागर भरता है यदि बून्द बून्द से सागर भरता है तो वो खतम भी हो सकता है अगर हम उसको बर्बाद करते हैं।

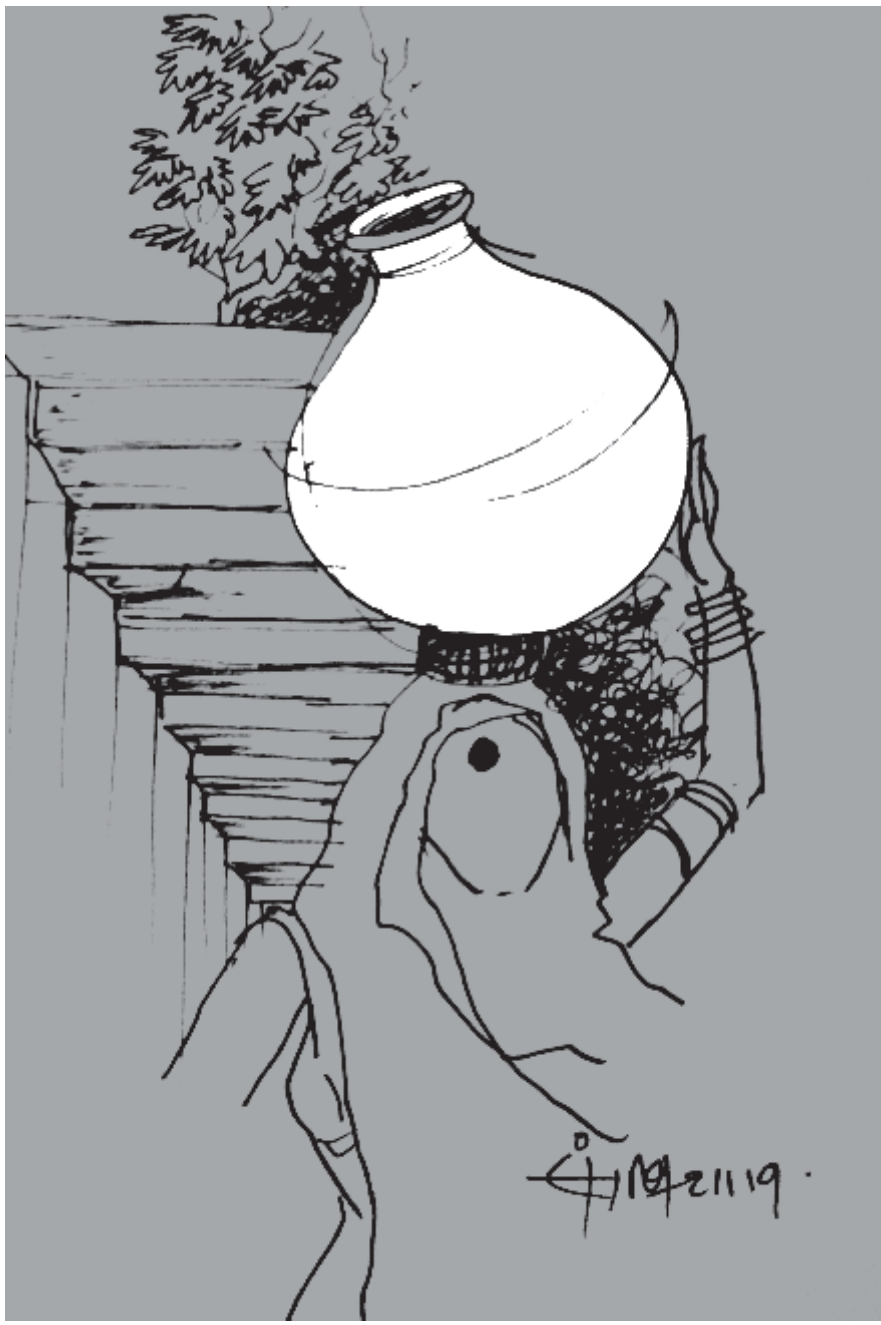

गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि यह जल ही मानव जीवन का आधार है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जल ही जीवन है, जल अनमोल है, जल विलक्षण है। जल सर्वव्यापी है, जल असाधारण है, जल राष्ट्रीय संपदा है, जल परमेश्वर है, जल शिव है, जल शंकर है, जल अमृत है, जल शक्ति है, ऊर्जा है। तथा विनोबा भावे कहा करते थे कि धर्म के आधार पर केवल पानी ही पवित्र करता है। भारतीय संस्कृति पूजा प्रधान है। पूजा पवित्रता के लिए जल आवश्यक है। जल में आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। दुनिया की सभी पुरानी सभ्यताओं का जन्म जल के समीप अर्थात नदियों के किनारे हुआ है। दुनिया के जितने पुराने नगर हैं, वे सब नदियों किनारे बसे हैं। जल है तो कल है, बूंद-बूंद बचाएं। दुनिया में तीन सौ करोड़ लोगों के सामने पेयजल संकट है, मनुष्य को प्रतिदिन तीन लीटर से अधिक पानी पीने के लिए चाहिए। शुद्ध पानी ना मिलने के कारण दुनिया में हजारों बच्चे प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जल की कमी के कारण मनुष्य घातक, खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है।

जीव जीवन और जल तीनों का आपस में अंतरंग गहरा संबंध है। जल चक्र को बनाए रखने के लिए कोहरा ओले बर्फ और पाले की भूमिका महत्वपूर्ण है। पानी में यदि भाप बनने का गुण ना होता तो दुनिया को पानी ही ना मिलता। पानी को छोड़कर दुनिया की सभी चीजें सर्दी में सिकुड़ती है। लेकिन सर्दी में पानी फैलता है, जमने पर 10% अधिक हो जाता है। दुनिया के हर चीज का तापमान पानी के तापमान के मानक से नापा जाता है। समुद्र मंथन से

यह बात स्पष्ट हो गई थी कि जल के भीतर अमृत और विष दोनों हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में जल का बहुत बड़ा योगदान है। पानी सदैव नीचे की ओर बहता है और अपना रास्ता बना स्वयं बना लेता है। मानव शरीर में 70% पानी होता है, दूध में 88 प्रतिशत पानी होता है, आलू में 80 प्रतिशत पानी होता है, हरी सब्जी पत्तेदार सब्जियों में 96% पानी होता है।एक रिपोर्ट के अनुसार जितने लोगों के पास मोबाइल है, उतने लीटर पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। वेदों में, धर्म शास्त्रों में जल संरक्षण के बारे में पूर्व में सचेत किया गया है। पहली बार भारत में 1959 में अमेरिकी सरकार की मदद से भूजल की खोज शुरू की गई। पहली राष्ट्रीय जल नीति 1987 में, दूसरी जल नीति 2002 में, तीसरी जल नीति 2012 में, चौथी जलनीति 2019 में बनी। आज के युग का सर्वाधिक चर्चित शब्द जल है। जल राष्ट्रीय संपदा है, पानी हमें प्रकृति द्वारा अनमोल निशुल्क उपहार के रूप में मिला है। प्राणी और प्रकृति की कल्पना जल के बिना संभव नहीं है। पृथ्वी में जितने भी जीव हैं उनका जीवन जल पर निर्भर है पेड़ में, फलों में, अनाजों में, पत्तों में, जड़ों में, जो स्वाद है रस है, वह सब जल के कारण है।

हमारे देश की नदियों में बहता जल हमारा जीव-प्राण है। कई ऐसे देश है जहां पानी खत्म हो गया है। इसलिए तुम अब पानी बर्बाद मत करना। बेटे यह जल तो 'अमृत' है, उसके एक एक बूंद की कीमत समझ कर उसे सहेजने की आवश्यकता है। साथ ही उसके उपयोग के समय भी पानी का अपव्यय न हो, इस बात का विशेष खयाल रखने की बहुत गरज है।

आज सरकार तथा और भी बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाए हैं जो जल संरक्षण की ओर अपना प्रयास कर रही हैं और सफल भी हो रही हैं ,वे जनता को जल बचाने के प्रति जागरूक भी कर रही हैं एवं ऐसे आयामों की व्यवस्था भी कर रही हैं जिससे वर्षा के पानी को इक्ट्ठा करके जल संकट से निपटा जाये। कहते हैं शिशु की प्रारंभिक पाठशाला घर से शुरू होती है हमे सर्वप्रथम स्वयं को एवं अपने परिवार को शिक्षित करना होगा और उन्हें बताना होगा कि जल की बर्बादी को कैसे रोका जाये हम अपने घरो में नहाने के लिए झरनो के स्थान पे बाल्टी का प्रयोग, ब्रश करते समय नल को बंद रखने के तरीको से पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं आजकल शहरी इलाको में शुद्ध पानी के लिए लोग अपने घरो में आधुनिक तकनीक का जल शोधन मशीन या ऐसे ही यंत्र का प्रयोग करते है। उस मशीन से निकला अशुद्ध पानी एक पाइप के रास्ते नाली में गिरता है यदि हम उस पानी को किसी पात्र में इक्कठा कर लो तो उसका उपयोग हम स्नान करने एवं ब्रश करने में करते है तो वह एक समझदारी भरा कदम होगा।

हमें हमेशा सावधानी से काम करना होगा और यह बात मन मे रखनी होगी कि जल की बरबादी से जल की कमी हो रही है। इसे हम हल्के मे नही ले सकते है बेटे। विश्व के सामने जल संकट एक भीषण समस्या बना हुआ है। हमारे देश की नदियों में बहता जल हमारा जीव-प्राण है। कई ऐसे देश है जहां पानी खत्म हो गया है। इसलिए तुम अब पानी बर्बाद मत करना। बेटे यह जल तो 'अमृत' है, उसके एक एक बूंद की कीमत समझ कर उसे सहेजने की आवश्यकता है। साथ ही उसके उपयोग के समय भी पानी का अपव्यय न हो, इस बात का विशेष खयाल रखने की बहुत गरज है। एक कारण यह भी है कि अभी भी हमारे देश में जल का भारी दुरुपयोग होता है। इसके अलावा, हमारे देश में वर्षा के मौसम में पानी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही व्यर्थ बह जाता है। जबकि उसे सहेज कर उसका संरक्षण करने की नितांत आवश्यकता है।पानी हमें प्रकृति द्वारा अनमोल निशुल्क उपहार के रूप में मिला है। प्राणी और प्रकृति की कल्पना जल के बिना संभव नहीं है। पृथ्वी में जितने भी जीव हैं उनका जीवन जल पर निर्भर है। पेड़ में, फलों में, अनाजों में, पत्तों में, जड़ों में, जो स्वाद है रस है, वह सब जल के कारण है।

संपर्क:

4719, ई-ब्लॉक, फ्लोर नं.-7, यूबी फ्लैट्स सारंगपुरा, जयपुर, राजस्थान- 302026

मो. 8740914143

माधव कौशिक की कविताएँ

सपना

और नयी दुनिया का सपना
केवल सपना ना रह जाये
वह सपना भी आंसू बनकर
कहीं आंख से ना बह जाये

इस सपने को जिन्दा रखना
जिम्मेदारी है हम सब की
इसकी खातिर जिन्दा रहना
हिस्सेदारी है हम सबकी

इसी एक सपने की खातिर
रोना, धोना, सोना छोड़ो
जर्जर कंधों पर जीवन का
बोझ निरर्थक ढोना छोड़ो

उठो और उठकर सब भागो
तन्द्रा तोड़ो, सारे जागो
सिर्फ नयी दुनिया का सपना
पूरा करके ही सोयेंगे
इसी एक सपने की खातिर
बीज उजालों के बोयेंगे।

नये सिरे से

चाहे आंखें बहुत पुरानी
लेकिन स्वप्न नये-नये दे

बेशक पैर बहुत ही जर्जर
बाबा आदम के
चलते-चलते तलुवे भी
घिस गये हों लेकिन
मंजिल उनको नयी-नयी दे

बेशक धरती बहुत पुरानी
बड़े पुराने नदियां-नाले
लाखों सालों के पर्वत
अनन्त समय के सूरज-चन्दा
फिर भी रोज नये लगते हैं

इन्सां भी तो बहुत पुराना
अरबों-खरबों साल बिता कर
बिल्कुल नया-नया लगता है

इसी नयेपन से यह दुनिया
कभी पुरानी नहीं हुई है
आओ नये सिरे से इसको
और नया आकार दिलाएं।

बुरे दौर में

कितने बुरे दौर से
गुजर रहे हैं हम
फूल को उठाकर फेंकते है
तो वह पत्थर में बदल जाता है

हाथ लगाते ही पानी
तबदील हो जाता है पारे में
सारे शब्द भुरभुरा कर गिरने लगे हैं
चीख हलक में आने से पहले ही
दम तोड़ देती है

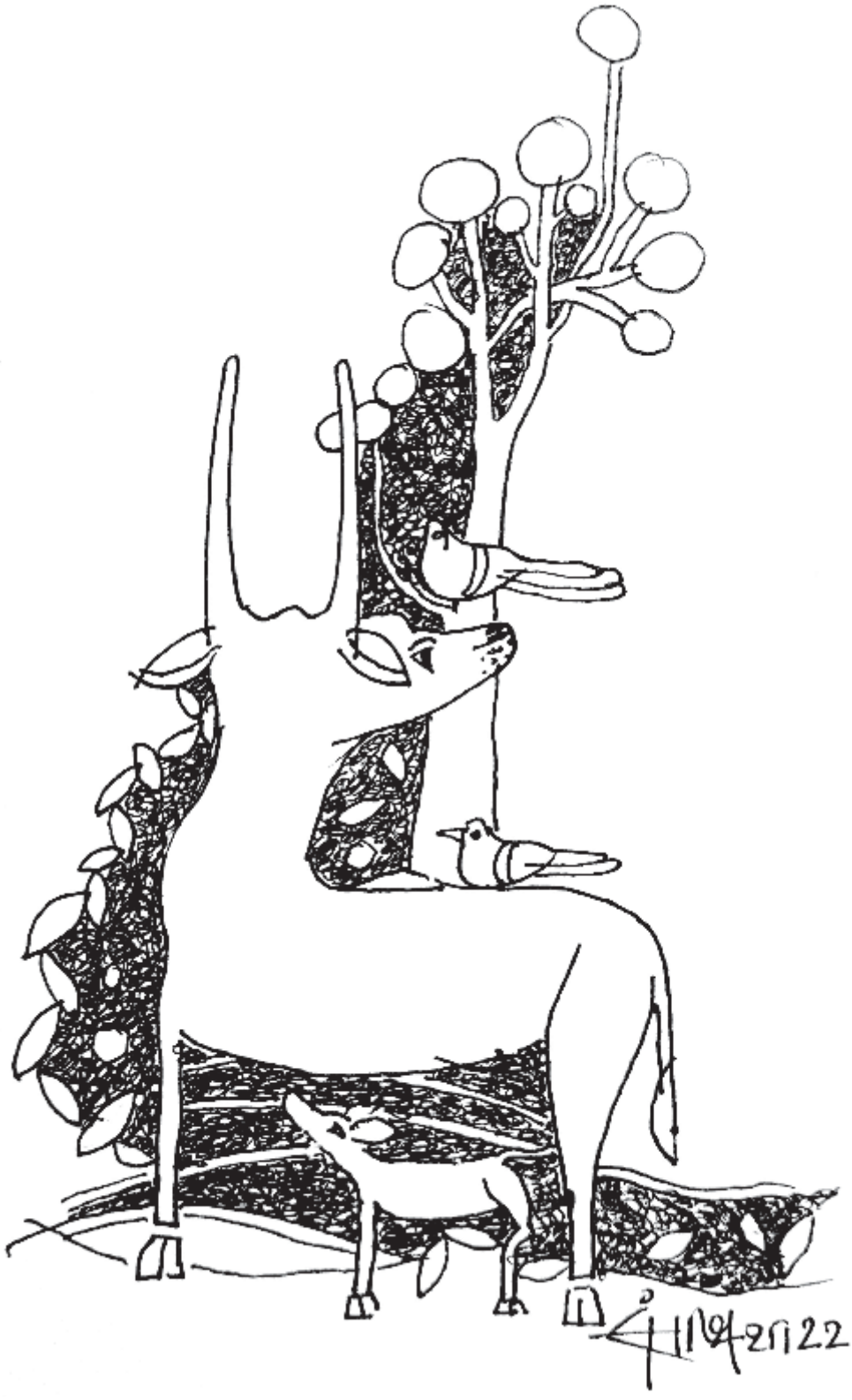

रिश्ते तलक रेत की दीवार से
दरकने लगे है
गालियां अभिवादन का सलीका
तो अश्लीलता सभ्यता का तरीका हो गई है

पांव रखते हैं कहीं पर
तो गिरते हैं कहीं ओर जाकर
धड़ाम से समझ से
परे है दुनिया दुनिया
से परे है समझ
बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम।

दुनियां नहीं बनी है

दुनिया नहीं बनी है
केवल एक ही दिन में
एक ही दिन में चांद-सितारे
सूरज, धरती, सागर सारे
सारे जंगल, पर्वत, पौधे
एक ही दिन में कहां बने हैं।

लाखों-लाखों साल में जाकर
ये दुनिया तामीर हुई है
इनसानों की प्रजाति भी
नहीं बनी है पलक झपकते
हम सब के सीने का दिल भी
धड़क रहा कितनी सदियों से

सारे रोये-रेशे तन के
सारी मन की जिज्ञासाएं
हाथों-हाथ कहां पनपी हैं

मानव ने नन्हें पैरों से
छोटे-छोटे इन हाथों से
पृथ्वी को आकार दिया है
मनमोहक श्रृंगार किया है

जब भी कोई कुंठित व्यक्ति
विचलित होकर
इस धरती की मांग में लावा
भरने की साजिश रच दे तो
धीरे से उसके कानों में इतना कहना
'दुनिया नहीं बनी है
केवल एक ही दिन में'

धूप

क्या किस्मत पाई है
धूप ने
तमाम उम्र छांव भी
नहीं होती नसीब

देखो!
तप-तप कर
कुंदन हो गई है धूप

मरे-खपे देवताओं की
ड्योढ़ी पर
माथा रगड़ते-मनौतियां मांगते
लोगों पर
धूप का जादू
सर चढ़कर कभी नहीं बोलता!

हर अंधेरे के विरुद्ध
धूप का फतवा
सदियों से बरकरार है

सच तो यह है
अंधेरों के विरूद्ध
इस भयावह युद्ध में
धूप ही एकमात्र हथियार है।

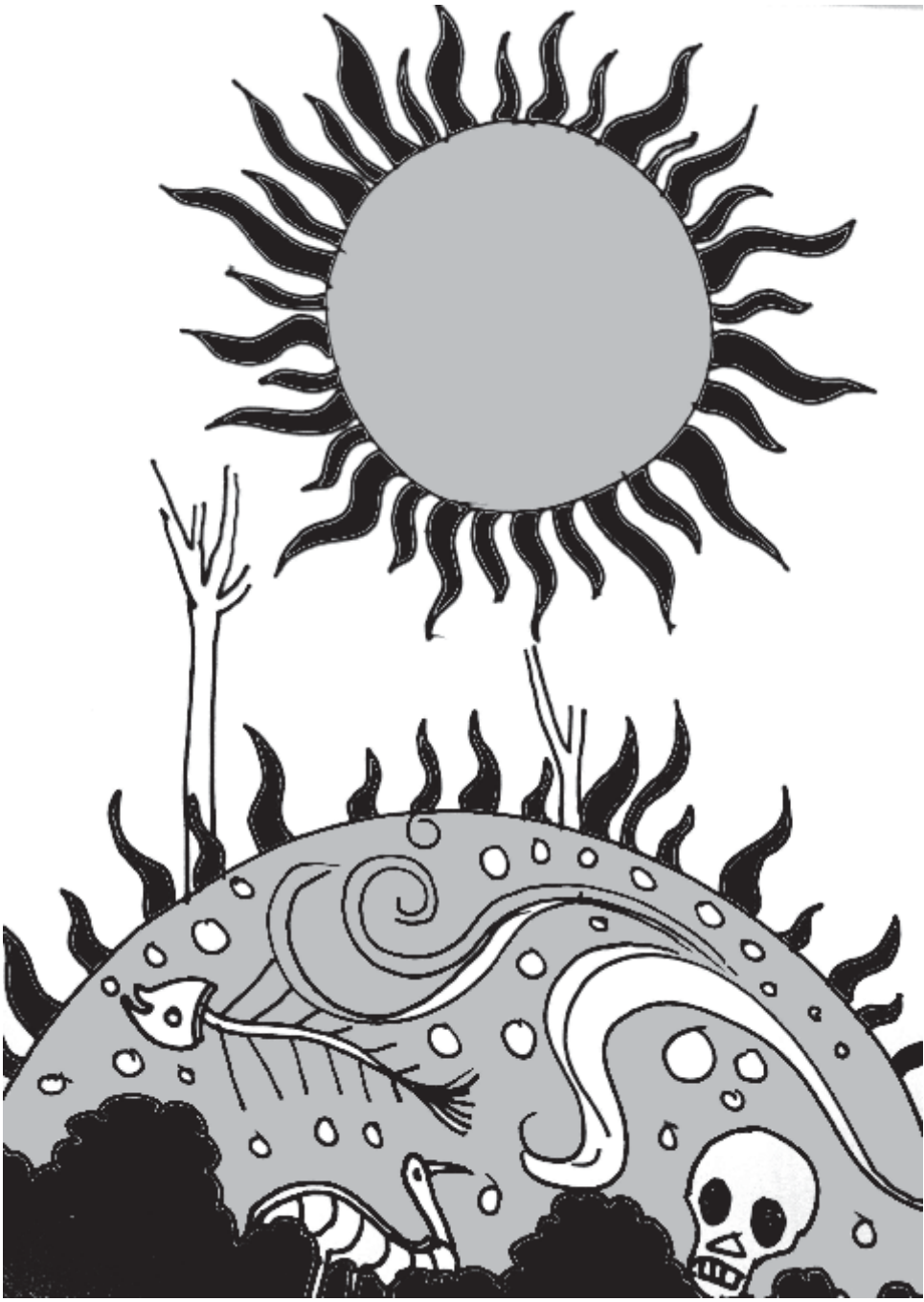

दहलीज लांघने की उत्तेजना

चलने से पूर्व
सोच लेते गंतव्य के विषय में
तो रास्ते का भान रहता
और कठिनाइयों की खबर भी

मगर हम तो
भावावेश में चल निकले
तमाम जोखिमों पर भारी पड़ी
दहलीज लांघने की उत्तेजना
सो मुड़ कर भी नहीं देखा

बहुत देर तक चलने के बाद
मालूम हुआ कि यह रास्ता तो
किसी भी मंजिल पर पहुंचता ही नहीं
नहीं पहुंचती यह पगडंडी
किसी मुकाम पर

आज हालत यह हैं
पीछे लौटना संभव नहीं
और आगे बढ़ने का अर्थ
निरंतर, अविराम चलते रहना
जीवन-पर्यन्त
मृत्यु के द्वार तक।

शब्द

कुछ शब्दों में समा गई है
सारी दुनिया
कुछ शब्दों में
गर्क हो गये सारे सागर
सारी सुन्दरता दुनिया की
कुछ शब्दों में छिप जाती है

सारा वैभव आसमान का
कुछ शब्दों का ऋणी रहेगा
इन शब्दों में ही रहता है
शिव का सारा भोलापन भी

सत्य सदा प्रस्फुटित होता
कुछ शब्दों में
सत्यम, शिवम, सुंदरम से
यदि मिलना चाहो
चलो उठो और शब्दों का
संसार रचाओ।

(कवि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं।)

फोटो में गांधी

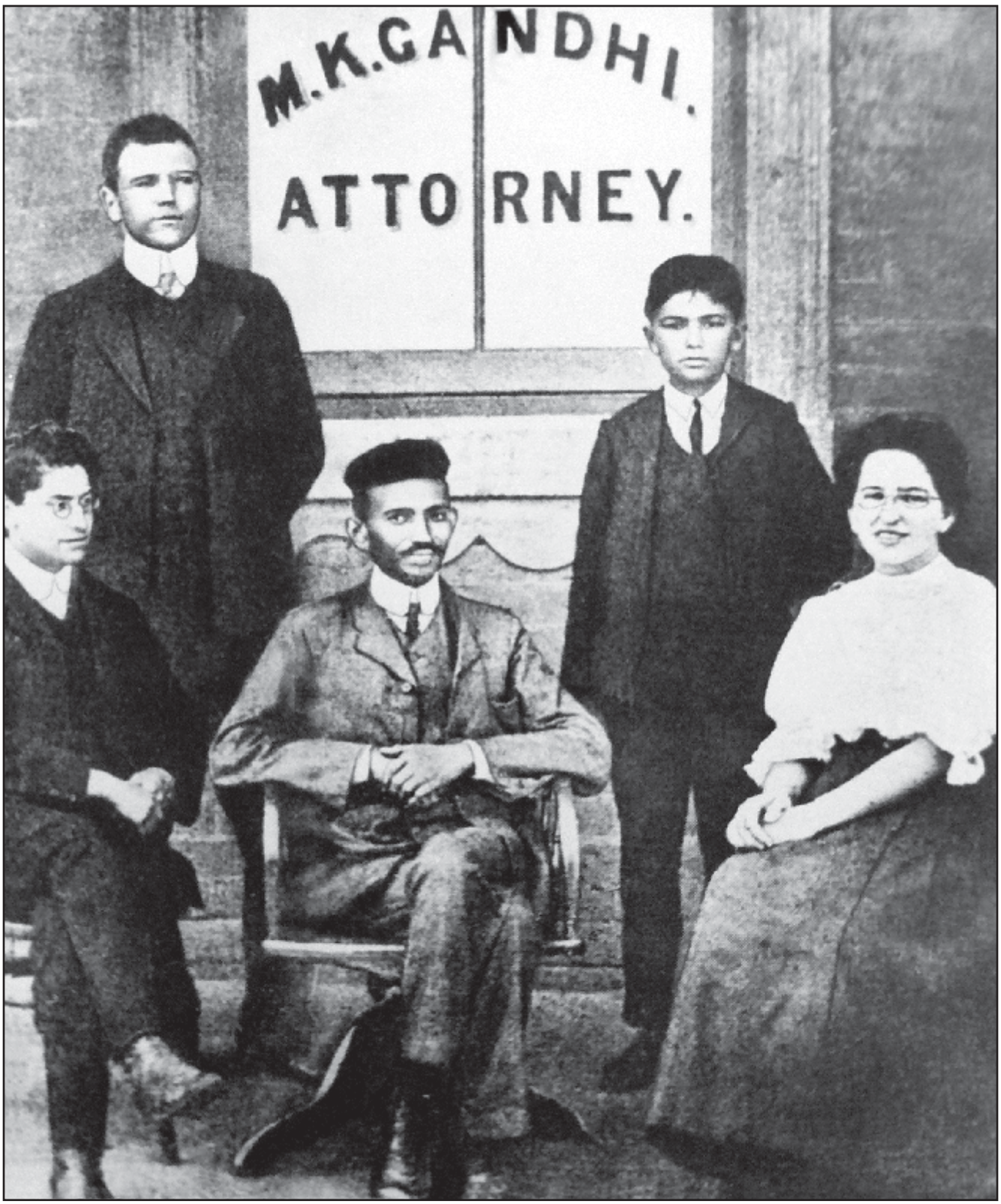

चित्रकारी

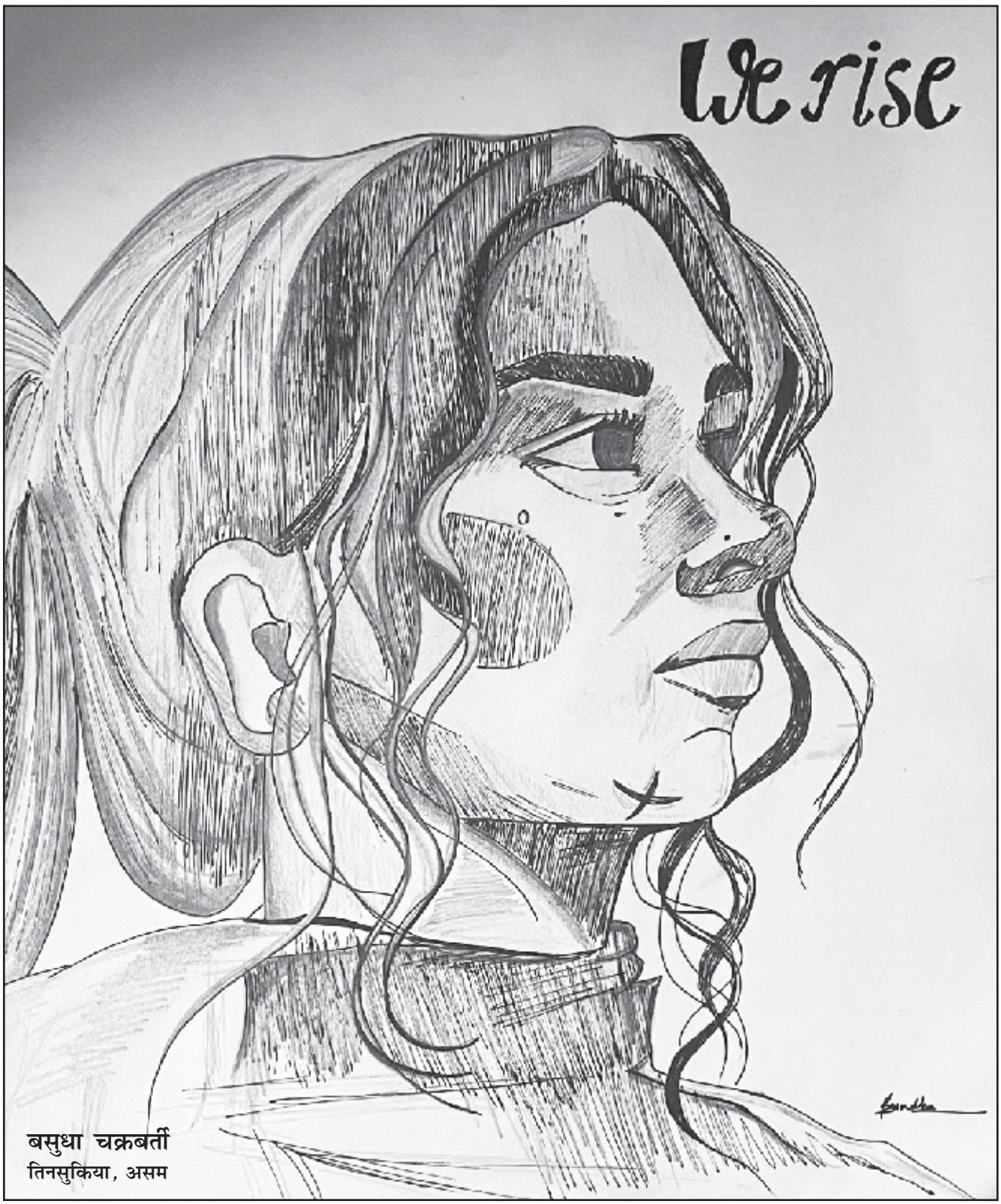

बसुधा चक्रबर्ती
तिनसुकिया, असम

तितलियों की सैर

सुमन बाजपेयी

''वाह! कितना सुंदर गांव है,'' रुहानी तितली उड़ते-उड़ते एक फूल पर जा बैठी। उसके नारंगी रंग के पंखों पर सुनहरी और काली धारियां बनी हुई थीं।

''सचमुच बहुत निराला गांव है। शहर में ऐसी शांति और प्रदूषण मुक्त वातावरण कहां मिलता है। अच्छा हुआ हम आईं। अब कुछ दिन रुकने के बाद ही वापस जाएंगे,'' सुहानी ने अपने लाल रंग के खूबसूरत पंख फैलाए। उसके पंखों पर काले और पीले रंग के बिंदु बने थे और किनारे पर पीले रंग की धारियां थीं। मानो किसी ने उसके पंखों पर चित्रकारी की हो। वैसे भी तितली के पंख बड़ी महीन झिल्ली से बने होते हैं जिनमें बारीक नसों का जाल सा होता है। ये महीन झिल्ली हजारों नन्ही-नन्ही पपड़ियों से भरी होती है। हर पपड़ी एक कोशिका का विस्तार होती है। तितली के पंख में जो पाउडर जैसा पदार्थ होता है वही पपड़ियां होती हैं जो उनके पंखों को रंग प्रदान करने के साथ-साथ उनका बचाव भी करती हैं।

रुहानी और सुहानी उत्तराखंड के रामनगर के क्यारी गांव में 'तितली त्योहार'में हिस्सा लेने आई थीं। इस त्योहार का उद्देश्य होता है कि लोग तितलियों के संसार को जानें। खासकर बच्चे जिनका जीवन घर में बंद होकर केवल इंटरनेट पर प्रकृति के सुंदर नजारों और जीव-जंतुओं की तस्वीर देखने तक ही सिमट कर रह गया है। त्योहार की रौनक तो देखते ही बनती थी और बच्चों को उन्हें छूने के लिए मचलना और उनका फुर्र से उड़ जाना जैसे एक मजेदार खेल बन गया था।

वहां उन्हें अन्य प्रजातियों की तितलियों को देख बहुत खुशी हुई। कॉमनयेलो ग्रास,जेन्टरेड आई, पीब्लू, गौडी बैरन, ऑरेंजअवलेट, फॉरगेटमीनॉट, लस्कार, कॉमनजेजबेल, कॉमनवनडरर, ग्रेट एग्गफलाई, कॉमनमॉरमॉन, कॉमनलेपर्ड, कमांडर, स्ट्रिपब्लूक्रो, प्लेन टाइगर, न जाने कितनी विविध तितलियां आई थीं इस त्योहार में हिस्सा लेने।

त्योहार खत्म होने के बाद जैसा उन्होंने तय किया था, वे कुछ दिन उसी गांव में रुक गईं। उनके लिए वहां बहुत प्यारे-प्यारे, रंग-बिरंगे फूल भी थे।

''इस गांव की नदी किनारे सैर करना कितना आनंददायक है। कोसी नदी क्यारी की सुंदरता में चार चांद लगाती है। पहाड़ों के बीच से जाती यह नदी अद्‌भुत है। मैं तो कुछ देर नदी किनारे बैठ खूबसूरत वादियों को देखूंगी। ठंडे पानी के छींटे मुझे भिगो रहे हैं। वे जो सामने झोंपड़ीनुमा घर बने हैं और उनके पार खेत भी है, इन्हें देखना एक अलग ही अनुभव है मेरे लिए,'' रुहानी तितली चहकते हुए बोली।

''यहां यह ऑलवेदर रोड नई बनी है। इससे लोगों को बहुत आराम हो गया है। मुझे लगता है इसका डिजाइन बहुत ही दिलचस्प है,'' सुहानी ने जानकारी दी।

''चित्रकार और फोटोग्राफर यहां आने लगे हैं। वह देखो सामने जो विदेशी बैठा है वह कैसे फोटो खींच रहा है अपने कैमरे से। गांव के जादू को कैद करने की कोशिश कर रहा है,'' सुहानी तितली चंचल स्वभाव की थी, इसलिए हर बात को चटखारे लेकर कहती थी।

''हो सकता है कोई हमारी भी पेंटिंग बनाना चाहे। हमारे पंख भी तो कितनी आकर्षक हैं,'' रुहानी तितली इतराते हुए बोली।

''बेशक। हम इतने सुंदर फूलों पर जो बैठी हैं।''

''पहाड़ और पहाड़ के लोगों की संस्कृति ने तो मेरा मन मोह लिया है। शहर का असर अभी यहां नहीं देखने को मिल रहा है। खूबसूरत वादियों में तो मेरा नाचने का मन कर

रहा है। ऐसी हरियाली कहां देखने को मिलती है,'' सुहानी फूल से उड़कर हवा में झूमने लगी।

''मुझे भूख लग रही है। चलो पहले थोड़ा फूलों का रस पी लेते हैं।''

फूलों का रस पीने के बाद वे दोनों उड़ते-उड़ते एक घर के पिछवाड़े में बने बगीचे में जा पहुंचीं। हर क्यारी में गुलाब, गहरे बैंगनी और सफेद डेजी के फूल लगे थे। सूरजमुखी के बड़े-बड़े फूल एक कोने में मुस्करा रहे थे। सदाबहार और एशियाटिकलिली, छुईमुई–फूलों की इतनी किस्मों को देख उन दोनों को फिर से भूख लगने लगी। वे फूलों के रस को पीने लगीं।

तभी एक छोटी लड़की वहां आई। उन दोनों को फूलों पर बैठे देख वह ध्यान से उन्हें देखने लगी। ''मां, देखो कितनी सुंदर तितलियां,'' वह बोली। रुहानी और सुहानी को देख उसकी आंखों में चमक आ गई थी।

उसकी मां बगीचे में आई। उसकी वेशभूषा पहाड़ में रहने वाली स्त्रियों की तरह थी। लंबा चोगा पहना हुआ था उसने और चांदी के आभूषण भी।

''कोली, दूर से देखो। ज्यादा शोर मत मचाओ, वरना डर कर ये उड़ जाएंगी। तुम चाहो तो इनके चित्र बनाने की कोशिश कर सकती हो,'' मां ने कोली को धीरे बोलने का इशारा करते हुए कहा। रुहानी-सुहानी जो सुबह से उड़ रही थीं, उन्हें नींद आने लगी थी। बच्ची और उसकी मां को देखने के बाद वे आश्वस्त थीं कि उन्हें वे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। दोनों फूल पर बैठे-बैठे सो गईं। उन्हें नहीं पता था वह बच्ची उनका चित्र बना रही है।

जब वे सोकर उठीं तो देखा बच्ची कागज पर उनका चित्र बना चुकी थी।

''मां, मुझे रंग दे दो। मैं चित्र में इनके पंखों के रंग भरना चाहती हूं।''

यह सुन सुहानी, रुहानी से बोली, ''अभी हमें यहीं रुकना होगा। यह बच्ची कागज पर बने चित्र पर हमारे रंग भरना चाहती है। जब तक वह ऐसा नहीं कर लेती, हमें चुपचाप फूल पर ही बैठे रहना होगा। अपने पंख ठीक स फैला लेते हैं ताकि उसे हमारे रंग दिखें।''

वे दोनों तितलियां देर तक फूलों पर बैठी रहीं। कोली रंग भर रही थी। कागज पर बनी उन तितलियों को देख रुहानी-सुहानी को लगा कि वे सचमुच वहां भी हैं। बच्ची की खुशी उन्हें सुकून दे रही थी।

शाम घिरने लगी थी।

''शुभरात्रि, प्यारी बच्ची। हमारा इतना अच्छा चित्र बनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुमने हमारे रंगों को और सुंदर बना दिया है।''

उड़ते-उड़ते सुहानी बोली, ''गांव की सैर कितनी रोमांचक रही।''

''अगले साल फिर आएंगे हम 'तितली त्योहार' में और इस बच्ची से भी जरूर मिलेंगे।''

संपर्क:

12, एकलव्य विहार, सेक्टर-13, रोहिणी
दिल्ली-110085, मो. 9810705705

हिंसा-अहिंसा

वसीम अहमद नगरामी

पिंकू अपने अध्ययन कक्ष की खिड़की खोल कर, बड़े मनोयोग से पुस्तक पढ़ने में मगन था। तभी उसकी पुस्तक पर ऊपर से कुछ गिरा। उसने ऊपर देखा तो छत पर छिपकली थी। उसे समझते देर न लगी कि उसकी पुस्तक पर छिपकली ने बीट कर दिया है। वह वहां से उठ कर गुस्से से तमतमाया हुआ अंदर गया और मम्मी से बोला, ''मां', मुझे छत तक पहुंचने वाली एक छड़ी चाहिए।' मम्मी ने ढूंढ कर छड़ी उसे थमा दिया और अपने काम में लग गईं। पिंकू छड़ी लेकर अध्ययन कक्ष की ओर चला तो दादी की नजर पिंकू पर पड़ गई। दादी ने पूछा, 'पिंकू इतनी लंबी छड़ी का क्या करोगे?'

'आज मेरे हाथों से बचने वाली नहीं। आज इसका राम नाम सत्य करके ही दम लूंगा।' पिंकू ने हेकड़ी झाड़ते हुए कहा।

'तुम किसका राम नाम सत्य करने की बात कर रहे हो?' कहते हुए दादी पिंकू के निकट आ गईं और स्नेहसिक्त भाव से पिंकू का सिर सहलाने लगीं। अब तक उन्होंने छड़ी को भी अपने काबू में कर लिया था। दादी के हाथों की कोमल -कोमल ममतामयी उंगलियों के स्पर्श ने धीरे -धीरे पिंकू के अंदर के गुस्से को शांत कर दिया । पिंकू बोला, 'दादी क्या छिपकली को मारना कोई बुरी बात है? उसने मेरी पुस्तक पर बीट कर दिया तब उसने यह नहीं सोचा कि मेरी पुस्तक गंदी हो जाएगी तो मैं अपने टीचर जी को और मित्रों को क्या बताऊंगा? इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ गया कि मैं उसे मार डालूं।' पिंकू ने नादानी भरे लहजे में जवाब दिया।

'नहीं बेटा! ऐसा उचित नहीं होता, यह तो जीव -हत्या हो जाती यानी हिंसा! तुम तो पुस्तकों में पढ़ते भी आए हो कि हमारे राष्ट्रपिता बापू ने हिंसा न करने की सलाह दी है।' दादी ने अजीब सा घृणित भाव वाला चेहरा बनाते हुए कहा। 'तो क्या हिंसा बहुत बुरी चीज है दादी?' पिंकू ने उत्सुकता भरे लहजे में सवाल किया।

'बिल्कुल, हिंसा किसी चीज का न तो हल है और न समाधान।' दादी ने पिंकू को समझाया कि संसार में जितने भी जीव -जन्तु हैं, सभी को स्वछंदता पूर्वक अपना जीवन जीने का अधिकार है।

'दादी एक बार विद्यालय में भी हिंसा -अहिंसा के बारे में टीचर जी ने बताया था। आज अच्छे से समझ आ गया। अब आज के बाद मैं किसी भी जीव -जन्तु पर न तो स्वयं हाथ उठाऊंगा और न ही किसी और को ऐसा करने दूंगा।' पिंकू ने मासूमियत भरे लहजे में कहा। पिंकू की भोली-भाली किन्तु समझदारीपूर्ण बातें सुनकर दादी ने प्रसन्न होकर पिंकू का माथा चूम लिया। दादी -पोते के मध्य के इन स्नेहिल एवं भावपूर्ण क्षणों को देख पिंकू की मां भी मन्द -मन्द मुस्कुरा रही थीं। पिंकू की मां और दादी को इस बात की खुशी थी कि आज हिंसा -अहिंसा की समझ पिंकू को अच्छे से हो गई थी।

संपर्क:

मो. 9198931894

नानी का उपहार

पूजा गुप्ता

गर्मी की छुट्टियां पड़ गई तो सभी उत्साहित थे।

रिंकू, टिंकू, चंदा, वृंदा चारो भाई-बहन अपना अपना सामान बैग में भरते हुए खुशीं से झूम रहे थे। तभी पापा ने आवाज लगाकर चारों को बुलाया और कहा, 'दो बच्चों नानी के घर जाकर शैतानी बिल्कुल नहीं करना। नानी अब बुजुर्ग हो गई है, उनकी सेवा करना तुम सब.. ठीक है ना!'

चारों में रिंकू पापा से बोला, 'पापा हम लोग नानी को परेशान नहीं करेंगे...।'

'ठीक है तुम सब अब जल्दी से खाना खाकर मम्मी के साथ नानी के घर चले जाओ।' पापा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए।

'रिंकू... टिंकू... चंदा... वृंदा... जल्दी से खाना खाओ।' मम्मी ने चारो को आवाज देकर बुलाई।

सब बच्चें खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। वे चारो नानी को उपहार देने के लिए योजना बना रहे थे।

टिंकू ने चंदा से कहा कि, 'तुम क्या दोगी नानी को?'

चंदा- 'मैं तो नानी को लाठी लाकर दूंगी। उन्हें चलने में आराम होगा।'

टिंकू -'हां ये ठीक रहेगा मैं भी नानी को चश्मा लाकर दूंगा, ताकि उन्हें देने में आसानी रहे।'

वाह टिंकू..! मैं और वृंदा मिलकर नानी के लिए मीठे आम ले जाएंगे, उन्हें बहुत पसंद है।' रिंकू बोला।

लगभग सभी ने योजनानुसार उपहार लेकर मम्मी के साथ नानी के घर चल दिये।

नानी के घर पहुंचते ही सब बच्चे खुशीं नाचने लगे।

'अरे मेरे प्यारे बच्चों तुम सब आ गए। तुम सब को देने के लिए मेरी आँखें तरस गई थी। क्या तुम सब को मेरी याद आती थी?' नानी की आखों में बच्चों को देकर खुशियों के आंसू आ गए।

सब बच्चे एक साथ बोले, 'हाँ नानी बहुत याद आती है। हम आपके लिए उपहार लाए हैं।'

नानी खुश होकर भावविभोर हो उठी और सब को गले से लगाया। मम्मी भी उनके पास बैठ गई।

'मैं भी तुम बच्चों के लिए उपहार लाई हूं लेकिन उसी को मिलेगा जो मेरी सेवा करेगा।' नानी बोली।

सब बच्चे एक-दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। आरि नानी क्या उपहार लाई है हम लोगों के लिए। फिर सभी नानी की सेवा करने में जुट गए।

कोई हाथ दबाता, तो कोई पैर दबाता। सभी बच्चे उपहार लेने के लिए उत्साहित थे।

नानी प्रसन्न होकर सब बच्चों को उपहार देने के लिए अपना बक्सा लेने अपने कमरे में गई। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आई।

'ये लो बच्चों ये किताबें जो ज्ञान की बातों से भरपूर है। तुम सब इसका मोल समझना। ये कई धन दौलत से बढ़कर है।' नानी सबको देते हुए बोली।

बच्चें सोचने लगे और वृंदा नानी से कहने लगी, 'इन किताबों से क्या हासिल होगा भला नानी?'

'इन किताबों में बहुत गुण है। देश-विदेश की जानकारी, धार्मिक आध्यात्मिक, संस्कारों से भरी हुई ये किताबें तुम सभी बच्चों को एक नेक इंसान बनाएगी।' नानी मुस्कुराती हुई बोली.. ।

'वो कैसे नानी...।' चंदा बोली।

'बेटी चंदा जब तुम इसे पढ़ोगी तब तुम्हें इसकी गुणवत्ता मालूम होगी।' नानी हंसते हुए बोली।

सभी बच्चे नानी के दिए उपहार से बहुत खुश थे। कई साल बीते वही बच्चे बड़े होकर कोई ना कोई पद पर कार्यरत हो गए। नानी के दिए उन किताब रूपी उपहार का महत्व उन्हें समझ आ चुका था।

संपर्क:

मो. 7007224126

चतुर चूहा

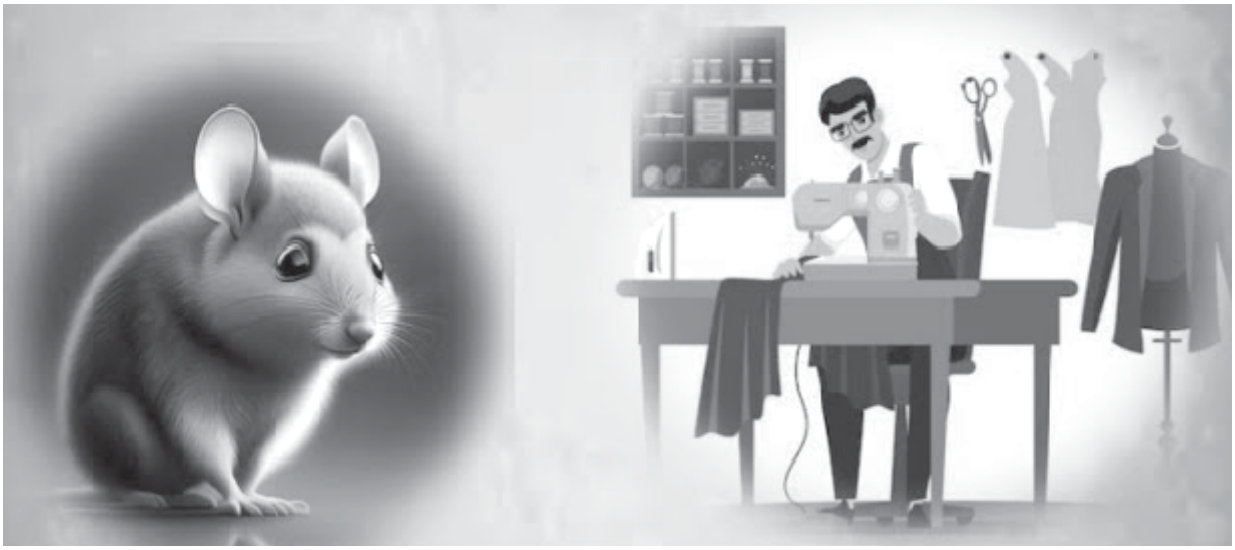

एक चूहा था। वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दरजी की दुकान देखी । दरजी के पास जाकर उसने कहा

चूहा : दरजी रे दरजी ! इस कपड़े की टोपी सी दे ।

दरजी: यह कौन बोल रहा है ?

चूहा: मैं चूहा;, चूहा बोल रहा हूँ । इसकी एक टोपी सी दे चल..

दरजी: चल रास्ता नाप। वरना कैंची उठा कर मारूंगा ।

चूहा: अरे ! तू मुझे डरा रहा है।

कचहरी में जाऊँगा, सिपाही को बुलाऊँगा, तुझे खूब पिटवाऊँगा और तमाशा देखूँगा ।

यह सुन दरजी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी ।

टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई।

चूहा: भाई ! मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काढ़ दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा । फिर उसे धमकाया और कहा 'चल, चल, यहाँ किसे फुरसत है !"

चूहा: अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊँगा, सिपाही को बुलाऊँगा, तुझे खूब पिटवाऊँगा और तमाशा देखूंगा।

यह सुन कशीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काढ़ दिया। चूहा तो खुश हो गया ।

शिक्षा: जीवन में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए

व्यंग्य

प्रेमचंद के फटे जूते

हरिशंकर परसाई

प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं. सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुरता और धोती पहने हैं. कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूंछें चेहरे को भरा-भरा बतलाती हैं। पांवों में केनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं।

दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है. सोचता हूं-फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है, तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग-अलग पोशाकें नहीं होंगी-इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है, वैसा ही फोटो में खिंच जाता है।

मैं चेहरे की तरफ देखता हूं. क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी अहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेंप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है! फोटोग्राफर ने जब 'रेडी-प्लीज' कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे-धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही 'क्लिक' करके फोटोग्राफर ने 'थैंक यू' कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान. यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है!

यह कैसा आदमी है, जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है!

फोटो ही खिंचाना था, तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते. फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम, 'अच्छा, चल भई' कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी 'ट्रेजडी' है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो मैं तुम्हारी यह फोटो देखते-देखते, तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते, तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर-दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने! तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए! गंदे-से-गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है!

टोपी आठ आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी पांच रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर पचीसों टोपियां न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए

थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी, जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तुम महान कथाकार, उपन्यास-सम्राट, युग-प्रवर्तक, जाने क्या-क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है!

मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यों ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है, पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम परदे का महत्त्व ही नहीं जानते, हम परदे पर कुर्बान हो रहे हैं!

तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो! मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगीभर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे।

तुम्हारी यह व्यंग्य-मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है. क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह?

क्या होरी का गोदान हो गया?

क्या पूस की रात में नीलगाय हलकू का खेत चर गई?

क्या सुजान भगत का लड़का मर गया; क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते?

नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया. वही मुस्कान मालूम होती है।

मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं. कैसे फट गया यह, मेरी जनता के लेखक?

क्या बहुत चक्कर काटते रहे?

क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील-दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे?

चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने-आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ. उसने कहा,'आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम.'

और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था,'जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परै सलाम!'

चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं. तुम्हारा जूता कैसे फट गया?

मुझे लगता है, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो. कोई चीज जो परत-पर-परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार-मारकर अपना जूता फाड़ लिया. कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया।

तुम उसे बचाकर, उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर, घूमकर भी तो चली जाती है।

तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी, जो होरी को ले डूबी, वही 'नेम-धरम' वाली कमजोरी? 'नेम-धरम' उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुसकरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद 'नेम-धरम' तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी!

तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती-सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हो?

तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो, जिसे ठोकर मारते-मारते तुमने जूता फाड़ लिया?

मैं समझता हूं. तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं और यह व्यंग्य-मुस्कान भी समझता हूं।

तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं. तुम कह रहे हो-मैंने तो ठोकर मार-मारकर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुवे का नाश कर रहे हो. तुम चलोगे कैसे?

मैं समझता हूं। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं। अंगुली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग्य-मुस्कान समझता हूं

अपने नुकसान में भी दूसरों का लाभ

गांधी जी यात्राएं करते रहते थे। एक बार वे रेल से यात्रा कर रहे थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो गांधी जी कुछ देर के लिए नीचे उतरे। गांधी जी को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। गांधी जी भीड़ से घिरे हुए थे और उनकी रेलगाड़ी चलने लगी।

भीड़ से बाहर निकलते हुए गांधी जी तेजी से अपने डिब्बे में चढ़ गए, लेकिन उनकी एक चप्पल नीचे गिर गई और रेल के नीचे पटरियों के बीच चली गई।

रेल चल रही थी, गांधी जी डिब्बे के गेट पर खड़े होकर विचार करने लगे और फिर उन्होंने अपनी दूसरी चप्पल भी वहीं गिरा दी।

ये घटना देख रहे व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा कि आपने दूसरी चप्पल भी क्यों गिरा दी?

गांधी जी ने कहा कि मेरी एक चप्पल तो गिर चुकी है और मेरे पास एक चप्पल रह गई तो मैंने सोचा कि अब ये एक चप्पल मेरे किसी काम नहीं है। इसलिए मैंने दूसरी चप्पल भी यहीं गिरा दी, ताकि किसी व्यक्ति को ये दोनों चप्पलें मिलेंगी तो उसके काम आ जाएंगी।

छोटी सीख ने बनाया बड़ा

छह साल का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ एक बगीचे में फूल तोड़ने के लिए घुस गया। उसके दोस्तों ने बहुत सारे फूल तोड़कर अपनी झोलियाँ भर लीं। वह लड़का सबसे छोटा और कमजोर होने के कारण सबसे पिछड़ गया। उसने पहला फूल तोड़ा ही था कि बगीचे का माली आ पहुँचा। दूसरे लड़के भागने में सफल हो गए लेकिन छोटा लड़का माली के हत्थे चढ़ गया।

बहुत सारे फूलों के टूट जाने और दूसरे लड़कों के भाग जाने के कारण माली बहुत गुस्से में था। उसने अपना सारा क्रोध उस छह साल के बालक पर निकाला और उसे पीट दिया।

नन्हे बच्चे ने माली से कहा "आप मुझे इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं!"

यह सुनकर माली का क्रोध जाता रहा। वह बोला "बेटे, पिता के न होने पर तो तुम्हारी जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है।"

माली की मार खाने पर तो उस बच्चे ने एक आंसू भी नहीं बहाया था लेकिन यह सुनकर बच्चा बिलखकर रो पड़ा। यह बात उसके दिल में घर कर गई और उसने इसे जीवन भर नहीं भुलाया।

उसी दिन से बच्चे ने अपने हृदय में यह निश्चय कर लिया कि वह कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी का कोई नुकसान हो।

बड़ा होने पर वही बालक भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के आन्दोलन में कूद पड़ा। एक दिन उसने लाल बहादुर शास्त्री के नाम से देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया।

गांधी क्विज

1 महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में कौन से स्कूल में पढ़ाई की थी?

अ अल्फ्रेड हाई स्कूल
ब स्वामीनारायण स्कूल
स सौराष्ट्र विद्यालय
द गुजरात विद्यालय

2 महात्मा गाँधी के दक्षिण अफ्रीका पंहुचने पर वहाँ पगड़ी से सम्बन्धित विवाद हुआ था, इस विवाद को वहाँ के अखबारों ने किस नाम से प्रकाशित किया?

अ रॉयल गेस्ट
ब कुली
स अनवेल्क्मड विजिटर
द गॉड फादर

3 गाँधी की आत्मकथा का प्रकाशन कहाँ से हुआ?

अ सर्वसेवा संघ
ब सस्ता साहित्य
स नवजीवन
द गाँधी दर्शन

4 साबरमती आश्रम की स्थापना गांधीजी ने कहाँ की थी?

अ गुजरात
ब महाराष्ट्र
स हरियाणा
द बंगाल

5 गांधीजी अपना राजनीतिक गुरू किसको मानते थे?

अ खान अब्दुल गफ्फार खान
ब गोपाल कृष्ण गोखले
स एनी बेसेंट
द राजकुमार शुक्ल

नोट: आप गांधी क्विज के उत्तर antimjangsds@gmail.com पर भेज सकतें हैं। प्रथम विजेता को उपहार स्वरूप गांधी साहित्य दियस जायेगा।

बच्चों के लिए पहेली

1. बोल नहीं पाती हूँ मैं,
और सुन नहीं पाती
बिना आँखों के हूँ अंधी,
पर सबको राह दिखाती

2. तीन अक्षर का मेरा नाम,
बीच कटे तो रिश्ते का नाम
आखिरी कटे तो सब खाए,
भारत के तीन तरफ दिखाए

3. शुरू कटे तो कान कहलाऊँ,
बीच कटे तो मन बहलाऊँ
परिवार की मैं करूँ सुरक्षा
बारिश, आँधी, धूप से रक्षा

4. सोने की वह चीज है,
पर बेचे नहीं सुनार
मोल तो ज्यादा है नहीं,
बहुत है उसका भार

गतिविधियाँ

हुनर महोत्सव एक्सपो में दिखी भारत की संस्कृति

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली द्वारा 12 दिवसीय हुनर महोत्सव एक्सपो का आयोजन दिनांक 29 मार्च से 8 अप्रैल तक हैदराबाद में आरम्भ किया गया। इस मेले में भारत की शिल्प, व्यंजन और संस्कृति की समृद्ध विरासत को दर्शाते हुए विभिन्न स्टाल लगाए गए ।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के सी.ई.ओ. डॉ. मधुकर नाईक ने किया।

चित्रकला प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण

गांधी दर्शन में 30 मार्च को चित्रकला प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह एवं गांधी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

समारोह में समिति के निदेशक डॉ ज्वाला प्रसाद एवं मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के महानिदेशक डॉ संजीव किशोर गौतम ने विजेता बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया।इस अवसर पर बच्चों ने गांधी क्विज में भी उत्साह से भाग लिया. सभी प्रतिभागियों को गांधी नोटबुक और गांधी साहित्य उपहार स्वरूप दिया गया

उल्लेखनीय है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गयी थी, जिसमें 5 हजार बच्चों ने भाग लिया था।

महिला सेमिनार आयोजित

गांधी स्मृति में 14 मार्च को महिला पत्रकार कल्याण ट्रस्ट द्वारा 'क्या भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के लिए यह अमृतकाल' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में दिल्ली की अनेक महिला पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गाँधी स्मृति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जी 20 शेरपा, श्री अमिताभ कांत, मौजूद थे। जबकि संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक महासचिव व 'स्वैलोइंग द सन' की लेखिका, श्रीमती लक्ष्मी पुरी, वरिष्ठ पत्रकार सुश्री नविका कुमार सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार प्रकट किये।

इस अवसर पर श्री विजय गोयल ने कहा कि गांधीजी की तरह प्रधानमन्त्री जी भी महिलाओं को ज्यादा सुविधाएँ व अधिकार देकर उन्हें सशक्त बना रहे हैं । आजादी के इस अमृत काल में महिलाएं एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी हैं ।

बच्चों ने देखी पेंटिंग

नमो प्रदर्शनी केंद्र, गांधी दर्शन, राजघाट में 5000 बच्चों द्वारा बनाई गई अद्भुत पेंटिंग्स की प्रदर्शनी देखने के लिए डी पी एस दिल्ली रोहिणी के विद्यार्थियों ने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान सभी विद्यार्थियों ने गांधी-प्रश्नोत्तरी में उत्साहपूर्वक भाग लिया और विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप अंतिमजन पत्रिका भी दी गई.

विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने समझा गाँधी का जीवन

नीदरलैंड के वित्त राज्य सचिव और मंत्रिमंडल सदस्य श्री मार्निक्स लियोनार्ड अलेक्जेंडर वैन रिज ने भारत में नीदरलैंड की राजदूत श्रीमती मारिसा जेराड्र्स के साथ चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 14 मार्च को गांधी स्मृति का दौरा किया। श्री मार्निक्स ने शहीद स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और महात्मा गांधी के कमरे का अवलोकन भी किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल ने 24 मार्च को गांधी स्मृति का दौरा किया प्रतिनिधिमंडल का स्वागत गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल ने किया। उन्होंने शहीद स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और गांधी स्मृति संग्रहालय भी देखा।

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति

हमारे आकर्षण

गांधी स्मृति म्यूज़ियम (तीस जनवरी मार्ग)

* गांधी स्मृति म्यूज़ियम
* डॉल म्यूज़ियम
* शहीद स्तंभ
* मल्टीमीडिया प्रदर्शनी
* महात्मा गांधी के पदचिन्ह
* महात्मा गांधी का कक्ष
* महात्मा गांधी की प्रतिमा
* वर्ल्ड पीस गोंग

गांधी दर्शन (राजघाट)

* गांधी दर्शन म्यूज़ियम
* क्ले मॉडल प्रदर्शनी
* गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री (200 लोगों के लिये)
* सेमीनार हॉल (150 लोगों के लिये)
* कॉन्फ्रेंस हॉल (300 लोगों के लिये)
* प्रशिक्षण हॉल : (80 लोगों के लिये)
* ओपन थियेटर
* राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र
* गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री

(डॉ. ज्वाला प्रसाद)
निदेशक

प्रवेश निःशुल्क (प्रातः 10 बजे से सायः 6.30 बजे तक), सोमवार अवकाश
हॉल व कमरों की बुकिंग के लिये संपर्क करें– ईमेलः 2010gsds@gmail.com, 011-23392796

gsdsnewdelhi www.gandhismriti.gov.in

RNI NO. DELHIN/2018/76242

''आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं, उसे
कम कराने की भावना से मैं यह बयान नहीं
दे रहा हूँ। मुझे तो यही जता देना है कि
आज्ञा का अनादर करने में मेरा उद्देश्य कानून
द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना
नहीं है, बल्कि मेरा हृदय जिस अधिक बड़े
कानून से-अर्थात अन्तरात्मा की आवाज को
स्वीकार करता है, उसका अनुसरण करना ही
मेरा उद्देश्य है।''

(मोहनदास करमचंद गांधी)

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
(एक स्वायत्त निकाय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)

प्रकाशक - मुद्रक : स्वामी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के लिए पोहोजा प्रिंट सोल्यूशंस प्रा. लि., दिल्ली - 110092
से मुद्रित तथा गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली-110092 से प्रकाशित।